



सूचना विवरण पुस्तिका
सूचना का अधिकार अधिनियम-2005



उत्तराखण्ड सरकार

मैनुअल-13
(भाग-ii)

निदेशालय

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा(तपोवन)देहरादून ।

वैब साइट-www.schooleducation.uk.gov.in

ई.मेल-ua.elementary@yahoo.in

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा०शि०) हरिद्वार।

पत्रांक प्रा०शि०से०-2(5) 392996 / चि०प्र०पू०-346(104) / 2018-19 दिनांक 27 मई, 2018

विषय:- श्री आकिल, स०अ०, रा०प्रा०वि० बिन्दुखडक वि०ख० भगवानपुर जनपद हरिद्वार का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) हरिद्वार के पत्र संख्या: प्रा०शि० / 1392-93 / चि०प्र०पू० / 2017-18 / दिनांक 17 फरवरी, 2018 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या: 679 / चि०-3-2006-437 / 2002, दिनांक 04-09-2006 एवं उसके बाद निर्गत विभिन्न शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत श्री आकिल, स०अ०, रा०प्रा०वि० बिन्दुखडक वि०ख० भगवानपुर जनपद हरिद्वार का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- फोर्टिस हॉस्पिटल, देहरादून में दिनांक 26.07.2017 से 30.07.2017 तक अन्तः रोगी एवं दिनांक 17.8.2017 तक वाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार पर हुए व्यय का मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, श्री जे०एन०एस०एम० राजकीय संयुक्त चिकित्सालय रूडकी हरिद्वार द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं प्रतिहस्ताक्षरित कुल रू० 47,442-00 (रू० सैंतालीस हजार चार सौ बयालीस मात्र) धनराशि की निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती हैं:-

2- उक्तानुसार धनराशि स्वीकृत करने से पूर्व सम्बन्धित से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाएगा कि उनके द्वारा उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु दावा प्रथम बार प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित करा लिया जाये कि श्री आकिल, स०अ०, द्वारा चिकित्सा उपचार हेतु कोई अग्रिम धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है, यदि कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत की गयी हो, तो उस धनराशि को समायोजित करते हुए ही अवशेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-बेसिक शिक्षा परिषद् का राजकीयकरण के अन्तर्गत मानक मद-00-27 -चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। संलग्न-समस्त बिल बाउचर मूल रूप में।

भवदीय


(आरूपकेंद्र, देहरादून) 5.18

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

कमरा-2

पृ०सं० / प्रा०शि०से०-२(५)/३१८१-१६ / चि०प्र०पू०-३४६(१०४)/२०१८-१९ तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- १- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- २- वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
- ३- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- ४- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार-हरिद्वार।
- ५- उप शिक्षा अधिकारी वि०ख० भगवानपुर, जनपद हरिद्वार।
- ६- श्री आकिल, स०अ०, रा०प्रा०वि० बिन्दुखडक वि०ख० भगवानपुर जनपद हरिद्वार।
- ७- कार्यालय गार्ड फाइल।


(आर.के.कुंवर) 05.18

निदेशक,

 प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा0शि0) रुद्रप्रयाग।

पत्रांक : प्रा0शि0से0-दो(5) / 5617-23 / चि0प्र0पू0-204(73) / 2019-20 दिनांक 17 जून, 2018

विषय:- श्रीमती गुड्डी देवी भण्डारी, प्र0अ0, रा0प्रा0वि0 डुंगरी धनपुर, वि0ख0 अगस्त्यमुनि जनपद रुद्रप्रयाग का प्रदेश के बाहर कराये गये उपचार की कार्योत्तर अनुमति एवं उपचार पर हुए व्यय की स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) रुद्रप्रयाग के पत्रांक : प्रा0शि0/सेवा-02/6736-38/चि0प्र0पू0/2018-19 दिनांक 01 मार्च, 2018 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासन के पत्र संख्या : एम0आर0 20/XXIV(1)19/20/2019 दिनांक 15 मई, 2019 द्वारा कार्योत्तर अनुमति प्रदान किए जाने के उपरान्त शासनादेश संख्या : 61/XXVII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि0-3-2006- 437/2002, दिनांक 04-09-2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार श्रीमती गुड्डी देवी भण्डारी, प्र0अ0, रा0प्रा0वि0 डुंगरी धनपुर, वि0ख0 अगस्त्यमुनि जनपद रुद्रप्रयाग का प्रदेश के बाहर चिकित्सा संस्थान- मेदान्ता हॉस्पिटल, गुडगांव में दिनांक 06-12-2017 से दिनांक 10-12-2017 तक वाह्य रोगी दिनांक 11-12-2017 से दिनांक 15-12-2017 तक अन्तः रोगी तथा दिनांक 16-12-2017 को वाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार का दावा, जो कि निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महानिदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य धनराशि रू0 1,74,995-00 (रू0 एक लाख चौहत्तर हजार नौ सौ पचानबे मात्र) संस्तुत है, की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

2- उक्तानुसार धनराशि स्वीकृत करने से पूर्व सम्बन्धित से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाएगा कि उनके द्वारा उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु दावा प्रथम बार प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित करा लिया जाये कि श्रीमती गुड्डी देवी भण्डारी, प्र0अ0, द्वारा चिकित्सा उपचार हेतु कोई अग्रिम धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है, यदि कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत की गयी हो, तो उस धनराशि को समायोजित करते हुए ही अवशेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत मानक मद-00-27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय

(आर.के.कुंवर) 19
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

क्रमशः-2

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा०शि०) नई टिहरी।

पत्रांक प्रा०शि०से०-2(5)/52633/चि०प्र०पू०-318(91)/2018-19 दिनांक 01 अप्रैल, 2018

विषय:- श्री चिन्तामणी थपलियाल (से०नि०) प्र०अ०, रा०उ०प्रा०वि० कोटी जुवा वि०ख० थौलधार
टिहरी गढ़वाल का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) टिहरी गढ़वाल के पत्र संख्या:
प्रबन्ध-02(ख)/11083/चि०प्र०पू०/दिनांक 20 जनवरी, 2018 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासनादेश
संख्या: 679/चि०-3-2006-437/2002, दिनांक 04-09-2006 एवं उसके बाद निर्गत विभिन्न
शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत श्री चिन्तामणी थपलियाल (से०नि०) प्र०अ०,
रा०उ०प्रा०वि० कोटी जुवा वि०ख० थौलधार टिहरी गढ़वाल का चिकित्सा संस्थान-श्री महंत इन्देश
हॉस्पिटल, देहरादून में दिनांक 21.04.2016 से 29.04.2016 तक अन्तः रोगी एवं दिनांक 02.08.
2016 तक वाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार पर हुए व्यय का मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
श्री देवसुमन संयुक्त चिकित्सालय, नरेन्द्रनगर टिहरी गढ़वाल द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं
प्रतिहस्ताक्षरित कुल रू० 74,090-00 (रू० चहोत्तर हजार नब्बे रूपये मात्र) धनराशि की
निम्नलिखित प्रतिबन्धों अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-


2- उक्तानुसार धनराशि स्वीकृत करने से पूर्व सम्बन्धित से इस आशय का प्रमाण-पत्र
प्राप्त कर लिया जाएगा कि उनके द्वारा उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु दावा प्रथम बार
प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित करा लिया जाये
कि श्री चिन्तामणी थपलियाल (से०नि०) प्र०अ०, द्वारा चिकित्सा उपचार हेतु कोई अग्रिम धनराशि
प्राप्त नहीं की गयी है, यदि कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत की गयी हो, तो उस धनराशि को
समायोजित करते हुए ही अवशेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक की अनुदान
संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-
राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-बेसिक शिक्षा परिषद् का राजकीयकरण के अन्तर्गत मानक
मद-00-27 -चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से
प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही
करने का कष्ट करें।

संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय


(अनंद कुमार कुंवर) 18

निदेशक,

 प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

क्रमशः-2

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा०शि०) नई टिहरी।

पत्रांक प्रा०शि०से०-2(5)/1535-41/चि०प्र०पू०-17(05)/2018-19 दिनांक 23 अप्रैल, 2018

विषय:- श्री मुकेश चन्द्र नौटियाल, स०अ०, रा०प्रा०वि० पुजारगांव वि०ख० देवप्रयाग जनपद टिहरी गढ़वाल का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) टिहरी गढ़वाल के पत्र संख्या: /12737-38/चि०प्र०पू०/2017-18/दिनांक 22 फरवरी, 2018 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या: 679/चि०-3-2006-437/2002, दिनांक 04-09-2006 एवं उसके बाद निर्गत विभिन्न शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत श्री मुकेश चन्द्र नौटियाल, स०अ०, रा०प्रा०वि० पुजारगांव वि०ख० देवप्रयाग जनपद टिहरी गढ़वाल का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान-हिमालयन हॉस्पिटल, देहरादून में दिनांक 12.01.2017 से 09.02.2018 तक अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार पर हुए व्यय का मुख्य चिकित्सा अधीक्षक श्री देवसुमन संयुक्त चिकित्सालय, नरेन्द्रनगर टिहरी गढ़वाल द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं प्रतिहस्ताक्षरित कुल रू० 75,491-00 (रू० पिच्चहत्तर हजार चार सौ इक्कानबे मात्र) धनराशि की निम्नलिखित प्रतिबन्धों अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

2- उक्तानुसार धनराशि स्वीकृत करने से पूर्व सम्बन्धित से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाएगा कि उनके द्वारा उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु दावा प्रथम बार प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित करा लिया जाये कि श्री मुकेश चन्द्र नौटियाल, स०अ०, द्वारा चिकित्सा उपचार हेतु कोई अग्रिम धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है, यदि कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत की गयी हो, तो उस धनराशि को समायोजित करते हुए ही अवशेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-बेसिक शिक्षा परिषद् का राजकीयकरण के अन्तर्गत मानक मद-00-27 -चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय

(आर.के. कुँबर) 2018
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

क्रमशः-2

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा०शि०) नई टिहरी।

पत्रांक प्रा०शि०से०-2(5)/2593-99/चि०प्र०पू०-187(25)/2018-19 दिनांक 05 अप्रैल, 2018

विषय:- कु० फिजाबेग पुत्री श्री सलीम बेग, स०अ०, रा०प्रा०वि० भैंसकोटी वि०ख० थौलधार जनपद टिहरी गढ़वाल का प्रदेश के बाहर कराये गये उपचार की कार्योत्तर अनुमति एवं स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) टिहरी गढ़वाल के पत्र संख्या: प्रा०शि०-2/3703-05/चि०प्र०पू०/2017-18/दिनांक 17 जुलाई, 2017 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासन के पत्र संख्या : एम०आर० 136/XXIV(1)/2018 एम०आर०136/2017 दिनांक 28 मार्च, 2018 द्वारा प्रदेश से बाहर कराये गये उपचार की कार्योत्तर अनुमति प्रदान की गयी है। तदोपरान्त शासनादेश संख्या: 679/चि०-3-2006- 437/2002, दिनांक 04-09-2006 एवं उसके बाद निर्गत विभिन्न शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत कु० फिजाबेग पुत्री श्री सलीम बेग, स०अ०, रा०प्रा०वि० भैंसकोटी वि०ख० थौलधार जनपद टिहरी गढ़वाल का प्रदेश के बाहर चिकित्सा संस्थान-मैक्स हॉस्पिटल, नई दिल्ली में दिनांक 31.07.2015 से 06.08.2015 तक कराये गये उपचार पर हुए व्यय के सापेक्ष निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं प्रतिहस्ताक्षरित कुल रू० 77,795-00 (रू० सहत्तर हजार सात सौ पिच्चानबे मात्र) धनराशि की निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती हैं:-

2- उक्तानुसार धनराशि स्वीकृत करने से पूर्व सम्बन्धित से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाएगा कि उनके द्वारा उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु दावा प्रथम बार प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित करा लिया जाये कि श्री सलीम बेग, स०अ०, द्वारा चिकित्सा उपचार हेतु कोई अग्रिम धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है, यदि कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत की गयी हो, तो उक्त धनराशि को समायोजित करते हुए ही अवशेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101- राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-बेसिक शिक्षा परिषद का राजकीयकरण के अन्तर्गत मानक मद-00-27 -चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न-समस्त बिल बाउचर मूल रूप में।

भवदीय

(आर.के. कुंवर) 5.18

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

क्रमशः

पंजीकृत

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा०शि०) पौड़ी गढ़वाल।

पत्रांक प्रा०शि०से०-2(5)/2848-55/चि०प्र०पू०-208(37)/2018-19 दिनांक 29 मई, 2018

विषय:- श्री बाबुल सिंह पति श्रीमती कल्पेश्वरी नेगी, प्र०अ०, रा०प्रा०वि० अगरोड़ा वि०ख० कल्जीखाल जनपद पौड़ी गढ़वाल का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) पौड़ी गढ़वाल के पत्र संख्या: 04 बे०पे०/8058-59/चि०प्र०पू०/2017-18 दिनांक 06 नवम्बर, 2017 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासन के पत्र संख्या: एम०आर० 168/XXIV(1)18/124/2017 दिनांक 23 अप्रैल, 2018 के द्वारा चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि०-3-2006-437/2002, दिनांक 04-09-2006 के क्रम में श्री बाबुल सिंह पति श्रीमती कल्पेश्वरी नेगी, प्र०अ०, रा०प्रा०वि० अगरोड़ा वि०ख० कल्जीखाल जनपद पौड़ी गढ़वाल का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- कनिष्क हॉस्पिटल, देहरादून में दिनांक 13.02.2015 से दिनांक 26.02.2015 तक अन्तः रोगी तथा दिनांक 21.03.2015 तक बाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार के दावों पर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रू० 1,19,524-00 (रू० एक लाख उन्नीस हजार पांच सौ चौबीस मात्र) धनराशि की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2- उक्तानुसार धनराशि स्वीकृत करने से पूर्व सम्बन्धित से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाएगा कि उनके द्वारा उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु दावा प्रथम बार प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित करा लिया जाये कि श्रीमती कल्पेश्वरी नेगी, प्र०अ०, द्वारा चिकित्सा उपचार हेतु कोई अग्रिम धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है, यदि कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत की गयी हो, तो उस धनराशि को समायोजित करते हुए ही अवशेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-बेसिक शिक्षा परिषद् का राजकीयकरण के अन्तर्गत मानक मद-00-27 -चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय


(आ.के. कुंवर) 18
निदेशक,

 प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
क्रमशः-2

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

मुख्य कोषाधिकारी
कोषागार-देहरादून

पत्रांक प्रा0शि0से0-2(5)/9841-47/चि0प्र0पू0-305(103)/2018-19 दिनांक 09 मई, 2018

विषय:- श्री चतर सिंह, (से0नि0) सहायक अध्यापक, रा0उ0प्रा0वि0 पपड़ियान वि0ख0 विकासनगर जनपद देहरादून का प्रदेश के बाहर कराये गये उपचार की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) देहरादून के पत्र संख्या: बे0-2 /11600/चि0प्र0पू0/2017-18 दिनांक 09 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासन के पत्र संख्या: एम0आर0 165/XXIV(1)18/165/2017 दिनांक 11 अप्रैल, 2018 के द्वारा चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि0-3-2006-437/2002, दिनांक 04-09-2006 के क्रम में श्री चतर सिंह, (से0नि0) सहायक अध्यापक, रा0उ0प्रा0वि0 पपड़ियान वि0ख0 विकासनगर जनपद देहरादून का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- मेदान्ता हॉस्पिटल, गुड़गांव में दिनांक 30.04.2016 से दिनांक 14.05.2016 तक अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार के दावों पर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महानिदेशालय देहरादून द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रू0 1,72,390-00 (रू0 एक लाख बहोत्तर हजार तीन सौ नब्बे मात्र) धनराशि की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2- उक्तानुसार धनराशि स्वीकृत करने से पूर्व सम्बन्धित से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाएगा कि उनके द्वारा उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु दावा प्रथम बार प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित करा लिया जाये कि श्री चतर सिंह, (से0नि0) सहायक अध्यापक, द्वारा चिकित्सा उपचार हेतु कोई अग्रिम धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है, यदि कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत की गयी हो, तो उस धनराशि को समायोजित करते हुए ही अवशेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-07 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ, 01-सिविल-800-अन्य व्यय 04- राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता (उत्तराखण्ड)-02-उत्तराखण्ड राज्याधीन-42- अन्य के अन्तर्गत बहन किया जायेगा।

अतः जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) देहरादून द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय


(आर.के. कुवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

कमशा-2

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा०शि०) देहरादून।

पत्रांक प्रा०शि०से०-2(5)/2793-95/चि०प्र०पू०-225(44)/2018-19 दिनांक 09 मई, 2018

विषय:- श्री दीवान सिंह, सहायक अध्यापक, रा०प्रा०वि० मलोगा वि०ख० कालसी जनपद देहरादून की माता श्रीमती पुन्नी देवी का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) देहरादून के पत्र संख्या: रा०प्र०वे० /12665-68/चि०प्र०पू०/2017-18 दिनांक 10 नवम्बर, 2017 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासन के पत्र संख्या: एम०आर० 176/XXIV(1)18/176/2018 दिनांक 23 अप्रैल, 2018 के द्वारा चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि०-3-2006-437/2002, दिनांक 04-09-2006 के क्रम में श्री दीवान सिंह, सहायक अध्यापक, रा०प्रा०वि० मलोगा वि०ख० कालसी जनपद देहरादून की माता श्रीमती पुन्नी देवी का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- श्री महंत इन्देश हॉस्पिटल, देहरादून में दिनांक 19.10.2016 से दिनांक 27.10.2016 तक अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार के दावों पर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महानिदेशालय देहरादून द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रू० 1,70,241-00 (रू० एक लाख सहत्तर हजार दो सौ इक्तालीस मात्र) धनराशि की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2- उक्तानुसार धनराशि स्वीकृत करने से पूर्व सम्बन्धित से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाएगा कि उनके द्वारा उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु दावा प्रथम बार प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित करा लिया जाये कि श्री दीवान सिंह, सहायक अध्यापक, द्वारा चिकित्सा उपचार हेतु कोई अग्रिम धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है, यदि कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत की गयी हो, तो उस धनराशि को समायोजित करते हुए ही अवशेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-बेसिक शिक्षा परिषद् का राजकीयकरण के अन्तर्गत मानक मद-00-27 -चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न-समस्त बिल बाउचर मूल रूप में।

भवदीय

(आर.के. कुँवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

कमरा:-2

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखंडा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा0शि0) चमोली।

पत्रांक प्रा0शि0से0-2(5)/3709-96/चि0प्र0पू0-342(102)/2018-19 दिनांक 23 मई, 2018
विषय:- श्री रघुवीर सिंह, स0अ0, रा0प्रा0वि0 भेंटी वि0ख0 घाट जनपद चमोली की पत्नी श्रीमती सुनीता देवी का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) चमोली के पत्र संख्या: प्रा0शि0/10403/4 (01) लेखा स्थापना(चि0प्र0पू0-06)/2017-18/दिनांक 26 दिसम्बर, 2018 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या: 679/चि0-3-2006-437/2002, दिनांक 04-09-2006 एवं उसके बाद निर्गत विभिन्न शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत श्री रघुवीर सिंह, स0अ0, रा0प्रा0वि0 भेंटी वि0ख0 घाट जनपद चमोली की पत्नी श्रीमती सुनीता देवी का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- श्री महंत इन्द्रेश हॉस्पिटल, देहरादून में दिनांक 01.11.2016 से 18.11.2016 तक अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार पर हुए व्यय का मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय गोपेश्वर, चमोली द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं प्रतिहस्ताक्षरित कुल रू0 41,282-00 (रू0 इकतालीस हजार दो सौ बयासी मात्र) धनराशि की निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती हैं:-

2- उक्तानुसार धनराशि स्वीकृत करने से पूर्व सम्बन्धित से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाएगा कि उनके द्वारा उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु दावा प्रथम बार प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित करा लिया जाये कि श्री रघुवीर सिंह, स0अ0, द्वारा चिकित्सा उपचार हेतु कोई अग्रिम धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है, यदि कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत की गयी हो, तो उस धनराशि को समायोजित करते हुए ही अवशेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-बेसिक शिक्षा परिषद का राजकीयकरण के अन्तर्गत मानक मद-00-27 -चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। संलग्न-समस्त बिल बाउचर मूल रूप में।

भवदीय

(आ.प्र.कृ.कुं.कं.) 18

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा०शि०) देहरादून।

पत्रांक प्रा०शि०से०-2(5)/4362-69 / चि०प्र०पू०-34(09) / 2018-19 दिनांक 31 मई, 2018

विषय:- श्री अरविन्द कुमार, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० रेड़ापुर वि०ख० सहसपुर जनपद देहरादून के पिता श्री विशम्बर सिंह का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) देहरादून के पत्र संख्या: बेसिक-2/4406/चि०प्र०पू०/2017-18/दिनांक 15 फरवरी, 2018 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या: 679/चि०-3-2006-437/2002, दिनांक 04-09-2006 एवं उसके बाद निर्गत विभिन्न शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत श्री अरविन्द कुमार, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० रेड़ापुर वि०ख० सहसपुर जनपद देहरादून के पिता श्री विशम्बर सिंह का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- श्री महंत इन्द्रेश हॉस्पिटल, देहरादून में दिनांक 13.09.2017 से 12.12.2017 तक वाह्य रोगी एवं दिनांक 17.12.2017 से दिनांक 25.12.2017 तक अन्तः रोगी तथा दिनांक 09.01.2018 तक वाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार पर हुए व्यय का प्रमुख अधीक्षक, दून चिकित्सालय देहरादून द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं प्रतिहस्ताक्षरित कुल रू० 51,040-00 (रू० इक्यावन हजार चालीस मात्र) धनराशि की निम्नलिखित प्रतिबन्धों अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-


2- उक्तानुसार धनराशि स्वीकृत करने से पूर्व सम्बन्धित से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाएगा कि उनके द्वारा उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु दावा प्रथम बार प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित करा लिया जाये कि श्री अरविन्द कुमार, स०अ०, द्वारा चिकित्सा उपचार हेतु कोई अग्रिम धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है, यदि कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत की गयी हो, तो उस धनराशि को समायोजित करते हुए ही अवशेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101- राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-बेसिक शिक्षा परिषद का राजकीयकरण के अन्तर्गत मानक मद-00-27 -चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न-समस्त बिल बाउचर मूल रूप में।

भवदीय


(अरुण कुमार)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी
कोषागार-रूड़की, हरिद्वार।

पत्रांक प्रा0शि0से0-2(5)/5154-66/चि0प्र0पू0-54(13)/2018-19 दिनांक 07 मई, 2018
विषय:- श्री सोमदत्त (से0नि0) प्र0अ0, रा0प्रा0वि0 नोकराग्रन्त, वि0ख0 भगवानपुर जनपद
हरिद्वार की पत्नी श्रीमती उषा देवी का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार की
स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) हरिद्वार के पत्र संख्या:
प्रा0शि0/1617-18/चि0प्र0पू0/2018-19/दिनांक 18 मई, 2018 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर
शासनादेश संख्या: 679/चि0-3-2006-437/2002, दिनांक 04-09-2006 एवं उसके बाद
निर्गत विभिन्न शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत श्री सोमदत्त (से0नि0) प्र0अ0,
रा0प्रा0वि0 नोकराग्रन्त, वि0ख0 भगवानपुर जनपद हरिद्वार की पत्नी श्रीमती उषा देवी का प्रदेश
के भीतर चिकित्सा संस्थान- हिमालयन हॉस्पिटल, देहरादून में दिनांक 02.02.2018 से 08.02.
2018 तक अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार पर हुए व्यय का निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य
एवं परिवार कल्याण गढ़वाल मण्डल पौड़ी द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं प्रतिहस्ताक्षरित कुल रू0
94,767-00 (रू0 चौंसानबे हजार सात सौ सड़सठ मात्र) धनराशि की निम्नलिखित प्रतिबन्धों के
अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती हैं:-


2- उक्तानुसार धनराशि स्वीकृत करने से पूर्व सम्बन्धित से इस आशय का प्रमाण-पत्र
प्राप्त कर लिया जाएगा कि उनके द्वारा उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु दावा प्रथम बार
प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित करा लिया जाये
कि श्री सोमदत्त (से0नि0) प्र0अ0, द्वारा चिकित्सा उपचार हेतु कोई अग्रिम धनराशि प्राप्त नहीं की
गयी है, यदि कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत की गयी हो, तो उस धनराशि को समायोजित करते
हुए ही अवशेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय व्ययक के अनुदान
संख्या-07 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ,
01-सिविल-800-अन्य व्यय 04- राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के
विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता (उत्तराखण्ड)-02-उत्तराखण्ड राज्याधीन-42- अन्य के
अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) हरिद्वार द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल
रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर
आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय


(अ.के.कुंवर) 6.18

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

क्रमशः-2

प्रेषक,

डॉ० भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,

ननूरखेड़ा, देहरादून ।

बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग

देहरादून: दिनांक: 05 मई, 2018

विषय:- श्री अनुसूया प्रसाद डंगवाल, प्र०अव० रा०उ०प्रा०वि० मोठणाधार वि०ख० चम्बा टिहरी गढ़वाल को उपचार हेतु अग्रिम भुगतान की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: प्रा०शि०ले०स्था० - 2(4) / 20 437 / चि०प्र० पू०-286 / 2017-18 दिनांक 14 नवम्बर, 2017 के संदर्भ मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चिकित्सा विभाग के शासनादेश संख्या: 679 / चि०-3-2006-437 / 2002, दिनांक 04.9.2006 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत श्री अनुसूया प्रसाद डंगवाल, प्र०अ०, रा०उ०प्रा०वि० मोठणाधार वि०ख० चम्बा टिहरी गढ़वाल का चिकित्सा संस्थान गंगा राम हॉस्पिटल नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित उपलब्ध कराये गये अनुमानित व्यय ₹ 8,50,000.00/- (रूपये आठ लाख पचास हजार) के सापेक्ष अग्रिम के रूप में अनुमानित व्यय आगणन का 75 प्रतिशत अर्थात् ₹6,30,000-00 (रूपये छः लाख तीस हजार मात्र) धनराशि को अग्रिम रूप में भुगतान करने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल, सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- (i) प्रस्तुत आगणन फरवरी, 2018 से सम्बन्धित नया आगणन एवं उचार अब तक न कराये जाने का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाय।
- (ii) अगर उपचार हो चुका है तो अग्रिम स्वीकृत न किया जाय। चिकित्सा प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव प्राप्त किया जाय।
- (iii) तीन माह में नियमानुसार धनराशि का समायोजन सुनिश्चित किया जाय।
- (iv) पूर्व में कोई अग्रिम लिया गया हो तो समायोजन में कार्यवाही करने के उपरान्त अग्रिम स्वीकृत किया जाय।

2- इस सम्बन्ध में चिकित्सा विभाग के शासनादेश दिनांक 04.9.2006 एवं समय-समय पर निति सुसंगत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अग्रिम स्वीकृत किया जाता है।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक की अनुदान सं०-11- के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-बेसिक शिक्षा परिषद का राजकीयकरण के अन्तर्गत मानक मद-00-27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत उक्त मद में आपके निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से ही वहन की जायेगी।

क

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा०शि०) टिहरी गढ़वाल।

पत्रांक प्रा०शि०से०-२(५)/५६३३-५०/कार्य०अनुमति/२०१८-१९ दिनांक १८ जून, २०१८

विषय:- श्री अनुसूया प्रसाद डंगवाल, प्र०अ०, रा०उ०प्रा०वि० मोठणाधार वि०ख० चम्बा जनपद
टिहरी गढ़वाल को उपचार हेतु अग्रिम भुगतान स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) टिहरी गढ़वाल के पत्र संख्या:
प्रबन्ध-२(ख)/११०८४/चि०प्र०पू०/२०१७-१८/दिनांक २० फरवरी, २०१८ द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के
क्रम में शासन के पत्र संख्या : एम०आर० ५९/XXIV(१)१७/३५/२०१७ दिनांक ०५ जून, २०१८ द्वारा
शासनादेश संख्या: ६७९/चि०-३-२००६- ४३७/२००२, दिनांक ०४-०९-२००६ में निहित प्राविधानों
के अन्तर्गत श्री अनुसूया प्रसाद डंगवाल, प्र०अ०, रा०उ०प्रा०वि० मोठणाधार वि०ख० चम्बा टिहरी
गढ़वाल का प्रदेश के बाहर चिकित्सा संस्थान- गंगा राम हॉस्पिटल, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित
उपलब्ध कराये गये अनुमानित व्यय रू० ०८,५०,०००-०० (रू० आठ लाख पचास हजार मात्र) के
सापेक्ष अग्रिम के रूप में अनुमानित व्यय अगणन का ७५ प्रतिशत अर्थात् रू० ०६,३०,०००-०० (रू०
छ: लाख तीस हजार मात्र) धनराशि की अग्रिम रूप में भुगतान करने की निम्नलिखित शर्तों के
अधीन श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (i)- प्रस्तुत आगणन फरवरी-२०१८ से सम्बन्धित नया आगणन एवं उपचार अब तक न
कराये जाने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाय।
- (ii)- अगर उपचार हो चुका है तो अग्रिम स्वीकृत न किया जाय। चिकित्सा प्रतिपूर्ति का
प्रस्ताव प्राप्त किया जाय।
- (iii) तीन माह में नियमानुसार धनराशि का समायोजन सुनिश्चित किया जाय।
- (iv) इस सम्बन्ध में चिकित्सा के शासनादेश दिनांक ०४.०९.२००६ एवं समय-समय पर निति
सुसंगत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अग्रिम स्वीकृत किया
जाता है।

३- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष २०१८-१९ के आय व्ययक की
अनुदान संख्या-११ राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक २२०२-सामान्य शिक्षा ०१-प्राथमिक
शिक्षा-१०१- राजकीय प्राथमिक विद्यालय ०४-बेसिक शिक्षा परिषद् का राजकीयकरण के अन्तर्गत
मानक मद-००-२७ -चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत उक्त मद में आपके निवर्तन पर रखी
गयी धनराशि से ही वहन की जायेगी।

४- यह आदेश वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-१ (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन(वर्ष
२०१८) दिनांक ०२ अप्रैल, २०१८ में दिये गये प्राविधानों के अनुसार जारी किये जा रहे हैं।
संलग्न-शासन से प्राप्त स्वीकृति आदेश।

भवदीय


(अ.क. कुँवर) २०१८

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
कमरा-२

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा०शि०) देहरादून।

पत्रांक प्रा०शि०से०-2(5)/6694-6701/चि०प्र०पू०-207(61)/2018-19 दिनांक 07 जुलाई, 2018
विषय:- श्री जगवीर सिंह भण्डारी, स०अ०, रा०प्रा०वि० दीपनगर वि०ख० रायपुर, जनपद
देहरादून का प्रदेश के भीतर/बाहर कराये गये उपचार की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०)-उत्तरकाशी के पत्र संख्या :
बेसिक-3/6770/चि०प्र०पू०/2017-18 दिनांक 25 नवम्बर 2017 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर
शासनादेश संख्या : 45/XXVII(1)18/185/2016 दिनांक 14 मई, 2018 द्वारा श्री जगवीर सिंह
भण्डारी, स०अ०, रा०प्रा०वि० दीपनगर वि०ख० रायपुर, जनपद देहरादून का प्रदेश के बाहर-सर
गंगा राम हॉस्पिटल नई दिल्ली में दिनांक 23.05.2015 से दिनांक 04.06.2015 तक अन्तः रोगी एवं
दिनांक 05.06.2015 से दिनांक 18.06.2015 तक बाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार की
कार्योत्तर अनुमति एवं दाये पर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय,
देहरादून द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य संस्तुत रू० 3,69,412-00 (रू० तीन लाख उनसहत्तर हजार चार
सौ बाहर मात्र) तथा चिकित्सा संस्थान- सी०एम०आई० हॉस्पिटल देहरादून में अन्तः रोगी के रूप
में कराये गये उपचार की प्रतिपूर्ति योग्य रू० 1,45,620-00 (रूपये एक लाख पैंतालीस हजार छः
सौ बीस मात्र) एवं चिकित्सा संस्थान- कनिष्क हॉस्पिटल देहरादून में बाह्य रोगी के रूप में
कराये गये उपचार की प्रतिपूर्ति योग्य रू० 2,36,485-00 (रूपये दो लाख छत्तीस हजार चार सौ
पिच्चासी मात्र) अर्थात् कुल धनराशि रू० 7,51,517-00 (रूपये सात लाख इक्यावन हजार पांच सौ
सत्रह मात्र) की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्तानुसार धनराशि स्वीकृत करने से पूर्व सम्बन्धित से इस आशय का प्रमाण-पत्र
प्राप्त कर लिया जाएगा कि उनके द्वारा उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु दावा प्रथम बार
प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित करा लिया जाये
कि श्री जगवीर सिंह भण्डारी, स०अ०, द्वारा चिकित्सा उपचार हेतु कोई अग्रिम धनराशि प्राप्त नहीं
की गयी है, यदि कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत की गयी हो, तो उस धनराशि को समायोजित
करते हुए ही अवशेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक की अनुदान
संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-
राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-बेसिक शिक्षा परिषद् का राजकीयकरण के अन्तर्गत मानक
मद-00-27 -चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित
किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का
कष्ट करें। संलग्न-समस्त बिल बाउचर मूल रूप में।

भवदीय


(आर.के. कुंवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

क्रमशः-2

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा०शि०) टिहरी गढ़वाल।

पत्रांक प्रा०शि०से०-2(5)/6875/चि०प्र०पू०-280(91)/2018-19 दिनांक 09 जुलाई, 2018

बिषय:- श्री सत्येन्द्र कुमार, स०अ०, रा०प्रा०वि० डोडग थापला वि०ख० प्रतापनगर जनपद टिहरी गढ़वाल का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) टिहरी गढ़वाल के पत्र संख्या: प्रा०शि०-2/7172-74/2016-17 दिनांक 20 दिसम्बर, 2016 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या : 61/XXVII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि०-3-2006-437/2002, दिनांक 04-09-2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार श्री सत्येन्द्र कुमार, स०अ०, रा०प्रा०वि० डोडग थापला वि०ख० प्रतापनगर जनपद टिहरी गढ़वाल का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- मैट्रो हॉस्पिटल हरिद्वार में दिनांक 25.02.2016 से दिनांक 27.02.2016 तक अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार के दावों पर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढ़वाल मण्डल पौड़ी द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रू० 1,56,970-00 (रू० एक लाख छप्पन हजार नौ सौ सहत्तर मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

2- उक्तानुसार धनराशि स्वीकृत करने से पूर्व सम्बन्धित से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाएगा कि उनके द्वारा उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु दावा प्रथम बार प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित करा लिया जाये कि श्री सत्येन्द्र कुमार, स०अ० द्वारा चिकित्सा उपचार हेतु कोई अग्रिम धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है, यदि कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत की गयी हो, तो उसे धनराशि को समायोजित करते हुए ही अवशेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-वैसिक शिक्षा परिषद् का राजकीयकरण के अन्तर्गत मानक मद-00-27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आदेश द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स रू० रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय के प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न-समस्त बिल वाउचर्स रू० रूप में।

भवदीय

(आर.के.ए. कुर्वर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

क्रमशः-2

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा०शि०) टिहरी गढ़वाल।

पत्रांक प्रा०शि०से०-2(5)/6867-74 /चि०प्र०पू०-313(107)/2018-19 दिनांक 09 जुलाई, 2018
विषय:- श्री भगवान सिंह, प्र०अ०, रा०प्रा०वि० लिंग्वाणा वि०ख० देवप्रयाग जनपद टिहरी गढ़वाल
का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप शिक्षा अधिकारी वि०ख० देवप्रयाग, टिहरी गढ़वाल के पत्र संख्या: 380/चि०प्र०पू०/2016-17 दिनांक 02 नवम्बर 2017 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या : 61/XXVII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि०-3-2006- 437/2002, दिनांक 04-09-2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार श्री भगवान सिंह, प्र०अ०, रा०प्रा०वि० लिंग्वाणा वि०ख० देवप्रयाग जनपद टिहरी गढ़वाल का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- फोर्टिस हॉस्पिटल देहरादून में दिनांक 17.08.2016 से दिनांक 12.10.2016 (दिनांक 17.08.16 से 22.8.16 तक अन्तः रोगी एवं दिनांक 02.09.16 से 12.10.16 तक वाह्य रोगी) के रूप में कराये गये उपचार के दावों पर निदेशक, महानिदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रू० 2,75,412-00 (रू० दो लाख पचहत्तर हजार चार सौ बारह मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-


2- उक्तानुसार धनराशि स्वीकृत करने से पूर्व सम्बन्धित से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाएगा कि उनके द्वारा उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु दावा प्रथम बार प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित करा लिया जाये कि श्री भगवान सिंह, प्र०अ०, द्वारा चिकित्सा उपचार हेतु कोई अग्रिम धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है, यदि कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत की गयी हो, तो उस धनराशि को समायोजित करते हुए ही अवशेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-बेसिक शिक्षा परिषद् का राजकीयकरण के अन्तर्गत मानक मद-00-27 -चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न-समस्त बिल बाउचर मूल रूप में।

भवदीय


(आर.के.कुंवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

क्रमशः-2

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

मुख्य कोषाधिकारी
कोषागार-देहरादून

पत्रांक प्रा0शि0से0-2(5)/6860-66/चि0प्र0पू0-370(119)/2018-19 दिनांक 9 जुलाई, 2018
विषय:- श्रीमती देवेश्वरी बहुगुणा (से0नि0) स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 मेहूवाला वि0ख0 रायपुर
जनपद देहरादून का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार पर हुए व्यय की स्वीकृति के
सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) देहरादून के पत्र संख्या: प्रब0राज
बेसिक-2/14958/चि0प्र0पू0/2017-18 दिनांक 07.मार्च.2017 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासनादेश
संख्या : 61/XXVII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन)
एवं चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि0-3-2006- 437/2002, दिनांक
04-09-2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार श्रीमती देवेश्वरी बहुगुणा (से0नि0) स0अ0,
रा0उ0प्रा0वि0 मेहूवाला वि0ख0 रायपुर जनपद देहरादून का प्रदेश के भीतर चिकित्सा
संस्थान-मैक्स हॉस्पिटल, देहरादून में दिनांक 22.02.2017 से दिनांक 28.02.2017 तक अन्तः रोगी
एवं दिनांक 14.4.2017 से दिनांक 18.11.2017 तक बाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार के
दावे पर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महानिदेशालय, देहरादून द्वारा प्रतिपूर्ति
योग्य संस्तुत कुल रू0 2,66,788-00 (रू0 दो लाख छियासठ हजार सात सौ अठासी मात्र) की
निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है:-


2- शासनादेश दिनांक 04.09.2006 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि के
आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि यदि श्रीमती देवेश्वरी बहुगुणा (से0नि0), स0अ0
को प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में कोई अग्रिम चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय की धनराशि स्वीकृत की गयी
हो तो उक्त धनराशि को समायोजित करने के उपरान्त ही स्वीकृत धनराशि का आहरण करते
हुये अवशेष धनराशि को यथाशीघ्र कोषागार में जमा करने का कष्ट करें।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक के
अनुदान संख्या-07 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ,
01-सिविल-800-अन्य व्यय 04- राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के
विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता (उत्तराखण्ड)-02-उत्तराखण्ड राज्याधीन-42- अन्य के
अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) देहरादून द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स
मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में
अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय


(आर.के.कुंवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

क्रमशः-2

पंजीकृत

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा०शि०) देहरादून।

पत्रांक प्रा०शि०से०-2(5)/ 6883⁹⁰/चि०प्र०पू०-45/2018-19 दिनांक 09 जुलाई, 2018
विषय:- श्री मदन मोहन जोशी, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० भाटगढ़ी वि०ख० चकराता जनपद
देहरादून के पुत्र श्री देवेश जोशी का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार की स्वीकृति
के सम्बन्ध में।

महोदय,


उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) देहरादून के पत्र संख्या:
रा०प्र०वे०-2/13916/चि०प्र०पू०/2017-18 दिनांक 29 नवम्बर, 2017 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर
शासनादेश संख्या : 61/XXVII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड
वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा
अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि०-3-2006- 437/2002, दिनांक 04-09-2006 में
निहित प्राविधानों के अनुसार श्री मदन मोहन जोशी, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० भाटगढ़ी वि०ख०
चकराता जनपद देहरादून के पुत्र श्री देवेश जोशी का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान-
हिमालयन हॉस्पिटल देहरादून में दिनांक 23.10.2014 से दिनांक 20.11.2014 तक अन्तः रोगी के
रूप में कराये गये उपचार के दावों पर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रू० 2,07,010-00
(रू० दो लाख सात हजार दस मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों
एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

2- उक्तानुसार धनराशि स्वीकृत करने से पूर्व सम्बन्धित से इस आशय का प्रमाण-पत्र
प्राप्त कर लिया जाएगा कि उनके द्वारा उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु दावा प्रथम बार
प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित करा लिया जाये
कि श्री मदन मोहन जोशी, स०अ०, द्वारा चिकित्सा उपचार हेतु कोई अग्रिम धनराशि प्राप्त नहीं की
गयी है, यदि कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत की गयी हो, तो उस धनराशि को समायोजित करते
हुए ही अवशेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक की अनुदान
संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-
राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-बेसिक शिक्षा परिषद् का राजकीयकरण के अन्तर्गत मानक
मद-00-27 -चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित
किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का
कष्ट करें। संलग्न-समस्त बिल बाउचर मूल रूप में।

भवदीय


(आरू.कै.कुंवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा0शि0) पौड़ी गढ़वाल।

पत्रांक प्रा0शि0से0-2(5)/7108-94/चि0प्र0पू0-167(24)/2018-19 दिनांक/2 जुलाई, 2018
विषय:- श्री धीरजपाल, स0अ0, रा0प्रा0वि0 छतिण्डा, वि0ख0 द्वारीखाल जनपद पौड़ी गढ़वाल
का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) पौड़ी गढ़वाल के पत्र संख्या: 04
बे0पेंशन/415-16/चि0प्र0पू0/2017-18 दिनांक 27 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर
शासनादेश संख्या : 61/XXVII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड
वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा
अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि0-3-2006-437/2002, दिनांक 04-09-2006 में
निहित प्राविधानों के अनुसार श्री धीरजपाल, स0अ0, रा0प्रा0वि0 छतिण्डा, वि0ख0 द्वारीखाल
जनपद पौड़ी गढ़वाल का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- भारत हार्ट सेन्टर देहरादून में
दिनांक 24.07.2016 से दिनांक 31.07.2016 तक अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार के दावों
पर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा
प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रू0 3,29,046-00 (रू0 तीन लाख उनतीस हजार छियालीस
मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन
स्वीकृति प्रदान की जाती है:-


2- उक्तानुसार धनराशि स्वीकृत करने से पूर्व सम्बन्धित से इस आशय का प्रमाण-पत्र
प्राप्त कर लिया जाएगा कि उनके द्वारा उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु दावा प्रथम बार
प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित करा लिया जाये
कि श्री धीरजपाल, स0अ0, द्वारा चिकित्सा उपचार हेतु कोई अग्रिम धनराशि प्राप्त नहीं की गयी
है, यदि कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत की गयी हो, तो उस धनराशि को समायोजित करते हुए ही
अवशेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक की अनुदान
संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-
राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-बेसिक शिक्षा परिषद का राजकीयकरण के अन्तर्गत मानक
मद-00-27 -चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित
किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का
कष्ट करें।

संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय


(आर.के. कौवर) 07.18

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

क्रमशः-2

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेडा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा०शि०) पौड़ी गढ़वाल।

पत्रांक प्रा०शि०से०-2(5)/~~1010/18~~ /चि०प्र०पू०-246(52)/2018-19 दिनांक 10 जुलाई, 2018
विषय:- श्रीमती कमला देवी माता श्री सन्दीप कुमार, स०अ०, रा०प्रा०वि० मदनपुर वि०ख०
द्वारीखाल जनपद पौड़ी गढ़वाल का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार की स्वीकृति
के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) पौड़ी गढ़वाल के पत्र संख्या:
04दे०पे०/5639-41/चि०प्र०पू०/2017-18 दिनांक 25 अगस्त, 2017 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर
शासनादेश संख्या : 61/XXVII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड
वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा
अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि०-3-2006- 437/2002, दिनांक 04-09-2006 में
निहित प्राविधानों के अनुसार श्रीमती कमला देवी माता श्री सन्दीप कुमार, स०अ०, रा०प्रा०वि०
मदनपुर वि०ख० द्वारीखाल जनपद पौड़ी गढ़वाल का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- फोर्टिस
हॉस्पिटल देहरादून में दिनांक 22.03.2017 से दिनांक 25.02.2017 तक अन्तः रोगी के रूप में
कराये गये उपचार के दावों पर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढ़वाल मण्डल
पौड़ी द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रू० 1,71,316-00 (रू० एक लाख इकोहत्तर
हजार तीन सौ सोलह मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं
प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-


2- उक्तानुसार धनराशि स्वीकृत करने से पूर्व सम्बन्धित से इस आशय का प्रमाण-पत्र
प्राप्त कर लिया जाएगा कि उनके द्वारा उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु दावा प्रथम बार
प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित करा लिया जाये
कि श्री सन्दीप कुमार, स०अ०, द्वारा चिकित्सा उपचार हेतु कोई अग्रिम धनराशि प्राप्त नहीं की
गयी है, यदि कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत की गयी हो, तो उस धनराशि को समायोजित करते
हुए ही अवशेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक की अनुदान
संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-
राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-बेसिक शिक्षा परिषद् का राजकीयकरण के अन्तर्गत मानक
मद-00-27 -चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित
किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का
कष्ट करें।

संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय


(आ.प्र.के.ए.ए.ए.ए.)
दिनांक 10/7/18

निदेशक,

 प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
क्रमशः-2

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

मुख्य कोषाधिकारी
कोषागार-देहरादून

पत्रांक प्रा0शि0से0-2(5)/1032-38 /चि0प्र0पू0-327(95)/2018-19 दिनांक 10 जुलाई, 2018
विषय:- श्री ज्ञान चन्द, (से0नि0) प्र0अ0, रा0प्रा0वि0 हिन्दूवाला, वि0ख0 विकासनगर जनपद
देहरादून का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार पर हुए व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध
में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) देहरादून के पत्र संख्या:
रा0प्र0वे0/13107-08/चि0प्र0पू0/2017-18 दिनांक 06.12.2017 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर
शासनादेश संख्या : 61/XXVII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 (वित्तीय अधिकारों का
प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि0-3-2006- 437/2002,
दिनांक 04-09-2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार श्री ज्ञान चन्द, (से0नि0) प्र0अ0, रा0प्रा0वि0
हिन्दूवाला, वि0ख0 विकासनगर जनपद देहरादून का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान-श्री महंत
इन्द्रेश हॉस्पिटल, देहरादून में दिनांक 30.03.2017 से दिनांक 04.04.2017 तक अन्तः रोगी के रूप
में कराये गये उपचार के दावे पर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल
द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य संस्तुत कुल रू0 1,70,866-00 (रू0 एक लाख सहत्तर हजार आठ सौ छासठ
मात्र) की निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

2- शासनादेश दिनांक 04.09.2006 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि के
आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि यदि श्री ज्ञान चन्द, (से0नि0) प्र0अ0, को
प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में कोई अग्रिम चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय की धनराशि स्वीकृत की गयी हो
तो उक्त धनराशि को समायोजित करने के उपरान्त ही स्वीकृत धनराशि का आहरण करते हुये
अवशेष धनराशि को यथाशीघ्र कोषागार में जमा करने का कष्ट करें।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक के
अनुदान संख्या-07 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ,
01-सिविल-800-अन्य व्यय 04- राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के
विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता (उत्तराखण्ड)-02-उत्तराखण्ड राज्याधीन-42- अन्य के
अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) देहरादून द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स
मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में
अग्रोत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय

(आर.के. कुंठ) 7-19
निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

क्रनश:-2

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा०शि०) रुद्रप्रयाग

पत्रांक प्रा०शि०से०-2(5)/105/10 /चि०प्र०पू०-364(116)/2018-19 दिनांक 10 जुलाई, 2018
विषय:- श्री कवीन्द्र प्रसाद थपलियाल, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० पपडासू वि०ख० जखोली जनपद
रुद्रप्रयाग का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) रुद्रप्रयाग के पत्र संख्या: 8323-24/सेवा-02/चि०प्र०पू०/2017-18 दिनांक 23 फरवरी, 2018 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या : 61/XXVII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि०-3-2006-437/2002, दिनांक 04-09-2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार श्री कवीन्द्र प्रसाद थपलियाल, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० पपडासू वि०ख० जखोली जनपद रुद्रप्रयाग का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- कनिष्क हॉस्पिटल देहरादून में दिनांक 25.10.2017 से दिनांक 27.10.2017 तक अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार के दावों पर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढ़वाल मण्डल पौड़ी द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रू० 1,77,623-00 (रू० एक लाख सतहत्तर हजार छः सौ तेईस मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

2- उक्तानुसार धनराशि स्वीकृत करने से पूर्व सम्बन्धित से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाएगा कि उनके द्वारा उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु दावा प्रथम बार प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित करा लिया जाये कि श्री कवीन्द्र प्रसाद थपलियाल, स०अ० द्वारा चिकित्सा उपचार हेतु कोई अग्रिम धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है, यदि कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत की गयी हो, तो उस धनराशि को समायोजित करते हुए ही अवशेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-बेसिक शिक्षा परिषद् का राजकीयकरण के अन्तर्गत मानक मद-00-27 -चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय

(आर.के.कुँवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

क्रमशः-2

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा०शि०) उधमसिंह नगर।

पत्रांक प्रा०शि०से०-2(5) / 7311-98 / चि०प्र०पू०-164 / 2018-19 दिनांक 07 जुलाई, 2018
विषय:- श्री राकेश सिंह, प्र०अ०, रा०प्रा०वि० बाबरखेड़ा, जसपुर जनपद उधमसिंह नगर का प्रदेश के बाहर कराये गये उपचार की कार्योत्तर अनुमति / स्वीकृति के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) उधमसिंह नगर के पत्र संख्या: 980-81 / चि०प्र०पू० / 2017-18 दिनांक 06 मई, 2017 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या : 42 / XXVII(1)18 / 42 / 2018 दिनांक 09 मई, 2018 द्वारा कार्योत्तर अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश संख्या : 61 / XXVII(7)36 / 2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679 / चि०-3-2006- 437 / 2002, दिनांक 04-09-2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार श्री राकेश सिंह, प्र०अ०, रा०प्रा०वि० बाबरखेड़ा, जसपुर जनपद उधमसिंह नगर का प्रदेश के बाहर चिकित्सा संस्थान- मेदान्ता हॉस्पिटल, गुडगांव में दिनांक 20.04.2015 से दिनांक 02.06.2015 तक कराये गये उपचार के दावों पर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रू० 1,66,450-00 (रू० एक लाख छियासठ हजार चार सौ पचास मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

2- उक्तानुसार धनराशि स्वीकृत करने से पूर्व सम्बन्धित से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाएगा कि उनके द्वारा उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु दावा प्रथम बार प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित करा लिया जाये कि श्री राकेश सिंह, प्र०अ० द्वारा चिकित्सा उपचार हेतु कोई अग्रिम धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है, यदि कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत की गयी हो, तो उस धनराशि को समायोजित करते हुए ही अवशेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-बेसिक शिक्षा परिषद् का राजकीयकरण के अन्तर्गत मानक मद-00-27 -चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय


(आर.के. कुँवर) 7.18

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

क्रमांक-2

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा०शि०) देहरादून।

पत्रांक प्रा०शि०से०-2(5)/7691-97/चि०प्र०पू०-219(07)/2018-19 दिनांक 14 जुलाई, 2018
विषय:- श्री आनन्द शंकर थपलियाल, पति श्रीमती निवेदिता थपलियाल, स०अ०, रा०प्रा०वि०
नगरक्षेत्र-01, ऋषिकेश देहरादून का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार की स्वीकृति
के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) देहरादून के पत्र संख्या:
रा०प्र०वे०/13017-08/चि०प्र०पू०/2017-18 दिनांक 06 दिसम्बर, 2017 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर
शासनादेश संख्या : 61/XXVII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड
वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा
अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि०-3-2006-437/2002, दिनांक 04-09-2006 में
निहित प्राविधानों के अनुसार श्री आनन्द शंकर थपलियाल, पति श्रीमती निवेदिता थपलियाल,
स०अ०, रा०प्रा०वि० नगरक्षेत्र-01, ऋषिकेश देहरादून का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- मैक्स
हॉस्पिटल, देहरादून में दिनांक 23.04.2015 से दिनांक 28.04.2015 तक अन्तः रोगी के रूप में
कराये गये उपचार के दावों पर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय,
उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रू० 2,15,156-00 (रू० दो लाख
पन्द्रह हजार एक सौ छप्पन मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों
एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-


2- उक्तानुसार धनराशि स्वीकृत करने से पूर्व सम्बन्धित से इस आशय का प्रमाण-पत्र
प्राप्त कर लिया जाएगा कि उनके द्वारा उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु दावा प्रथम बार
प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित करा लिया जाये
कि श्रीमती निवेदिता थपलियाल, स०अ०, द्वारा चिकित्सा उपचार हेतु कोई अग्रिम धनराशि प्राप्त
नहीं की गयी है, यदि कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत की गयी हो, तो उस धनराशि को समायोजित
करते हुए ही अवशेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक्र की अनुदान
संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सानान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-
राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-बेसिक शिक्षा परिषद् का राजकीयकरण के अन्तर्गत मानक
मद-00-27 -चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित
किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का
कष्ट करें।

संलग्न-समस्त बिल बाउचर मूल रूप में।

भवदीय


(आर.के.कुंभार)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी

(प्रा०शि०) टिहरी गढ़वाल

पत्रांक प्रा०शि०से०-2(5)/2399-8506/चि०प्र०पू०-327(90)/2018-19 दिनांक 30 जुलाई, 2018

बिषय:- श्रीमती शकुन्तला डबराल, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० धिल्डियालघार, वि०ख० देवप्रयाग जनपद टिहरी गढ़वाल के पति स्व० राजेन्द्र प्रसाद डबराल का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप शिक्षा अधिकारी वि०ख० देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल के पत्र संख्या: /45/चि०प्र०पू०/2018-19 दिनांक 24 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या : 61/XXVII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि०-3-2006-437/2002, दिनांक 04-09-2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार श्रीमती शकुन्तला डबराल, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० धिल्डियालघार, वि०ख० देवप्रयाग जनपद टिहरी गढ़वाल के पति स्व० राजेन्द्र प्रसाद डबराल का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- सिनर्जी हॉस्पिटल देहरादून में दिनांक 02.01.2016 से दिनांक 09.01.2016 तक अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार के दावों पर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रू० 1,88,076-00 (रू० एक लाख अठासी हजार छियत्तर मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

2- उक्तानुसार धनराशि स्वीकृत करने से पूर्व सम्बन्धित से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाएगा कि उनके द्वारा उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु दावा प्रथम बार प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित करा लिया जाये कि श्रीमती शकुन्तला डबराल, स०अ०, द्वारा चिकित्सा उपचार हेतु कोई अग्रिम धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है, यदि कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत की गयी हो, तो उस धनराशि को समायोजित करते हुए ही अवशेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-बेसिक शिक्षा परिषद् का राजकीयकरण के अन्तर्गत मानक मद-00-27 -चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रोत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। संलग्न-समस्त बिल बाउचर मूल रूप में।

भवदीय


(आर.क. कुंवर)
07.18

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

क्रमांक-2

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा०शि०) देहरादून।

पत्रांक प्रा०शि०से०-2(5)/8448/55 /चि०प्र०पू०-137(11)/2018-19 दिनांक 19 जुलाई, 2018

विषय:- श्रीमती वन्दना शर्मा उस्मानी, स०अ०, रा०प्रा०वि० सैसा, वि०ख० कालसी जनपद देहरादून का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) देहरादून के पत्र संख्या: रा०प्र०वे०-1/10945-48/चि०प्र०पू०/2017-18 दिनांक 08 सितम्बर, 2017 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या : 61/XXVII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि०-3-2006-437/2002, दिनांक 04-09-2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार श्रीमती वन्दना शर्मा उस्मानी, स०अ०, रा०प्रा०वि० सैसा, वि०ख० कालसी जनपद देहरादून का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- मैक्स हॉस्पिटल, देहरादून में दिनांक 27.02.2016 से दिनांक 02.03.2016 तक अन्तः रोगी एवं दिनांक 06.04.2016 तक वाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार के दावों पर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रू० 2,51,464-00 (रू० दो लाख इक्यावन हजार चार सौ चौसठ मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-


2- उक्तानुसार धनराशि स्वीकृत करने से पूर्व सम्बन्धित से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाएगा कि उनके द्वारा उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु दावा प्रथम बार प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित करा लिया जाये कि श्रीमती वन्दना शर्मा उस्मानी, स०अ०, द्वारा चिकित्सा उपचार हेतु कोई अग्रिम धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है, यदि कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत की गयी हो, तो उस धनराशि को समायोजित करते हुए ही अवशेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-बेसिक शिक्षा परिषद् का राजकीयकरण के अन्तर्गत मानक मद-00-27 -चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

मवदीय


(आयुक्त, देहरादून)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेडा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा०शि०) टिहरी गढ़वाल।

पत्रांक प्रा०शि०से०-2(5)/2465-72/चि०प्र०पू०-249(74)/2018-19 दिनांक 1 जुलाई, 2018
विषय:- श्री दिनेश प्रसाद थपलियाल, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० सिलेती वि०ख० देवप्रयाग टिहरी
गढ़वाल का प्रदेश के बाहर कराये गये उपचार की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) टिहरी गढ़वाल के पत्र संख्या:
/182/चि०प्र०पू०/2017-18 दिनांक 24 मई, 2017 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासन के पत्र संख्या
: एम०आर०-56/xxiv(18)/135/2018 दिनांक 25 जून, 2018 द्वारा कार्योत्तर अनुमति प्राप्त होने
उपरान्त शासनादेश संख्या : 61/xxvii(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रख्यापित
उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं
चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि०-3-2006-437/2002, दिनांक
04-09-2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार श्री दिनेश प्रसाद थपलियाल, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि०
सिलेती वि०ख० देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल का प्रदेश के बाहर चिकित्सा संस्थान- फोर्टिस
हॉस्पिटल, नई दिल्ली में दिनांक 10.01.2016 से दिनांक 13.01.2016 तक अन्तः रोगी के रूप में
कराये गये उपचार के दावों पर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय,
उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रु० 1,56,524-00 (रु० एक लाख
छप्पन हजार पाच सौ चौबीस मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों
एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-


2- उक्तानुसार धनराशि स्वीकृत करने से पूर्व सम्बन्धित से इस आशय का प्रमाण-पत्र
प्राप्त कर लिया जाएगा कि उनके द्वारा उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु दावा प्रथम बार
प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित करा लिया जाये
कि श्री दिनेश प्रसाद थपलियाल, स०अ०, द्वारा चिकित्सा उपचार हेतु कोई अग्रिम धनराशि प्राप्त
नहीं की गयी है, यदि कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत की गयी हो, तो उस धनराशि को समायोजित
करते हुए ही अवशेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक की अनुदान
संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशुल्क 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-
राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-बेसिक शिक्षा परिषद् का राजकीयकरण के अन्तर्गत मानक
मद-00-27 -चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित
किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का
कष्ट करें।

संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय


(आर.के. कुंवर) 18
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

कमरा:-2


कार्यालय: निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
आदेश संख्या: प्रा0शि0-2(5)/ 256 / 238(71)/2018-19 दिनांक 06/01/2018
कार्यालय-ज्ञाप

शासन के पत्र संख्या : एम0आर0-16/XXIV(1)18/17/91/2017 दिनांक 30 जनवरी, 2018 एवं निदेशालय के पत्र संख्या : 29997-30004 दिनांक 05 मार्च, 2018 जिसके द्वारा श्रीमती सन्तोष, स0अ0, रा0प्रा0वि0 डण्डा मल्ला वि0ख0 एकेश्वर जनपद पौड़ी गढ़वाल का प्रदेश के बाहर चिकित्सा संस्थान- बेलेटिस कैंसर हॉस्पिटल मेरठ उत्तर-प्रदेश में अन्तः रोगी के रूप में कराये उपचार के दावों पर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महानिदेशालय द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रू0 2,53,313-00 (रू0 दो लाख तिरपन हजार तीन सौ तेरह मात्र) धनराशि की वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में बजट के अभाव में प्रश्नगत प्रकरण का भुगतान न होने पर जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) पौड़ी गढ़वाल के पत्र संख्या : 2563-64 दिनांक 21 मई, 2018 द्वारा वित्तीय वर्ष संशोधित किए जाने का अनुरोध किया गया है। शासनादेश संख्या : 61/XXVII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) के भाग-2 नियम 1(II) में " विभागाध्यक्ष को किसी एक कार्मिक पेंशनर के मामले में रू0 5,00,000(पांच लाख) की सीमा एवं भाग-2 नियम 1(III) कार्यालयाध्यक्ष को किसी एक कार्मिक/पेंशनर के मामले में रू0 1,50,000 (एक लाख पचास हजार) की सीमा तक प्रत्येक प्राधिकार प्रदान किया गया है।

अतः उक्त उल्लिखित पत्र दिनांक 30 जनवरी, 2018 के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण की स्वीकृति हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के स्थान पर वित्तीय वर्ष 2018-19 संशोधित किया जाता है। और इसके शेष प्राविधान व शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।


भवदीय


(आर.क. कुंवर)
दिनांक 06/01/18

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

पू0सं0 प्रा0शि0-2(5)/ 9027-33 / 238(71)/2018-19 तददिनांक।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
- 3- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार-पौड़ी।
- 5- उप शिक्षा अधिकारी, वि0ख0 एकेश्वर, पौड़ी गढ़वाल।
- 7- श्रीमती सन्तोष, स0अ0, रा0प्रा0वि0 डण्डा मल्ला, एकेश्वर जनपद पौड़ी गढ़वाल।
- 8- कार्यालय गार्ड फाइल।


(आर.क. कुंवर)
दिनांक 06/01/18

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

पंजीकृत

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेडा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा0शि0) उत्तरकाशी।

पत्रांक प्रा0शि0से0-2(5)/1026/36/चि0प्र0पू0-78(25)/2018-19 दिनांक 12 अगस्त, 2018

विषय:- श्री प्रकाश चन्द्र नौटियाल, समन्वयक, सी0आर0सी0-सांकारी वि0ख0 मोरी जनपद उत्तरकाशी का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप शिक्षा अधिकारी वि0ख0 मोरी जनपद उत्तरकाशी के पत्र संख्या /45/चि0प्र0पू0/2018-19 दिनांक 24 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या 81/XXVII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन)एव चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि0-3-2006- 437/2002, दिनांक 04-09-2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार श्री प्रकाश चन्द्र नौटियाल, समन्वयक, सी0आर0सी0-सांकारी वि0ख0 मोरी जनपद उत्तरकाशी का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- भारत हार्ट सेन्टर देहरादून में दिनांक 27.09.2017 से दिनांक 30.09.2017 तक अन्तः रागी के रूप में कराये गये उपचार के दावे पर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रू0 1,68,971-00 (रू0 एक लाख अड़सठ हजार नौ सौ इकहत्तर मात्र) एवं दिनांक 07.10.2017 से दिनांक 12.01.2018 तक बाह्य रागी के रूप में कराये गये उपचार के दावों पर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रू0 10,093-00 (रू0 दस हजार तिरानबे मात्र) अर्थात् कुल संस्तुत धनराशि रू0 1,79,064-00 (रू0 एक लाख उनसठ हजार चौंसठ मात्र) की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

2- उक्तानुसार धनराशि स्वीकृत करने से पूर्व सम्बन्धित से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाएगा कि उनके द्वारा उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु दावा प्रथम बार प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित करा लिया जाये कि श्रीमती शकुन्तला डबराल, सी0आ0, द्वारा चिकित्सा उपचार हेतु कोई अग्रिम धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है, यदि कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत की गयी हो, तो उस धनराशि को समायाजित करते हुए ही अवशेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-बेसिक शिक्षा परिषद का राजकीयकरण के अन्तर्गत मानक मड-00-27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रोत्तर आदेश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। संलग्न-समस्त बिल बाउचर मूल रूप में।

भवदीय

(आर.के.कुंवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

कमरा-2

847
24/8/2018

संख्या: M.R. 81 / XXIV(1)18 / 185 / 2016

प्रेषक,

डॉ० भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून ।

U.D. लेका - 2
कृ. नारायणी
24/8

बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग

देहरादून: दिनांक: 23 अगस्त, 2018

विषय:— श्रीमती सुधरा राठौर (गृहीता), सं० अ०. रा० प्रा० वि० कुंजा, वि० ख० विकासनगर देहरादून एवं श्रीमती नमीता (दानदाता) का प्रदेश के बाहर कराये गये उपचार पर हुए व्यय की स्वीकृति विषयक ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: प्रा० शि० सं० -2(5) / 30634 / चि० प्र० पू० 152(44)2017-18 दिनांक 15 मार्च, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्रीमती सुधरा राठौर (गृहीता), सं० अ०. रा० प्रा० वि० कुंजा, वि० ख० विकासनगर देहरादून का प्रदेश के बाहर चिकित्सा संस्थान - मेदान्ता हॉस्पिटल गुडगांव में दिनांक 26-03-2016 से दिनांक 15-04-2016 तक अन्तः रोगी के रूप में एवं दिनांक 16-4-2016 से दिनांक 10-5-2016 तक बाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार के दायें पर हुए व्यय के सापेक्ष निदेशक (चिकित्सा स्वास्थ्य) महानिदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा कुल संस्तुत ₹ 19,60,888-00 (रुपये उन्नीस लाख, साठ हजार आठ सौ अठासी मात्र) धनराशि की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- इस सम्बन्ध में चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 04-9-2006 एवं इसके बाद निर्गत अन्य सभी शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कर लिया जाय।

3- आहरण वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संलग्न बीजकों का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है एवं इस हेतु कोई अग्रिम धनराशि अन्य स्रोतों से नहीं ली गई हो।

4. उक्त स्वीकृत धनराशि का चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक की अनुदान सं०-11- के अधीन लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत मानक मद-00-27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मत्तदेय अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

5. यह आदेश उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) (वर्ष 2018) दिनांक 02 अप्रैल, 2018 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोक्त ।

भवदीय,

(डॉ० भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव ।

24

श्री राठौर
कृ. नारायणी
24/8

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा०शि०) देहरादून।

पत्रांक प्रा०शि०से०-2(5)/10734-41/चि०प्र०पू०-97(32)/2018-19 दिनांक 21 अगस्त, 2018
विषय:- श्रीमती वन्दना कर्णवाल, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० बालगंज वि०ख० सहसपुर जनपद देहरादून
के पुत्र अंशुल का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,


उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) देहरादून के पत्र संख्या: प्रब०राज
बेसिक-2/200/2017-18 दिनांक 11 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या :
61/XXVII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका
खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या:
679/चि०-3-2006-437/2002, दिनांक 04-09-2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार श्रीमती वन्दना
कर्णवाल, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० बालगंज वि०ख० सहसपुर जनपद देहरादून के पुत्र अंशुल का प्रदेश के
भीतर चिकित्सा संस्थान- मैक्स हॉस्पिटल देहरादून में दिनांक 22.09.2017 से दिनांक 30.09.2017 तक
अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार के दावों पर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
महानिदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रू० 3,28,621-00 (रू०
तीन लाख अठाईस हजार छः सौ इक्कीस मात्र) की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं
प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

2- उक्तानुसार धनराशि स्वीकृत करने से पूर्व सम्बन्धित से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त
कर लिया जाएगा कि उनके द्वारा उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु दावा प्रथम बार प्रस्तुत किया
गया है। साथ ही उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित करा लिया जाये कि श्रीमती वन्दना
कर्णवाल, स०अ० द्वारा चिकित्सा उपचार हेतु कोई अग्रिम धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है, यदि कोई
धनराशि पूर्व में स्वीकृत की गयी हो, तो उस धनराशि को समायोजित करते हुए ही अवशेष धनराशि का
भुगतान किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक की अनुदान
संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-
राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-बेसिक शिक्षा परिषद का राजकीयकरण के अन्तर्गत मानक मद-00-27
-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा
रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
संलग्न-समस्त बिल बाउचर मूल रूप में।

भवदीय


(आर.के. कुंभर) 18

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

क्रमशः-2

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा०शि०) टिहरी गढ़वाल।

पत्रांक प्रा०शि०से०-दो(5)/12163-70/चि०प्र०पू०-360(115)/2018-19 दिनांक 10^{अप्रैल} 2018
विषय:- स्व० मुरारी लाल, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० बंगार वि०ख० जौनपुर टिहरी गढ़वाल का प्रदेश के
भीतर कराये गये उपचार की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप शिक्षा अधिकारी वि०ख० जौनपुर, टिहरी गढ़वाल के पत्र संख्या:
/189/चि०प्र०पू०/2018-19 दिनांक 27 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या:
61/XXVII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका
खण्ड-01-2018 (वित्तीय-अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या:
679/चि०-3-2006-437/2002, दिनांक 04-09-2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्व० मुरारी
लाल, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० बंगार वि०ख० जौनपुर टिहरी गढ़वाल का प्रदेश के भीतर चिकित्सा
संस्थान- श्री महंत इन्द्रेश हॉस्पिटल देहरादून में दिनांक 20.01.2017 से दिनांक 28.01.2017 तक अन्त-
रोगी के रूप में कराये गये उपचार के दावों पर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढ़वाल
मण्डल पौड़ी द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रू० 1,52,928-00 (रू० एक लाख बावन हजार
नौ सौ अठाईस मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के
अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है।


2- उक्तानुसार धनराशि स्वीकृत करने से पूर्व सम्बन्धित से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त
कर लिया जाएगा कि उनके द्वारा उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु दावा प्रथम बार प्रस्तुत किया
गया है। साथ ही उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित करा लिया जाये कि स्व० मुरारी
लाल, स०अ०, द्वारा चिकित्सा उपचार हेतु कोई अग्रिम धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है। यदि कोई
धनराशि पूर्व में स्वीकृत की गयी हो, तो उस धनराशि को समायोजित करते हुए ही अवशेष धनराशि का
भुगतान किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक की अनुदान
संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-
राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-बेसिक शिक्षा परिषद् का राजकीयकरण के अन्तर्गत मानक मद-00-27
-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा
रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न-समस्त बिल बाउचर मूल रूप में।

भवदीय


(आर.के.कुब्ज) 18
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
क्रमशः-2

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा०शि०) देहरादून

पत्रांक प्रा०शि०से०-2(5)/12523-30/चि०प्र०पू०-152(44)/2018-19 दिनांक 12 अक्टूबर, 2018

विषय:- श्रीमती सुधा राठौर (गृहीता), स०अ०, रा०प्रा०वि० कुंजा वि०ख० विकासनगर जनपद देहरादून एवं श्रीमती नमीता (दानदाता) का प्रदेश के बाहर कराये गये उपचार की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) देहरादून के पत्र संख्या: रा०प्र०वे० /7988/2016-17 दिनांक 19 दिसम्बर, 2016 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासन के पत्र संख्या : एम०आर०-37/xxiv(1)18/2016 दिनांक 24 अप्रैल, 2018 द्वारा कार्योत्तर अनुमति एवं शासन के पत्र संख्या : एम०आर०-81/xxiv(1)18/185/2016 दिनांक 23 अगस्त, 2018 द्वारा श्रीमती सुधा राठौर (गृहीता), स०अ०, रा०प्रा०वि० कुंजा वि०ख० विकासनगर जनपद देहरादून एवं श्रीमती नमीता (दानदाता) का प्रदेश के बाहर चिकित्सा संस्थान- मेदान्ता हॉस्पिटल, गुडगांव में दिनांक 26.03.2016 से दिनांक 15.04.2016 तक अन्तः रोगी के रूप में एवं दिनांक दिनांक 16.04.2016 से दिनांक 10.05.2016 तक बाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार के दावे पर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रू० 19,60,888-00 (रू० उन्नीस लाख साठ हजार, आठ सौ अठारसी मात्र) धनराशि चिकित्सा की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।


2- इस सम्बन्ध में चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 04.09.2006 एवं इसके बाद निर्गत अन्य शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कर लिया जाय।

3- आहरण वितरण अधिकारी य सुनिश्चित करेंगे कि संलग्न बीजकों का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है एवं इस हेतु कोई अग्रिम धनराशि अन्य स्रोतों से नहीं ली गई है।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत मानक मद-00-27 -चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। संलग्न-समस्त बिल बाउचर मूल रूप में।

भवदीय


(आ.के.सुर्वर) 18

निदेशक,

 प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

कार्यालय: निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
आदेश संख्या प्रा0शि0-2(5)/ 329 /256(60)/2018-19 दिनांक 12 सितम्बर 2018
कार्यालय-ज्ञाप

शासन के पत्र संख्या : एम0आर0-139/XXIV(1)18/139/2017 दिनांक 07 मार्च 2018 एवं निदेशालय के पत्र संख्या : 31011-18 दिनांक 19 मार्च, 2018 जिसके द्वारा श्रीमती विभा स्तूडी, स0अ0, रा0प्रा0वि0 डला वि0ख0 रिखणीखाल पौड़ी गढ़वाल का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान-श्री महत इन्देश हॉस्पिटल देहरादून में दिनांक 29.4.2016 से दिनांक 08.07.2016 तक अन्तः रोगी के रूप में कराये उपचार के दावे पर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महानिदेशालय द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रू0 5,01,310-00 (रू0 पाँच लाख एक हजार तीन सौ दस मात्र) धनराशि की वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

उपरोक्त स्वीकृति के क्रम में जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) पौड़ी गढ़वाल के पत्र संख्या : 2563-64 दिनांक 21 मई, 2018 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण की वित्तीय वर्ष 2017-18 में बजट के अभाव में भुगतान नहीं हो पाया है। साथ ही अवगत कराया गया है कि वर्तमान में स्थानान्तरण के फलस्वरूप सम्बन्धित शिक्षका जनपद देहरादून के रा0प्रा0वि0 इन्देश नगर, नगर क्षेत्र, देहरादून में कार्यरत है।

तदक्रम में शासनादेश संख्या : एम0आर0 73/XXIV(1)139/2017 दिनांक 20 अगस्त, 2018 द्वारा प्रश्नगत प्रकरण की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2017-18 के स्थान पर वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं रा0प्रा0वि0 डला वि0ख0 रिखणीखाल पौड़ी गढ़वाल के स्थान पर रा0प्रा0वि0 इन्देश नगर, नगर क्षेत्र, देहरादून संशोधित किया गया है।

अतः श्रीमती विभा स्तूडी, स0अ0 का चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रस्ताव उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। शेष प्राविधान व शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।


भवदीय


(आर.के. कुर्बरी)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

पू0सं0 प्रा0शि0-2(5)/ 12516-22 /256(60)/2018-19 तददिनांक।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
- 3- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार-देहरादून।
- 5- उप शिक्षा अधिकारी, वि0ख0 रायपुर, देहरादून।
- 7- श्रीमती सन्तोष, स0अ0, रा0प्रा0वि0 इन्देश नगर, नगर क्षेत्र, देहरादून।
- 8- कार्यालय गार्ड फाइल।


(आर.के. कुर्बरी)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा0शि0) देहरादून।

पत्रांक प्रा0शि0से0-2(5)/13635-42/चि0प्र0पू0-219(07)/2018-19 दिनांक 19 अगस्त, 2018

विषय:- श्री आनन्द शंकर थपलियाल, पति श्रीमती निवेदिता थपलियाल, सं0अ0, (पूर्व 9विद्यालय-रा0प्रा0वि0 क्वांसी वि0ख0 चकराता) वर्तमान विद्यालय रा0प्रा0वि0 नगरक्षेत्र-01, ऋषिकेश देहरादून का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) देहरादून के पत्र संख्या रा0प्र0वे0/5484-85/चि0प्र0पू0/2017-18 दिनांक 01 जून, 2017 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या : 61/XXVII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हरत पुरितका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि0-3-2006-437/2002, दिनांक 04-09-2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार श्री आनन्द शंकर थपलियाल, पति श्रीमती निवेदिता थपलियाल, सं0अ0, (पूर्व विद्यालय-रा0प्रा0वि0 क्वांसी वि0ख0 चकराता) वर्तमान विद्यालय रा0प्रा0वि0 नगरक्षेत्र-01, ऋषिकेश देहरादून का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- भारत हार्ट सेन्टर देहरादून में दिनांक 17.12.2015 से दिनांक 24.12.2015 तक वाह्य रोगी एवं दिनांक 25.12.2015 से दिनांक 26.12.2015 तक अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार के दावों पर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रू0 2,08,874-00 (रू0 दो लाख आठ हजार आठ सौ चहोत्तर मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

2- उक्तानुसार धनराशि स्वीकृत करने से पूर्व सम्बन्धित से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाएगा कि उनके द्वारा उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु दावा प्रथम बार प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित करा लिया जाये कि श्री आनन्द शंकर थपलियाल, पति श्रीमती निवेदिता थपलियाल, सं0अ0, द्वारा चिकित्सा उपचार हेतु कोई अग्रिम धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है, यदि कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत की गयी है, तो उस धनराशि को समायोजित करते हुए ही अवशेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-बेसिक शिक्षा परिषद का राजकीयकरण के अन्तर्गत मानक मद-00-27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें।
संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय

(अ.के. कुंवर) 1.18

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

रूम नं.-2

प्रा0शि0से0-2(5)/

/ चि0प्र0पू0-219(07)/2018-19 तददिनांक।

कार्यालय: निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
आदेश संख्या प्रा0शि0-2(5)/ 360 /78(25)/2018-19 दिनांक 27 सितम्बर 2018

कार्यालय-ज्ञाप

निदेशालय के पत्र संख्या : प्रा0शि0से0-2(5)/10268-76/चि0प्र0पू0-78(25) /2018-19 दिनांक 10 अगस्त, 2018 जिसके द्वारा श्री प्रकाश चन्द्र नौटियाल, समन्वयक, सी0आर0सी0-सांकारी वि0ख0 मारी जनपद उत्तरकाशी का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान-भारत हार्ट सन्टर देहरादून में दिनांक 27.3.2017 से दिनांक 30.09.2017 तक अन्तः रोगी के रूप में कराये उपचार की संस्तुत धनराशि रू0 1,68,971-00 (रू0 एक लाख अड़सठ हजार नौ सौ इकहत्तर मात्र) एवं दिनांक 07.10.2017 से दिनांक 12.01.2018 तक वाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार की संस्तुत धनराशि रू0 10,093-00 (रू0 दस हजार त्रिंशत् मात्र) कुल संस्तुत धनराशि रू0 1,79,064-00 (रू0 एक लाख उनसठ हजार चौंसठ मात्र) धनराशि की चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत मानक मद-00-27 -चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किए जाने के अनुमति प्रदान की गयी थी।

श्री प्रकाश चन्द्र नौटियाल, समन्वयक, सी0आर0सी0-सांकारी के पद पर कार्यरत हैं एवं उनका वेतन इत्यादि सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वहन किया जाता है। अतः आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत मानक मद-00-27 -चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किए जाने की अनुमति को संशोधित करते हुए वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101- राजकीय प्राथमिक विद्यालय 01- केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना, 01 03 सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत मानक मद-00-27 -चिकित्सा वहन किया जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अतः श्री प्रकाश चन्द्र नौटियाल, समन्वयक, का चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रस्ताव उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। शेष प्राविधान व शर्त यथावत् लागू रहेगी।

भवदीय

(आर.के. कुंवर) 27.18
निदेशक,

पृ0सं0 प्रा0शि0-2(5)/13821-27/75(25)/2018-19 तददिनांक।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, वेदालयी शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
- 3- अनु सचिव, वैशिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार-उत्तरकाशी।
- 5- उप शिक्षा अधिकारी, वि0ख0 मारी, उत्तरकाशी।
- 7- श्री प्रकाश चन्द्र नौटियाल, समन्वयक, सी0आर0सी0-सांकारी, मारी जनपद उत्तरकाशी।
- 8- कार्यालय गार्ड फाइल।

(आर.के. कुंवर) 27.18
निदेशक,

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
नगूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा०शि०) उत्तरकाशी।

पत्रांक प्रा०शि०से०-दो(5)/16291-98/चि०प्र०पू०-132(48)/2018-19 दिनांक 30 अक्टूबर, 2018

विषय:- श्री विजय सिंह, सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय विनाला विकास खण्ड नौगांव जनपद उत्तरकाशी की माता का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) उत्तरकाशी के पत्र संख्या: वेसिक-3/4023-26/चि०प्र०पू०/2018-19 दिनांक 22 सितम्बर, 2018 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या : 61/XXVII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुरितका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि०-3-2006-437/2002, दिनांक 04-09-2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार श्री विजय सिंह, सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय विनाला विकास खण्ड नौगांव जनपद उत्तरकाशी की माता का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- सी०एम०आई० हॉस्पिटल देहरादून में दिनांक 02.02.2018 से दिनांक 17.02.2018 तक अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार के दावों पर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रू० 1,66,429-00 (रू० एक लाख छियासठ हजार चार सौ उन्तीस मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

2- उक्तानुसार धनराशि स्वीकृत करने से पूर्व सम्बन्धित से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाएगा कि उनके द्वारा उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु दावा प्रथम बार प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित करा लिया जाये कि श्री विजय सिंह, सहायक अध्यापक, द्वारा चिकित्सा उपचार हेतु कोई अग्रिम धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है, यदि कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत की गयी हो, तो उस धनराशि को समायोजित करते हुए ही अवशेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-बेसिक शिक्षा परिषद् का राजकीयकरण के अन्तर्गत मानक मद-00-27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया ध्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय


(आर.के.कुंवर) 18
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

क्रमशः-2

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा०शि०) देहरादून।

पत्रांक प्रा०शि०से०-दो(5)/16299-305 / चि०प्र०पू०-128(44)/2018-19 दिनांक 30 अक्टूबर, 2018
विषय:- स्व० जनार्दन सैनी, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चांदपुर, वि०ख० विकासनगर, जनपद देहरादून का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) देहरादून के पत्र संख्या: बेसिक-2/2811/चि०प्र०पू०/2018-19 दिनांक 11 जुलाई, 2018 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या : 61/XXVII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि०-3-2006-437/2002, दिनांक 04-09-2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्व० जनार्दन सैनी, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चांदपुर, वि०ख० विकासनगर, जनपद देहरादून का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- सिनर्जी हॉस्पिटल देहरादून में दिनांक 17.10.2017 से दिनांक 28.10.2017 तक अन्तः रोगी एवं दिनांक 04.11.2017 तक वाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार के दावों पर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढ़वाल मण्डल पौड़ी द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रू० 1,54,466-00 (रू० एक लाख चौवन हजार चार सौ छियासठ मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

2- उक्तानुसार धनराशि स्वीकृत करने से पूर्व सम्बन्धित से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाएगा कि उनके द्वारा उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु दावा प्रथम बार प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित करा लिया जाये कि स्व० जनार्दन सैनी, सहायक अध्यापक, द्वारा चिकित्सा उपचार हेतु कोई अग्रिम धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है, यदि कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत की गयी हो, तो उस धनराशि को समायोजित करते हुए ही अवशेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक की अनुदा संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101 राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-बेसिक शिक्षा परिषद् का राजकीयकरण के अन्तर्गत मानक मद-00-2-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय

(आर.के. कुँवर) 30-10-18
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा0शि0) उत्तरकाशी।

पत्रांक प्रा0शि0से0-दो(5)/16284-90/चि0प्र0पू0-131(47)/2018-19 दिनांक 30 अक्टूबर, 2018

विषय:- श्री दिनेश चन्द्र जोशी, स0अ0, रा0प्रा0वि0 निसमोर, वि0ख0 भटवाडी जनपद उत्तरकाशी का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) उत्तरकाशी के पत्र संख्या: बेसिक-3/3851-52/चि0प्र0पू0/2018-19 दिनांक 18 सितम्बर, 2018 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या : 61/XXVII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि0-3-2006-437/2002, दिनांक 04-09-2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार श्री दिनेश चन्द्र जोशी, स0अ0, रा0प्रा0वि0 निसमोर, वि0ख0 भटवाडी जनपद उत्तरकाशी का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- फोर्टिस हॉस्पिटल देहरादून में दिनांक 03.05.2018 से दिनांक 06.05.2018 तक अन्तः रोगी एवं दिनांक 13.06.2018 तक वाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार के दावों पर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रू0 1,73,845-00 (रू0 एक लाख तिहत्तर हजार आठ सौ पैंतालीस मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

2- उक्तानुसार धनराशि स्वीकृत करने से पूर्व सम्बन्धित से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाएगा कि उनके द्वारा उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु दावा प्रथम बार प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित करा लिया जाये कि श्री दिनेश चन्द्र जोशी, स0अ0, द्वारा चिकित्सा उपचार हेतु कोई अग्रिम धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है, यदि कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत की गयी हो, तो उस धनराशि को समायोजित करते हुए ही अवशेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-बेसिक शिक्षा परिषद् का राजकीयकरण के अन्तर्गत मानक मद-00-27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय


(अनुराग कुमार) 18
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
कमरा-2

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा०शि०) देहरादून।

पत्रांक प्रा०शि०से०-दो(५)/१८७३४-५५/चि०प्र०पू०-१०८(४०)/२०१८-१९ दिनांक २५ नवम्बर, २०१८

विषय:- स्व० राकेश कुमार, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ककनोई, वि०ख० कालसी, देहरादून का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) देहरादून के पत्र संख्या: बेसिक-२/५९२४/चि०प्र०पू०/२०१८-१९ दिनांक १६ अक्टूबर, २०१८ द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या : ६१/XXVII(७)३६/२०१७ दिनांक ०२ अप्रैल, २०१८ द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-०१-२०१८ (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-३ के शासनादेश संख्या: ६७९/चि०-३-२००६-४३७/२००२, दिनांक ०४-०९-२००६ में निहित प्राविधानों के अनुसार स्व० राकेश कुमार, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ककनोई, वि०ख० कालसी, देहरादून का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- श्री महंत इन्द्रेण हॉस्पिटल देहरादून में दिनांक ०५.०८.२०१६ से दिनांक ०९.०९.२०१६ तक अन्तः रोगी दिनांक १०.०९.१६ से दिनांक ०४.०४.२०१७ तक वाह्य रोगी एवं दिनांक ०५.०४.२०१७ से दिनांक १८.०४.२०१७ तक अन्त रोगी के रूप में कराये गये उपचार के दावों पर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढ़वाल मण्डल पौड़ी द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रू० १,५४,९१४-०० (रू० एक लाख चवनन्न हजार नौ सौ चौदह मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है-

२- उक्तानुसार धनराशि स्वीकृत करने से पूर्व सम्बन्धित से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाएगा कि उनके द्वारा उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु दावा प्रथम बार प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित करा लिया जाये कि स्व० राकेश कुमार, सहायक अध्यापक, द्वारा चिकित्सा उपचार हेतु कोई अग्रिम धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है, यदि कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत की गयी हो, तो उस धनराशि को समायोजित करते हुए ही अवशेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

३- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष २०१८-१९ के आय व्ययक की अनुदान संख्या-११ राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक २२०२-सामान्य शिक्षा ०१-प्राथमिक शिक्षा-१०१-राजकीय प्राथमिक विद्यालय ०१- केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना, ०१ ०३ सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत मानक मद-००-२७ -चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रतः आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय

(आपके चूँवर) 18

निदेशक,


प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

कमरा-२

पू०सं० / प्रा०शि०से०-२(५) / १६७३४-५५ / चि०प्र०पू०-१०८(४०) / २०१८-१९ तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- १- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
- २- वित्त नियंत्रक / वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड ।
- ३- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
- ४- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार- देहरादून ।
- ५- उप शिक्षा अधिकारी वि०ख० कालसी जनपद देहरादून ।
- ६- कार्यालय गार्ड फाइल ।


०३.११.१८
(आर.के. कुँवर)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा0शि0) चमोली।

पत्रांक प्रा0शि0से0-दो(5)/ 7565-71 / चि0प्र0पू0-136(49)/2018-19 दिनांक 28 नवम्बर, 2018
विषय:- श्री रमेश चन्द्र सिंह, सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय गुलाडी वि0ख0 घाट
जनपद चमोली का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) चमोली के पत्र संख्या: प्रा0शि0/5043/4(01) लेखा स्थापना (चि0प्र0पू0-06)/2018-19 दिनांक 09 अक्टूबर, 2018 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या : 61/xxvii(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि0-3-2006-437/2002, दिनांक 04-09-2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार श्री रमेश चन्द्र सिंह, सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय गुलाडी वि0ख0 घाट जनपद चमोली का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- कनिष्क हॉस्पिटल देहरादून में दिनांक 03.08.2017 से दिनांक 10.11.2017 तक (दि0 3.8.17 से 22.8.17 तक अन्तः रोगी दि0 24.8.17 से दि0 30.8.17 तक वाह्य रोगी दि0 02.09.17 से दि0 07.09.17 तक अन्तः रोगी दि0 24.10.17 से दि0 10.11.17 तक वाह्य रोगी) कराये गये उपचार के दावों पर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रु० 1,88,273-00 (रु० एक लाख अठ्ठासी हजार दो सौ तिहत्तर मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-


2- उक्तानुसार धनराशि स्वीकृत करने से पूर्व सम्बन्धित से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाएगा कि उनके द्वारा उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु दावा प्रथम बार प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित करा लिया जाये कि श्री रमेश चन्द्र सिंह, सहायक अध्यापक, द्वारा चिकित्सा उपचार हेतु कोई अग्रिम धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है, यदि कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत की गयी हो, तो उस धनराशि को समायोजित करते हुए ही अवशेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-बेसिक शिक्षा परिषद् का राजकीयकरण के अन्तर्गत मानक मद-00-27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रोत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय


(आर.के. कुंवर) 1.18
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

क्रमशः-2

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा०शि०) हरिद्वार।

पत्रांक प्रा०शि०से०-2(5)/17 934-45/चि०प्र०पू०-89(27)/2018-19 दिनांक 01 नवम्बर, 2018
विषय:- स्व० राजा राम, स०अ०, रा०प्रा०वि० बनवाला, वि०ख० भगवानपुर जनपद हरिद्वार का प्रदेश
के भीतर कराये गये उपचार की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,


उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) हरिद्वार के पत्र संख्या: प्रा०शि०/चि०प्र०पू०/1240-41/2017-18 दिनांक 14 फरवरी, 2018 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या : 61/XXVII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि०-3-2006-437/2002, दिनांक 04-09-2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्व० राजा राम, स०अ०, रा०प्रा०वि० बनवाला, वि०ख० भगवानपुर जनपद हरिद्वार का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- सी०एम०आई० हॉस्पिटल देहरादून में दिनांक 13.07.2016 से दिनांक 04.08.2016 तक अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार के दावों पर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रू० 1,56,013-00 (रू० एक लाख छप्पन हजार तेरह मात्र) की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

2- उक्तानुसार धनराशि स्वीकृत करने से पूर्व सम्बन्धित से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाएगा कि उनके द्वारा उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु दावा प्रथम बार प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित करा लिया जाये कि स्व० राजा राम, स०अ०, द्वारा चिकित्सा उपचार हेतु कोई अग्रिम धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है, यदि कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत की गयी हो, तो उस धनराशि को समायोजित करते हुए ही अवशेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत मानक मद-00-27 -चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय


(अ.प्र.कं., कुँवर) 18
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

क्रमशः-2

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा०शि०) टिहरी गढ़वाल।

पत्रांक प्रा०शि०से०-दो(५)/१९२८४-१५/चि०प्र०पू०-१२३(४२)/२०१८-१९ दिनांक १४ दिसम्बर, २०१८

विषय:- श्री प्रदीप डंगवाल, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कर्णगांव, वि०ख० भिलंगना, टिहरी गढ़वाल का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार की स्वीकृति के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप शिक्षा अधिकारी वि०ख० भिलंगना, टिहरी गढ़वाल के पत्र संख्या: प्रबन्ध-३/मैमो/चि०प्र०पू०/२०१८-१९ दिनांक ०१ नवम्बर, २०१८ द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या : ६१/XXVII(७)३६/२०१७ दिनांक ०२ अप्रैल, २०१८ द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-०१-२०१८ (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-३ के शासनादेश संख्या: ६७९/चि०-३-२००६- ४३७/२००२, दिनांक ०४-०९-२००६ में निहित प्राविधानों के अनुसार श्री प्रदीप डंगवाल, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कर्णगांव, वि०ख० भिलंगना, टिहरी गढ़वाल का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- सी०एम०आई० हॉस्पिटल देहरादून में दिनांक १६.०८.२०१७ से दिनांक ३१.१२.२०१७ तक अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार के दावों पर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रू० ३,७०,१८७-०० (रू० तीन लाख सहत्तर हजार एक सौ सत्तरसी मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

२- उक्तानुसार धनराशि स्वीकृत करने से पूर्व सम्बन्धित से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाएगा कि उनके द्वारा उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु दावा प्रथम बार प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित करा लिया जाये कि श्री प्रदीप डंगवाल, सहायक अध्यापक, द्वारा चिकित्सा उपचार हेतु कोई अग्रिम धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है, यदि कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत की गयी हो, तो उस धनराशि को समायोजित करते हुए ही अवशेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

३- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष २०१८-१९ के आय व्ययक की अनुदान संख्या-११ राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक २२०२-सामान्य शिक्षा ०१-प्राथमिक शिक्षा-१०१-राजकीय प्राथमिक विद्यालय ०४-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत मानक मद-००-२७-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत बहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय

(आर.के.कुर्वे)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

क्रमशः-२

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा०शि०) हरिद्वार।

पत्रांक प्रा०शि०से०-दो(5)/18677-42/चि०प्र०पू०-99(34)/2018-19 दिनांक 11 दिसम्बर, 2018

विषय:- स्व० रविन्द्र कुमार चौहान, सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुल्तानपुर-1 लक्सर वि०ख० लक्सर जनपद हरिद्वार का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) हरिद्वार के पत्र संख्या: प्रा०शि०/8711-12/चि०प्र०पू०/2018-19 दिनांक 30 नवम्बर, 2018 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या : 61/XXVII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि०-3-2006-437/2002, दिनांक 04-09-2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्व० रविन्द्र कुमार चौहान, सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुल्तानपुर-1 लक्सर वि०ख० लक्सर जनपद हरिद्वार का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- श्री महंत इन्देश हॉस्पिटल देहरादून में दिनांक 12.02.2016 से दिनांक 27.03.2016 तक (दि० 12.2.16 से 04.03.16 तक एवं दिनांक 16.03.16 से 27.03.16 तक अन्तः रोगी) कराये गये उपचार के दावों पर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रू० 1,99,603-00 (रू० एक लाख निन्यानबे हजार छः सौ तीन मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

2- उक्तानुसार धनराशि स्वीकृत करने से पूर्व सम्बन्धित से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाएगा कि उनके द्वारा उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु दावा प्रथम बार प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित करा लिया जाये कि स्व० रविन्द्र कुमार चौहान, सहायक अध्यापक, द्वारा चिकित्सा उपचार हेतु कोई अग्रिम धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है, यदि कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत की गयी हो, तो उस धनराशि को समायोजित करते हुए ही अवशेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययकें की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-बेसिक शिक्षा परिषद् का राजकीयकरण के अन्तर्गत मानक मद-00-27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय

(अमर.कै. कुँवर) 18

निदेशक,


प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

क्रमशः-2

पू०सं० / प्रा०शि०से०-२(५) / १८६३७-५२ / चि०प्र०पू०-९९(३४) / २०१८-१९ तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- १- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
- २- वित्त नियंत्रक / वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड ।
- ३- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
- ४- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार- हरिद्वार ।
- ५- उप शिक्षा अधिकारी वि०ख० लक्सर जनपद हरिद्वार ।
- ६- कार्यालय गार्ड फाइल ।


(आर.कै. कुंवर)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा०शि०) हरिद्वार।

पत्रांक : प्रा.शि.से.-2(5)/ 20084-90/चि.प्र.पू.-107(39)/2019-20 दिनांक 29 जनवरी, 2019

विषय:- श्रीमती लक्ष्मी डोडी, (से०नि०) सहायक अध्यापिका, राजकीय प्राथमिक विद्यालय चौली-1 वि०ख० भगवानपुर, जनपद हरिद्वार के पति का प्रदेश के बाहर कराये गये उपचार की कार्योत्तर अनुमति एवं उपचार पर हुए व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) हरिद्वार के पत्र संख्या : प्रा०शि०/3587-88/चि०प्र०पू०/2019-20 दिनांक 27 जुलाई, 2019 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासन के पत्र संख्या : एम०आर० 89/XXIV-A-2/89/2019 दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 द्वारा श्रीमती लक्ष्मी डोडी, (से०नि०) सहायक अध्यापिका, राजकीय प्राथमिक विद्यालय चौली-1 वि०ख० भगवानपुर, जनपद हरिद्वार के पति का प्रदेश के बाहर चिकित्सा संस्थान- मैक्स हॉस्पिटल, नई दिल्ली में दिनांक 02.01.2017 से दिनांक 03.02.2017 तक अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार पर हुए व्यय के सापेक्ष निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु संस्तुत की गई रू० 5,34,139-00 (रू० पांच लाख चौतीस हजार एक सौ उन्नतालीस मात्र) की धनराशि की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।


2- इस सम्बन्ध में चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 04.09.2006 एवं इसके बाद निर्गत अन्य सभी शासनादेशों में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायगा।

3- आहरण वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संलग्न बीजकों का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है वर्तमान तक इस हेतु कोई अग्रिम धनराशि अन्य श्रोतों से नहीं ली गई हो। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रकरण में किसी प्रकार की अनियमितता न हो।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत मानक मद-00-27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रोत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय


(आर.के. कुंवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

क्रमशः-2

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा०शि०) पौड़ी गढ़वाल।

पत्रांक प्रा०शि०से०-दो(5) 2260-67 / चि०प्र०पू०-103(37)/2018-19 दिनांक 1 जनवरी, 2019

विषय:- श्री नवीन पुण्डीर, सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय नाथूखाल वि०ख० दुगड़डा जनपद पौड़ी गढ़वाल का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार की स्वीकृति के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) पौड़ी गढ़वाल के पत्र संख्या: 04 बे०पै०/8699-8700/चि०प्र०पू०/2018-19 दिनांक 21 दिसम्बर, 2018 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या : 61/XXVII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि०-3-2006- 437/2002, दिनांक 04-09-2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार श्री नवीन पुण्डीर, सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय नाथूखाल वि०ख० दुगड़डा जनपद पौड़ी गढ़वाल का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- मैक्स हॉस्पिटल देहरादून में दिनांक 13.05.2016 से दिनांक 18.05.2016 तक अन्तः रोगी एवं दिनांक 19.05.2016 से दिनांक 23.07.2016 तक वाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार के दावों पर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढ़वाल मण्डल, पौड़ी द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रु० 1,55,064-00 (रु० एक लाख पचपन हजार चौंसठ मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

2- उक्तानुसार धनराशि स्वीकृत करने से पूर्व सम्बन्धित से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाएगा कि उनके द्वारा उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु दावा प्रथम बार प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित करा लिया जाये कि श्री नवीन पुण्डीर, सहायक अध्यापक, द्वारा चिकित्सा उपचार हेतु कोई अग्रिम धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है, यदि कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत की गयी हो, तो उस धनराशि को समायोजित करते हुए ही अवशेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत नानक नद-00-27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय


(आर.के. कुंवर) 19
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

पृ०सं० / प्रा०शि०से०-२(५) ५२२६०-६१. / चि०प्र०पू०-१०३(३७) / २०१८-१९ तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- १- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- २- वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
- ३- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- ४- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार- पौड़ी गढ़वाल।
- ५- उप शिक्षा अधिकारी वि०ख० दुगड़डा जनपद पौड़ी गढ़वाल।
- ६- श्री नवीन पुण्डीर, सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय नाथूखाल वि०ख० दुगड़डा जनपद पौड़ी गढ़वाल।
- ७- कार्यालय गार्ड फाइल।


31.1.2019
(आर.क. कुँवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

प्रेषक,

पत्नीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा०शि०) देहरादून।

पत्रांक प्रा०शि०से०-दो(5)/23938-45/चि०प्र०पू०-168(56)/2018-19 दिनांक 14 फरवरी, 2019

विषय:- श्रीमती उषा भट्ट, सहायक अध्यापिका, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गढ़ीश्यामपुर, वि०ख० डोईवाला जनपद देहरादून के पति स्व० एम०पी० भट्ट का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) देहरादून के पत्र संख्या : प्रब०राज०बेसिक-2/7625/चि०प्र०पू०/2018-19 दिनांक 10 जनवरी, 2018 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या : 61/XXVIII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुरितका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि०-3-2006- 437/2002, दिनांक 04-09-2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार श्रीमती उषा भट्ट, सहायक अध्यापिका, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गढ़ीश्यामपुर, वि०ख० डोईवाला जनपद देहरादून के पति स्व० एम०पी० भट्ट का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- श्री महंत इन्देश हॉस्पिटल, देहरादून में दिनांक 06.02.2018 से दिनांक 18.02.2018 तक अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार के दावों पर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महानिदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रू० 1,76,851-00 (रू० एक लाख छियत्तर हजार आठ सौ इक्यावन मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

2- उक्तानुसार धनराशि स्वीकृत करने से पूर्व सम्बन्धित से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाएगा कि उनके द्वारा उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु दावा प्रथम बार प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित करा लिया जाये कि श्रीमती उषा भट्ट, सहायक अध्यापिका, द्वारा चिकित्सा उपचार हेतु कोई अग्रिम धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है, यदि कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत की गयी हो, तो उस धनराशि को समायोजित करते हुए ही अवशेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत मानक मद-00-27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय
(आर.के. कुँवर) 2.19
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेडा, देहरादून।

सेवा में,

वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी,
कोषागार- रुडकी, हरिद्वार।

पत्रांक प्रा0शि0से0-दो(5)/ 23946/52 /चि0प्र0पू0 163(54)/2018-19 दिनांक 04 फरवरी, 2019

विषय:- श्री रणधीर सिंह, (से0नि0) प्रधानाध्यापक, रा0प्रा0वि0 बुग्गावाला-1 वि0ख0 भगवानपुर जनपद हरिद्वार का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) हरिद्वार के पत्र संख्या: प्रा0शि0/8846-47/चि0प्र0पू0/2018-19 दिनांक 03 दिसम्बर, 2018 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या:-61/XXVII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि0-3-2006-437/2002, दिनांक 04-09-2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार श्री रणधीर सिंह, (से0नि0) प्रधानाध्यापक, रा0प्रा0वि0 बुग्गावाला-1 वि0ख0 भगवानपुर जनपद हरिद्वार का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- फोर्टिस हॉस्पिटल देहरादून में दिनांक 07.11.2017 से दिनांक 12.11.2017 तक अन्तः रोगी एवं दिनांक 21.11.2017 से दिनांक 21.08.2018 तक बाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार के दावों पर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रू0 2,25,822-00 (रू0 दो लाख पच्चीस हजार आठ सौ बाईस मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

2- उक्तानुसार धनराशि स्वीकृत करने से पूर्व सम्बन्धित से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाएगा कि उनके द्वारा उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु दावा प्रथम बार प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित करा लिया जाये कि श्री रणधीर सिंह, (से0नि0) प्रधानाध्यापक द्वारा चिकित्सा उपचार हेतु कोई अग्रिम धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है, यदि कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत की गयी हो, तो उस धनराशि को समायोजित करते हुए ही अवशेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-07 आयोजनेतर के अधीन लेखाशीर्षक 2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ, 01-सिधिल-800-अन्य व्यय 04- राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता (उत्तराखण्ड)-02- उत्तराखण्ड राज्याधीन-42- अन्य व्यय के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) हरिद्वार द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रोत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

गवदीय

(आर:कै. वेडर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
कमरा-2

पृ०सं० / प्रा०शि०से०-२(५) / २१५५-५२ / चि०प्र०पू०-१६३(५४) / २०१८-१९ तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- १- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहशदून।
- २- वित्त नियंत्रक / वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
- ३- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- ४- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) हरिद्वार।
- ५- उप शिक्षा अधिकारी वि०ख० भगवानपुर जनपद हरिद्वार।
- ६- कार्यालय गार्ड फाइल।


11.02.19
(आर.के. कुँवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा०शि०) उत्तरकाशी।

पत्रांक प्रा०शि०से०-दो(5)/ २५५१०-१६/चि०प्र०पू०-१३८(५०)/२०१८-१९ दिनांक १६ जनवरी, २०१९

विषय:- स्व० नन्दा सिंह, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ज्ञानसू (नवीन), वि०ख० मटवाड़ी जनपद उत्तरकाशी का प्रदेश के बाहर कराये गये उपचार की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) उत्तरकाशी के पत्र संख्या वे०वि०यु०-०३/४१५१-५३/चि०प्र०पू०/२०१८-१९ दिनांक २८ सितम्बर, २०१८ द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासन के पत्र संख्या : एम०आर०१०५/XXIV(1)१८/०५/२०१९ दिनांक १० जनवरी, २०१९ द्वारा कार्यान्तर अनुमति प्राप्त होने पर शासनादेश संख्या : ६१/XXVII(7)३६/२०१७ दिनांक ०२ अप्रैल, २०१८ द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-०१-२०१८ (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-३ के शासनादेश संख्या: ६७९/चि०-३-२००६- ४३७/२००२, दिनांक ०४-०९-२००६ में निहित प्राविधानों के अनुसार स्व० नन्दा सिंह, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ज्ञानसू (नवीन), वि०ख० मटवाड़ी जनपद उत्तरकाशी का प्रदेश के बाहर चिकित्सा संस्थान- टाटा स्मारक हॉस्पिटल, मुम्बई में दिनांक २६.०३.२०१८ से दिनांक १६.०४.२०१८ तक अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार के दावों पर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढ़वाल मण्डल, पीडी द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रू० १,७३,५५४-०० (रू० एक लाख तिहत्तर हजार पाँच शी चत्वन मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

२- उक्तानुसार धनराशि स्वीकृत करने से पूर्व सम्बन्धित से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाएगा कि उनके द्वारा उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु दावा प्रथम बार प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित करा लिया जाये कि स्व० नन्दा सिंह, सहायक अध्यापक, द्वारा चिकित्सा उपचार हेतु कोई अग्रिम धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है, यदि कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत की गयी हो, तो उस धनराशि को समायोजित करते हुए ही अवशेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

३- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय बालू वित्तीय वर्ष २०१८-१९ के आय व्ययक की अनुदान संख्या-११ राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक २२०२-सामान्य शिक्षा ०१-प्राथमिक शिक्षा-१०१-राजकीय प्राथमिक विद्यालय ०४-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत मानक मद-००-२७-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
संलग्न-संगत बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय
(आर.के. कृपल)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेडा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा०शि०) उत्तरकाशी।

पत्रांक प्रा०शि०से०-दो(5)/25527 /चि०प्र०पू०-180(60)/2018-19 दिनांक 01-फरवरी, 2019

विषय:- श्रीमती सरोजनी पच्छिमी, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय धनपुर वि०ख० भटवाड़ी जनपद उत्तरकाशी के पुत्र हिमांशु का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) उत्तरकाशी के पत्र संख्या: बेसिक-2/5924/चि०प्र०पू०/2018-19 दिनांक 16 अक्टूबर, 2018 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या : 61/XXVII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि०-3-2006-437/2002, दिनांक 04-09-2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार श्रीमती सरोजनी पच्छिमी, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय धनपुर वि०ख० भटवाड़ी जनपद उत्तरकाशी के पुत्र हिमांशु का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- बृज लाल हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, हल्द्वानी, नैनीताल में दिनांक 12.03.2017 को वाह्य रोगी एवं दिनांक 23.03.2017 से दिनांक 29.03.2017 तक अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार के दावों पर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढ़वाल मण्डल पौड़ी द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रू० 1,78,774-00 (रू० एक लाख अठहत्तर हजार सात सौ चौहत्तर मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

2- उक्तानुसार धनराशि स्वीकृत करने से पूर्व सम्बन्धित से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाएगा कि उनके द्वारा उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु दावा प्रथम बार प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित करा लिया जाये कि श्रीमती सरोजनी पच्छिमी, सहायक अध्यापक, द्वारा चिकित्सा उपचार हेतु कोई अग्रिम धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है, यदि कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत की गयी हो, तो उस धनराशि को समायोजित करते हुए ही अवशेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय 01-केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना, 01 03 सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत मानक मद-00-27 -चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय


(आस्.कें. कुंवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

क्रमशः-2

पृ०सं० / प्रा०शि०से०-२(५) / चि०प्र०पू०-१८०(६०) / २०१८-१९ तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- १- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- २- वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
- ३- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- ४- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार- उत्तरकाशी।
- ५- उप शिक्षा अधिकारी वि०ख० भटवाडी जनपद उत्तरकाशी।
- ६- कार्यालय गार्ड फाइल।


27.02.19

(आर.के. कुँवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

मुख्य कोषाधिकारी
कोषागार- देहरादून।

पत्रांक प्रा0शि0से0-दो(5)/26509-15 /चि0प्र0पू0 194(68)/2018-19 दिनांक 15 मार्च, 2019

विषय:- श्रीमती रिहाना, (से0नि0) प्र0अ0, राजकीय प्राथमिक विद्यालय डोमालवाला, नगर क्षेत्र, देहरादून के पुत्र का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) देहरादून के पत्र संख्या: रा0प्र0बे0-1/8726-27/चि0प्र0पू0/2018-19 दिनांक 21 फरवरी, 2018 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या:-61./XXVII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि0-3-2006-437/2002, दिनांक 04-09-2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार श्रीमती रिहाना, (से0नि0) प्र0अ0, राजकीय प्राथमिक विद्यालय डोमालवाला, नगर क्षेत्र, देहरादून के पुत्र का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान-मैक्स हॉस्पिटल देहरादून में दिनांक 19.08.2018 से दिनांक 28.08.2018 तक अन्तः रोगी एवं दिनांक 04.09.2018 से दिनांक 20.09.2018 तक वाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार के दावों पर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रू0 3,43,050-00 (रू0 तीन लाख तेतालीस हजार पचास मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-


2- उक्तानुसार धनराशि स्वीकृत करने से पूर्व सम्बन्धित से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाएगा कि उनके द्वारा उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु दावा प्रथम बार प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित करा लिया जाये कि श्रीमती रिहाना, (से0नि0) प्र0अ0, द्वारा चिकित्सा उपचार हेतु कोई अग्रिम धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है, यदि कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत की गयी हो, तो उस धनराशि को समायोजित करते हुए ही अवशेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-07 आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ, 01-सिविल-800-अन्य व्यय 04- राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता (उत्तराखण्ड)-02- उत्तराखण्ड राज्याधीन-42- अन्य व्यय के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) देहरादून द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

मवदीय


(अ.प्र.कुं. कुं. 19)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

क्रमशः-2

पृ०सं० / प्रा०शि०से०-२(५) / २६५०१-१५ / चि०प्र०पू०-१९४(६८) / २०१८-१९ तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- १- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- २- वित्त नियंत्रक / वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
- ३- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- ४- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) देहरादून।
- ५- नगर शिक्षा अधिकारी, देहरादून।
- ६- कार्यालय गार्ड फाइल।


15-3-19
(आर.के. कुँवर)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

कार्यालय: निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
आदेश संख्या: प्रा0शि0-2(5)/ 930 /138(50)/2018-19 दिनांक 16 मार्च, 2019


कार्यालय-ज्ञाप

निदेशालय के पत्र संख्या : प्रा0शि0से0-2(5)/24510-16/चि0प्र0पू0-138(50) /2018-19 दिनांक 18 फरवरी, 2019 जिसके द्वारा स्व0 नन्दा सिंह, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ज्ञानसू (नवीन), वि0ख0 भटवाड़ी जनपद उत्तरकाशी का प्रदेश के बाहर चिकित्सा संस्थान- टाटा स्मारक हॉस्पिटल, मुम्बई में दिनांक 26.03.2018 से दिनांक 16.04.2018 तक अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार के दावों पर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढ़वाल नण्डल, पौड़ी द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रू0 1,73,554-00 (रू0 एक लाख तिहत्तर हजार पाँच सौ चब्बन मात्र) की आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101- राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत मानक मद-00-27 -चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किए जाने के अनुमति प्रदान की गयी थी।

स्व0 नन्दा सिंह, सहायक अध्यापक, का विद्यालय सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित है एवं उनका वेतन इत्यादि सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वहन किया जाता है। अतः आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101- राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत मानक मद-00-27 -चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किए जाने की अनुमति को संशोधित करते हुए आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101- राजकीय प्राथमिक विद्यालय 01- केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना, 01 03 सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत मानक मद-00-27 -चिकित्सा वहन किया जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अतः स्व0 नन्दा सिंह, सहायक अध्यापक, का चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रस्ताव उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। शेष प्राविधान व शर्तें यथावत् लागू रहेगी।

भवदीय


(आर.के. कुंभर) 19
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

पृ0सं0 प्रा0शि0-2(5)/26654-59 /138(50)/2018-19 तददिनांक।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
- 3- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार-उत्तरकाशी।
- 5- उप शिक्षा अधिकारी, वि0ख0 भटवाड़ी, उत्तरकाशी।
- 7- कार्यालय गार्ड फाइल।


(आर.के. कुंभर) 19
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा०शि०) उत्तरकाशी।

पत्रांक प्रा०शि०से०-दो(5) 2019-96 / चि०प्र०पू०-156(53)/2019-20 दिनांक 05 अप्रैल, 2019

विषय:- श्रीमती सुमित्रा गौतम, सहायक अध्यापिका, राजकीय प्राथमिक विद्यालय चपराडी वि०ख० पुरोला, जनपद उत्तरकाशी का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) उत्तरकाशी के पत्र संख्या : बेसिक-3/6397-99/चि०प्र०पू०/2018-19 दिनांक 21 जनवरी, 2018 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या : 61/XXVII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि०-3-2006-437/2002, दिनांक 04-09-2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार श्रीमती सुमित्रा गौतम, सहायक अध्यापिका, राजकीय प्राथमिक विद्यालय चपराडी वि०ख० पुरोला, जनपद उत्तरकाशी का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- श्री महंत इन्द्रेण हॉस्पिटल, देहरादून में दिनांक 18.11.2017 से दिनांक 15.12.2017 तक अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार के दावों पर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महानिदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रू० 2,29,303-00 (रू० दो लाख उनतीस हजार तीन सौ तीन मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

2- उक्तानुसार धनराशि स्वीकृत करने से पूर्व सम्बन्धित से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाएगा कि उनके द्वारा उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु दावा प्रथम बार प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित करा लिया जाये कि श्रीमती सुमित्रा गौतम, सहायक अध्यापिका, द्वारा चिकित्सा उपचार हेतु कोई अग्रिम धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है, यदि कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत की गयी हो, तो उस धनराशि को समायोजित करते हुए ही अवशेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत मानक मद-00-27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय
2019
(आर.के.पुंडरी)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

क्रमशः-2

पृ०सं० / प्रा०शि०से०-२(५) / २४१-१६ वि०प्र०पू०-१५६(५३) / २०१९-२० तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- १- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- २- वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
- ३- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- ४- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार- उत्तरकाशी।
- ५- उप शिक्षा अधिकारी वि०ख० पुरोला जनपद उत्तरकाशी।
- ६- श्रीमती सुमित्रा गौतम, सहायक अध्यापिका, राजकीय प्राथमिक विद्यालय चपराडी वि०ख० पुरोला, जनपद उत्तरकाशी।
- ७- कार्यालय गार्ड फाइल।


04.04.19
(आर.के. कुँवर)
निदेशक,

 प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेडा, देहरादून।

सेवा में,

मुख्य कोषाधिकारी
कोषागार- देहरादून।

पत्रांक प्रा०शि०से०-दो(5)/669.75 /चि०प्र०पू० 195(69)/2019-20 दिनांक 18 अप्रैल, 2019

विषय:- श्रीमती विनोद बमराडा, (से०नि०) प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय दौडवाल, रायपुर, देहरादून का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) देहरादून के पत्र संख्या: रा०प्र०बे०-1/10333-34/चि०प्र०पू०/2018-19 दिनांक 26 मार्च, 2018 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या:-61/xxvii(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि०-3-2006-437/2002, दिनांक 04-09-2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार श्रीमती विनोद बमराडा, (से०नि०) प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय दौडवाल, रायपुर, देहरादून का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान-रेनल केयर एण्ड डायलिसिस सेन्टर देहरादून में दिनांक 18.05.2016 से दिनांक 30.05.2018 के बीच पृथक-पृथक तिथियों को अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार के दावों पर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रू० 2.15,200-00 (रू० दो लाख पन्द्रह हजार दो सौ मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-


2- उक्तानुसार धनराशि स्वीकृत करने से पूर्व सम्बन्धित से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाएगा कि उनके द्वारा उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु दावा प्रथम बार प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित करा लिया जाये कि श्रीमती विनोद बमराडा, (से०नि०) प्रधानाध्यापक, द्वारा चिकित्सा उपचार हेतु कोई अग्रिम धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है, यदि कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत की गयी हो, तो उस धनराशि को समायोजित करते हुए ही अवशेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-07 आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ, 01-सिविल-800-अन्य व्यय 04- राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता (उत्तराखण्ड)-02- उत्तराखण्ड राज्याधीन-42- अन्य व्यय के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) देहरादून द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय


(आर.क. कुंवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
क्रमशः-2

पृ०सं० / प्रा०शि०से०-२(५) / ६६९-७५ / चि०प्र०पू०-१९४(६८) / २०१८-१९ तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- १- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- २- वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
- ३- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- ४- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) देहरादून।
- ५- उप शिक्षा अधिकारी वि०ख० रायपुर, देहरादून।
- ६- कार्यालय गार्ड फाइल।


(आर.क. कुँवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा0शि0) पौड़ी गढ़वाल।

पत्रांक प्रा0शि0से0-दो(5)/244-51/चि0प्र0पू0-51(149)/2019-20 दिनांक 25 अप्रैल, 2019
विषय:- कु0 यशोदा, सहायक अध्यापिका, राजकीय प्राथमिक विद्यालय मरोडा वि0ख0
यमकेश्वर, पौड़ी गढ़वाल के पिता श्री राजेन्द्र सिंह का प्रदेश के भीतर कराये
गये उपचार पर हुए व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप शिक्षा अधिकारी वि0ख0 यमकेश्वर, पौड़ी गढ़वाल के पत्र दिनांक
05 फरवरी, 2019 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासन के पत्र संख्या: एम0आर0
07/XXIV(1)19/07/2019 दिनांक 15 अप्रैल, 2019 द्वारा कु0 यशोदा, सहायक अध्यापिका,
राजकीय प्राथमिक विद्यालय मरोडा वि0ख0 यमकेश्वर, पौड़ी गढ़वाल के पिता श्री राजेन्द्र सिंह का
प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान-श्री महंत इन्द्रेण हॉस्पिटल देहरादून में दिनांक 23.06.2018 से
दिनांक 04.09.2018 तक अन्तः रोगी के रूप कराये गये उपचार के दावे पर निदेशक,
महानिदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, देहरादून द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य संस्तुत कुल
रू0 5,98,436-00 (रू0 पाँच लाख अठानबे हजार चार सौ छत्तीस मात्र) की श्री राज्यपाल द्वारा
निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2- इस सम्बन्ध में चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 04.09.2006
एवं इसके बाद निर्गत अन्य सभी शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कर
लिया जाय।

3- आहरण वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित कर ले कि संलग्न बीजकों का भुगतान पूर्व में
नहीं किया गया है यदि इस हेतु कोई अग्रिम धनराशि अन्य श्रोतों से ली गई हो तो उसका
समायोजन करने के उपरान्त ही वांछित धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में स्वीकृत की जाए।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि का चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय व्ययक की अनुदान
संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-
राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत
मानक मद-00-27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः उप शिक्षा अधिकारी वि0ख0 यमकेश्वर, पौड़ी गढ़वाल द्वारा उपलब्ध कराये गये
बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के
सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न-समस्त बिल बाउचर मूल रूप में।

भवदीय

(आर.के.कुंवर) 4.2019
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
क्रमशः-2

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा०शि०) पौड़ी गढ़वाल।

पत्रांक प्रा०शि०से०-दो(5)/ 23643/चि०प्र०पू०-201(01)/2019-20 दिनांक 25 अप्रैल, 2019

विषय:- श्रीमती किरन रावत, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० बगड़ीगाड वि०ख० पोखडा जनपद पौड़ी गढ़वाल के पुत्र प्रांजल का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार पर हुए व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) पौड़ी गढ़वाल के पत्रांक : 04 बे०पें०/11442-43/चि०प्र०पू०/2018-19 दिनांक 27 फरवरी, 2019 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या : 61/XXVII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि०-3-2006- 437/2002, दिनांक 04-09-2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार श्रीमती किरन रावत, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० बगड़ीगाड वि०ख० पोखडा जनपद पौड़ी गढ़वाल के पुत्र प्रांजल का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- हिमालयन हॉस्पिटल, देहरादून में दिनांक 26-03-2016 से दिनांक 28-08-2018 तक अन्तः रोगी एवं बाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार का दावा, जो कि निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महानिदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य धनराशि रू० 2,89,003-00 (रू० दो लाख नवासी हजार तीन मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

2- उक्तानुसार धनराशि स्वीकृत करने से पूर्व सम्बन्धित से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाएगा कि उनके द्वारा उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु दावा प्रथम बार प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित करा लिया जाये कि श्रीमती किरन रावत, स०अ०, द्वारा चिकित्सा उपचार हेतु कोई अग्रिम धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है, यदि कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत की गयी हो, तो उस धनराशि को समायोजित करते हुए ही अग्रिम धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत मानक मद-00-27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

मवदीय
(आर.के.पुर्वर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
क्रमशः-2

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा0शि0) टिहरी गढ़वाल।

पत्रांक प्रा0शि0से0-दो(5)/804-11 / चि0प्र0पू0-130(46)/2019-20 दिनांक 25 अप्रैल, 2019

विषय:- श्री अनुसूया प्रसाद डंगवाल, प्र0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 मोटणाधार वि0ख0 चम्बा, टिहरी गढ़वाल का प्रदेश के बाहर कराये गये उपचार की कार्योत्तर अनुमति एवं उपचार पर हुए व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) टिहरी गढ़वाल के पत्रांक : प्रा0शि0-2 / 7262-64 / चि0प्र0पू0 / 2018-19 दिनांक 08 अक्टूबर, 2018 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासन के पत्र संख्या : एम0आर0 101/xxiv(1)19/101/2018 दिनांक 02 अप्रैल, 2019 द्वारा प्रदेश के बाहर कराये गये उपचार की कार्योत्तर अनुमति प्रदान किए जाने के उपरान्त शासनादेश संख्या : 61/XXVII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि0-3-2006- 437/2002, दिनांक 04-09-2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार श्री अनुसूया प्रसाद डंगवाल, प्र0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 मोटणाधार वि0ख0 चम्बा, टिहरी गढ़वाल का प्रदेश के बाहर चिकित्सा संस्थान- सर गंगाराम हॉस्पिटल, नई दिल्ली में दिनांक 03-01-2018 से दिनांक 05-01-2018 तक अन्तः रोगी दिनांक 18.01.2018 से दिनांक 25.01.2018 तक वाह्य रोगी एवं दिनांक 22.02.2018 से दिनांक 05.03.2018 तक अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार का दावा, जो कि निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महानिदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य धनराशि रू0 4,17,066-00 (रू0 चार लाख सत्रह हजार छियासठ मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

2- उक्तानुसार धनराशि स्वीकृत करने से पूर्व सम्बन्धित से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाएगा कि उनके द्वारा उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु दावा प्रथम बार प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित करा लिया जाये कि श्री अनुसूया प्रसाद डंगवाल, प्र0अ0, द्वारा चिकित्सा उपचार हेतु कोई अग्रिम धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है, यदि कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत की गयी हो, तो उस धनराशि को समायोजित करते हुए ही अवशेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत मानक मद-00-27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय
(आइ.के.के.वर्कर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा0शि0) पौड़ी गढ़वाल।

पत्रांक प्रा0शि0से0-दो(5)/169E-06/चि0प्र0पू0-208(76)/2019-20 दिनांक 06 मई, 2019

विषय:- श्री जगदीश चन्द्र सिंह, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खाल्यूखेत वि0ख0 पोखड़ा, पौड़ी गढ़वाल का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) पौड़ी गढ़वाल के पत्र संख्या : 04 बे0पे0/11481-82/चि0प्र0पू0/2018-19 दिनांक 28 फरवरी, 2019 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या : 61/XXVII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि0-3-2006-437/2002, दिनांक 04-09-2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार श्री जगदीश चन्द्र सिंह, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खाल्यूखेत वि0ख0 पोखड़ा, पौड़ी गढ़वाल का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- कनिष्क हॉस्पिटल, देहरादून में दिनांक 01.01.2018 को वाह्य रोगी एवं दिनांक 05.01.2018 से दिनांक 28.01.2018 तक अन्तः रोगी तथा दिनांक 29.01.2018 से दिनांक 11.03.2018 तक वाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार के दावों पर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महानिदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रू0 3,43,436-00 (रू0 तीन लाख तेतालीस हजार चार सौ छतीस मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-


2- उक्तानुसार धनराशि स्वीकृत करने से पूर्व सम्बन्धित से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाएगा कि उनके द्वारा उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु दावा प्रथम बार प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित करा लिया जाये कि श्री जगदीश चन्द्र सिंह, सहायक अध्यापक, द्वारा चिकित्सा उपचार हेतु कोई अग्रिम धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है, यदि कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत की गयी हो, तो उस धनराशि को समायोजित करते हुए ही अवशेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत मानक मद-00-27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय


प्रभुनिदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
देहरादून।

प्रेषक,

आर मीनाक्षी सुन्दरम
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून ।

11-20-2
कृ० कार्यवाही,
15
915

बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग

देहरादून: दिनांक: 08 मई, 2019

विषय स्व० रविन्द्र कुमार चौहान, सहायक अध्यापक, रा० प्रा० वि० सुल्तानपुर-1 वि० ख० लक्सर हरिद्वार की पत्नी श्रीमती प्रेमलता का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार पर हुए व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: प्रा० शि० से० -2(5)/ 26252/चि० प्र० पू० -197(71) 2018-19 दिनांक 13 मार्च, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्व० रविन्द्र कुमार चौहान, सहायक अध्यापक, रा० प्रा० वि० सुल्तानपुर -1 वि० ख० लक्सर हरिद्वार की पत्नी श्रीमती प्रेमलता का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान -हिमालयन हॉस्पिटल, देहरादून में दिनांक 31-7-2018 से दिनांक 28-09-2018 तक अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार का दावा, जो कि निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य संस्तुत धनराशि ₹ 6,01,891-00 (रुपये छः लाख एक हजार आठ सौ इक्यानबे मात्र) की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- इस सम्बन्ध में चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 04-9-2006 एवं इसके बाद निर्गत अन्य सभी शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कर लिया जाय।

3- आहरण वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संलग्न बीजकों का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है एवं इस हेतु कोई अग्रिम धनराशि अन्य स्रोतों से नहीं ली गई हो।

3- वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान सं०-07-आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक-2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्तक लाभ, 01-सिविल 800-अन्य व्यय, 04-राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों की विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता (उत्तराखण्ड)-02-उत्तराखण्ड राज्याधीन- 42-अन्य व्यय के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) (वर्ष 2018) दिनांक 02 अप्रैल, 2018 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोक्त ।

H भवदीय,
(आर मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

2

श्री गजदारी
10-25-2019
कृ०

D.D
13/5

MR-
संख्या : 22 XXIV(1)/ नवसृजित-2019 / MR-22 / 2019 तददिनांक
प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
2. मुख्य शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, हरिद्वार ।
4. सम्बन्धित कार्मिक ।
4. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,
(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव ।

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेडा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा०शि०) चमोली।

पत्रांक प्रा०शि०से०-दो(5)/ 2179-86/चि०प्र०पू०-207(04)/2019-20 दिनांक 09 मई, 2019

विषय:- श्रीमती लक्ष्मी नेगी, सहायक अध्यापिका, राजकीय प्राथमिक विद्यालय मठ वि०ख० दशोली जनपद चमोली के पति श्री मनीष नेगी का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार पर हुए व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप शिक्षा अधिकारी वि०ख० दशोली जनपद चमोली के पत्रांक : लेखा/50-51/बेसिक सेवायें/चि०प्र०पू०/2019-20 दिनांक 06 अप्रैल, 2019 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या : 61/XXVII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि०-3-2006- 437/2002, दिनांक 04-09-2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार श्रीमती लक्ष्मी नेगी, सहायक अध्यापिका, राजकीय प्राथमिक विद्यालय मठ वि०ख० दशोली जनपद चमोली के पति श्री मनीष नेगी का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- सी०एम०आई० हॉस्पिटल, देहरादून में दिनांक 02-01-2019 से दिनांक 04-02-2019 तक अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार का दावा, जो कि निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य धनराशि रू० 1,63,400-00 (रू० एक लाख तिरैसठ हजार चार सौ मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

2- उक्तानुसार धनराशि स्वीकृत करने से पूर्व सम्बन्धित से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाएगा कि उनके द्वारा उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु दावा प्रथम बार प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित करा लिया जाये कि श्रीमती लक्ष्मी नेगी, सहायक अध्यापिका, द्वारा चिकित्सा उपचार हेतु कोई अग्रिम धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है, यदि कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत की गयी हो, तो उस धनराशि को समायोजित करते हुए ही अवशेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

3- सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी, श्रीमती लक्ष्मी नेगी, सहायक अध्यापिका, के पति श्री मनीष नेगी का आय. प्रमाण-पत्र प्राप्त करते हुए यह सुनिश्चित कर लें कि श्री मनीष नेगी अपनी पत्नी श्रीमती लक्ष्मी नेगी, सहायक अध्यापिका पर ही आश्रित हैं।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत मानक मद-00-27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

मवदीय

निदेशक,


प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
देहरादून।

क्रमशः-2

पृ०सं० / प्रा०शि०से०-२(५) / २१७१-६६ / चि०प्र०पू०-२०७(०४) / २०१९-२० तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- १- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- २- वित्त नियंत्रक / वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
- ३- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- ४- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार-चमोली।
- ५- उप शिक्षा अधिकारी वि०ख० दशोली जनपद चमोली।
- ६- श्रीमती लक्ष्मी नेगी, सहायक अध्यापिका, राजकीय प्राथमिक विद्यालय मठ वि०ख० दशोली जनपद चमोली।
- ७- कार्यालय गार्ड फाइल।


५० निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
देहरादून।

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा०शि०) देहरादून।

पत्रांक प्रा०शि०से०-दो(5) / 2299-306 / चि०प्र०पू०-101(36) / 2019-20 दिनांक 09 मई, 2019
विषय:- श्रीमती अलका राजपूत, स०अ०, रा०क०प्रा०वि० डोईवाला वि०ख० डोईवाला जनपद देहरादून एवं उनके पति श्री प्रताप सिंह (गृहीता) का प्रदेश के बाहर कराये गये उपचार पर हुए व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) देहरादून के पत्रांक : रा०प्र०बे०-01/7770-71 दिनांक 17 जनवरी, 2018 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासन के पत्र संख्या : एम०आर० 24/XXIV(1)19/88/2018 दिनांक 30 अप्रैल, 2019 द्वारा श्रीमती अलका राजपूत, स०अ०, रा०क०प्रा०वि० डोईवाला वि०ख० डोईवाला जनपद देहरादून (दानदाता) का प्रदेश के बाहर चिकित्सा संस्थान- सर गंगाराम हॉस्पिटल, नई दिल्ली में दिनांक 24-10-2016 से दिनांक 02-01-2017 तक अन्तः एवं वाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार की कार्योत्तर स्वीकृति एवं चिकित्सा पर हुए व्यय रू० 1,15,636-00 (रूपये एक लाख पन्द्र हजार छः सौ छतीस मात्र) एवं उनके पति श्री प्रताप सिंह (गृहीता) का दिनांक 24.10.2016 से दिनांक 25.05.2017 अन्तः एवं वाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार पर कार्योत्तर स्वीकृति एवं चिकित्सा पर हुए व्यय रू० 6,85,723-00 (रू० छः लाख पिचासी हजार सात सौ तेईस मात्र) अर्थात् कुल धनराशि रू० 8,01,359-00 (रू० आठ लाख एक हजार तीन सौ उनसठ मात्र) की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2- इस सम्बन्ध में चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 04.09.2006 एवं इसके बाद निर्गत अन्य सभी शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कर लिया जाय।

3- आहरण वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित कर ले कि संलग्न बीजकों का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है यदि इस हेतु कोई अग्रिम धनराशि अन्य श्रोतों से ली गई हो तो उसका समायोजन करने के उपरान्त ही वांछित धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में स्वीकृत की जाए।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि का चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत मानक मद-00-27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय

(वी.एस. रावत)
प्रभारी निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
तमश-2

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा०शि०) हरिद्वार।

पत्रांक प्रा०शि०से०-दो(५)/२१८७-९४/चि०प्र०पू०-१६४(५५)/२०१९-२० दिनांक ०९ मई, २०१९

विषय:- श्री बिरेन्द्र कुमार, सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय टाण्डा जीतपुर वि०ख० लक्सर जनपद हरिद्वार का प्रदेश के बाहर कराये गये उपचार की कार्योत्तर अनुमति एवं उपचार पर हुए व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,


उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) हरिद्वार के पत्रांक : प्रा०शि० /९४६५-६६/चि०प्र०पू०/२०१८-१९ दिनांक २४ दिसम्बर, २०१८ द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासन के पत्र संख्या : एम०आर० ०६/XXIV(१)१९/०६/२०१९ दिनांक २२ अप्रैल, २०१९ द्वारा प्रदेश के बाहर कराये गये उपचार की कार्योत्तर अनुमति प्रदान किए जाने के उपरान्त शासनादेश संख्या : ६१/XXVII(७)३६/२०१७ दिनांक ०२ अप्रैल, २०१८ द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-०१-२०१८ (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-३ के शासनादेश संख्या: ६७९/चि०-३-२००६- ४३७/२००२, दिनांक ०४-०९-२००६ में निहित प्राविधानों के अनुसार श्री बिरेन्द्र कुमार, सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय टाण्डा जीतपुर वि०ख० लक्सर जनपद हरिद्वार का प्रदेश के बाहर चिकित्सा संस्थान- सर गंगाराम हॉस्पिटल, नई दिल्ली में दिनांक २४-०३-२०१८ से दिनांक २६-०३-२०१८ तक अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार का दावा, जो कि निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य धनराशि रू० १,७७,५६७-०० (रू० एक लाख सहत्तर हजार पांच सौ सड़सठ मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

२- उक्तानुसार धनराशि स्वीकृत करने से पूर्व सम्बन्धित से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाएगा कि उनके द्वारा उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु दावा प्रथम बार प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित करा लिया जाये कि श्री बिरेन्द्र कुमार, सहायक अध्यापक, द्वारा चिकित्सा उपचार हेतु कोई अग्रिम धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है, यदि कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत की गयी हो, तो उस धनराशि को समायोजित करते हुए ही अवशेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

३- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष २०१९-२० के आय व्ययक की अनुदान संख्या-११ राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक २२०२-सामान्य शिक्षा ०१-प्राथमिक शिक्षा-१०१-राजकीय प्राथमिक विद्यालय ०४-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत मानक मद-००-२७-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
संलग्न-समस्त बिल बाउचर मूल रूप में।

मुखदीय



प्र०निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
देहरादून।

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी
कोषागार- रूडकी-हरिद्वार।

पत्रांक प्रा0शि0से0-दो(5)/ 2906-11 /चि0प्र0पू0 210(07)/2019-20 दिनांक 21 मई, 2019

विषय:- श्री विनोद कुमार शर्मा, (से0नि0) प्र0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 सोहलपुर वि0ख0 बहादुराबाद, हरिद्वार की पत्नी श्रीमती शिक्षा देवी का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) हरिद्वार के पत्र संख्या: रा0प्रा0/13414-15/चि0प्र0पू0/2018-19 दिनांक 28 मार्च, 2018 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या:-61/XXVII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि0-3-2006- 437/2002, दिनांक 04-09-2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार श्री विनोद कुमार शर्मा, (से0नि0) प्र0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 सोहलपुर वि0ख0 बहादुराबाद, हरिद्वार की पत्नी श्रीमती शिक्षा देवी का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान-सिनर्जी हॉस्पिटल देहरादून में दिनांक 17.09.2018 से दिनांक 01.10.2018 तक अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार के दावों पर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रू0 2,77,671-00 (रू0 दो लाख सतहत्तर हजार छः सौ इकहत्तर मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-


2- उक्तानुसार धनराशि स्वीकृत करने से पूर्व सम्बन्धित से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाएगा कि उनके द्वारा उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु दावा प्रथम बार प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित करा लिया जाये कि श्री विनोद कुमार शर्मा, (से0नि0) प्र0अ0, द्वारा चिकित्सा उपचार हेतु कोई अग्रिम धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है, यदि कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत की गयी हो, तो उस धनराशि को समायोजित करते हुए ही अवशेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-07 आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ, 01-सिविल-800-अन्य व्यय 04- राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता (उत्तराखण्ड)-02- उत्तराखण्ड राज्याधीन-42- अन्य व्यय के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) हरिद्वार द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न-समस्त बिल बाउचर मूल रूप में।

मवदीय


(वी.एस. रावत)
प्रमारी निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून।

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा०शि०) टिहरी गढ़वाल।

पत्रांक प्रा०शि०से०-दो(५)/३००४-१५/चि०प्र०पू०-२१९(१०)/२०१९-२० दिनांक २१ मई, २०१९

विषय:- श्री सुखदेव लाल, प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पुजार गांव रौणद वि०ख० प्रतापनगर, टिहरी गढ़वाल की पत्नी श्रीमती बिक्री देवी का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार पर हुए व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।


महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) टिहरी गढ़वाल के पत्रांक : सेवा (एक)(दो)/१७/चि०प्र०पू०/२०१९-२० दिनांक ०२ मई, २०१९ द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या : ६१/XXVII(७)३६/२०१७ दिनांक ०२ अप्रैल, २०१८ द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-०१-२०१८ (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-३ के शासनादेश संख्या: ६७९/चि०-३-२००६- ४३७/२००२, दिनांक ०४-०९-२००६ में निहित प्राविधानों के अनुसार श्री सुखदेव लाल, प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पुजार गांव रौणद वि०ख० प्रतापनगर, टिहरी गढ़वाल की पत्नी श्रीमती बिक्री देवी का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- फोर्टिस हॉस्पिटल, देहरादून में दिनांक १९-०६-२०१८ से दिनांक २६-०६-२०१८ तक अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार का दावा, जो कि निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महानिदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य धनराशि रू० २,२६,७८४-०० (रू० दो लाख छब्बीस हजार सात सौ चौरासी मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

२- उक्तानुसार धनराशि स्वीकृत करने से पूर्व सम्बन्धित से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाएगा कि उनके द्वारा उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु दावा प्रथम बार प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित करा लिया जाये कि श्री सुखदेव लाल, प्रधानाध्यापक, द्वारा चिकित्सा उपचार हेतु कोई अग्रिम धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है, यदि कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत की गयी हो, तो उस धनराशि को समायोजित करते हुए ही अवशेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

३- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष २०१९-२० के आय व्ययक की अनुदान संख्या-११ राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक २२०२-सामान्य शिक्षा ०१-प्राथमिक शिक्षा-१०१-राजकीय प्राथमिक विद्यालय ०४-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत मानक मद-००-२७-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। संलग्न-समस्त बिल बाउचर मूल रूप में।

भवदीय

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
देहरादून।

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा०शि०) उत्तरकाशी।

पत्रांक प्रा०शि०से०-दो(5)/ 5608 / चि०प्र०पू०-228(14)/2019-20 दिनांक 17 जून, 2019
विषय:- श्री धाम चन्द रमोला, सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय
कल्याणी वि०ख० डुण्डा जनपद उत्तरकाशी का प्रदेश के भीतर कराये गये
उपचार की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) उत्तरकाशी के पत्र संख्या : नियु-3 / 691 / चि०प्र०पू० / 2019-20 दिनांक 08 मई, 2019 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या : 61 / XXVII(7)36 / 2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679 / चि०-3-2006-437 / 2002, दिनांक 04-09-2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार श्री धाम चन्द रमोला, सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय कल्याणी वि०ख० डुण्डा जनपद उत्तरकाशी का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- सिनर्जी हॉस्पिटल, देहरादून में दिनांक 18.07.2018 से दिनांक 28.7.2018 तक अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार के दावों पर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महानिदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रू० 2,13,530-00 (रू० दो लाख तेरह हजार पांच सौ तीस मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

2- उक्तानुसार धनराशि स्वीकृत करने से पूर्व सम्बन्धित से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाएगा कि उनके द्वारा उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु दावा प्रथम बार प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित करा लिया जाये कि श्री धाम चन्द रमोला, सहायक अध्यापक, द्वारा चिकित्सा उपचार हेतु कोई अग्रिम धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है, यदि कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत की गयी हो, तो उस धनराशि को समायोजित करते हुए ही अवशेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत मानक मद-00-27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय


(आ.के. मुँडेर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
क्रमशः-2

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा०शि०) हरिद्वार।

पत्रांक प्रा०शि०से०-दो(5)/ 5601-08 /चि०प्र०पू०-205(03)/2019-20 दिनांक 17 जून, 2019

विषय:- मौ० आजम, प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय खंडगांव, वि०ख० बहादुराबाद, जनपद हरिद्वार के पुत्र साहिल का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) हरिद्वार के पत्र संख्या : प्रा०शि०/1319-20/चि०प्र०पू०/2019-20 दिनांक 24 मई, 2019 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या : 61/XXVII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि०-3-2006- 437/2002, दिनांक 04-09-2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार मौ० आजम, प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय खंडगांव, वि०ख० बहादुराबाद, जनपद हरिद्वार के पुत्र साहिल का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- सिनर्जी हॉस्पिटल, देहरादून में दिनांक 30.07.2018 से दिनांक 12.08.2018 तक अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार के दावों पर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महानिदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रू० 3,38,190-00 (रू० तीन लाख अड़तीस हजार एक सौ नब्बे मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

2- उक्तानुसार धनराशि स्वीकृत करने से पूर्व सम्बन्धित से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाएगा कि उनके द्वारा उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु दावा प्रथम बार प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित करा लिया जाये कि मौ० आजम, प्रधानाध्यापक, द्वारा चिकित्सा उपचार हेतु कोई अग्रिम धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है, यदि कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत की गयी हो, तो उस धनराशि को समायोजित करते हुए ही अवशेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत मानक मद-00-27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।


भवदीय
(आर.के. कुवसे 6-1) 9
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

पृ०सं० / प्रा०शि०से०-२(५) / ५६०१-०९ / चि०प्र०पू०-२०५(०३) / २०१९-२० तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- १- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- २- वित्त नियंत्रक / वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
- ३- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- ४- वरिष्ठ कौषाधिकारी, कोषागार-हरिद्वार।
- ५- उप शिक्षा अधिकारी वि०ख० बहादुराबाद जनपद हरिद्वार।
- ६- मौ० आजम, प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय खंडगांव, वि०ख० बहादुराबाद, जनपद हरिद्वार।
- ७- कार्यालय गार्ड फाइल।


(अनुर.कै. कुंवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा०शि०) देहरादून।

पत्रांक : प्रा०शि०से०-दी(5)/7400-07/चि०प्र०पू०-125(43)/2019-20 दिनांक 06 जुलाई, 2019

विषय:- श्रीमती शशिकला बिष्ट, प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय छरबा अपर, वि०ख० सहसपुर, देहरादून का प्रदेश के बाहर कराये गये उपचार की कार्योत्तर अनुमति एवं उपचार पर हुए व्यय की स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,


उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) देहरादून के पत्रांक : रा०प्र०बे०-1/8726-27/चि०प्र०पू०/2018-19 दिनांक 21 फरवरी, 2018 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासन के पत्र संख्या : एम०आर० 27/XXIV(1)19/26/2019 दिनांक 30 मई, 2019 द्वारा कार्योत्तर अनुमति प्रदान किए जाने के उपरान्त शासनादेश संख्या : 61/XXVII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि०-3-2006-437/2002, दिनांक 04-09-2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार श्रीमती शशिकला बिष्ट, प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय छरबा अपर, सहसपुर, देहरादून का प्रदेश के बाहर चिकित्सा संस्थान- मैक्स हॉस्पिटल, चण्डीगढ़ में दिनांक 27-06-2017 को वाह्य रोगी एवं दिनांक 28-06-2017 से दिनांक 08-07-2017 तक अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार का दावा, जो कि निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महानिदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य धनराशि रू० 4,66,507-00 (रू० चार लाख छियासठ हजार पांच सौ सात मात्र) संस्तुत है, की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रविधानों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

2- उक्तानुसार धनराशि स्वीकृत करने से पूर्व सम्बन्धित से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाएगा कि उनके द्वारा उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु दावा प्रथम बार प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित करा लिया जाये कि श्रीमती शशिकला बिष्ट, प्रधानाध्यापक, द्वारा चिकित्सा उपचार हेतु कोई अग्रिम धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है, यदि कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत की गयी हो, तो उस धनराशि को समायोजित करते हुए ही अवशेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत मानक मद-00-27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय


(आर.के.कुंवर)
निदेशक,


प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

क्रमशः-2

पृ०सं० / प्रा०शि०से०-२(५) / ७५०-०७ / वि०प्र०पू०-२०४(७३) / २०१९-२० तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- १- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- २- वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
- ३- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- ४- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार-देहरादून।
- ५- उप शिक्षा अधिकारी वि०ख० सहसपुर जनपद देहरादून।
- ६- श्रीमती शशिकला विष्ट, प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय छरबा अपर, सहसपुर, देहरादून।
- ७- कार्यालय गार्ड फाइल।


(आर.क. कुंवर)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेडा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा0शि0) हरिद्वार।

पत्रांक : प्रा0शि0से0-दो(5) / 1701-07 / कार्योत्तर अनुमति / 2019-20 दिनांक 15 जुलाई, 2019
विषय:- श्री अशोक कुमार, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रायघाटी, वि0ख0 लक्सर जनपद हरिद्वार का प्रदेश के बाहर कराये गये उपचार की कार्योत्तर अनुमति एवं उपचार पर हुए व्यय की स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) देहरादून के पत्रांक : प्रा0शि0 / 12907-08 / चि0प्र0पू0 / 2018-19 दिनांक 13 मार्च, 2018 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासन के पत्र संख्या : एम0आर0 27 / XXIV(1)19 / 26 / 2019 दिनांक 30 मई, 2019 द्वारा कार्योत्तर अनुमति प्रदान किए जाने के उपरान्त शासनादेश संख्या : 61 / XXVII(7)36 / 2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679 / चि0-3-2006- 437 / 2002, दिनांक 04-09-2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार श्री अशोक कुमार, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रायघाटी, वि0ख0 लक्सर जनपद हरिद्वार का प्रदेश के बाहर चिकित्सा संस्थान- आनन्द हॉस्पिटल, मेरठ, उत्तर-प्रदेश में दिनांक 29-06-2017 से दिनांक 11-07-2017 तक अन्तः रोगी एवं दिनांक 12-07-2017 से दिनांक 24-11-2017 तक वाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार का दावा, जो कि निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महानिदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य धनराशि रू0 1,73,222-00 (रू0 एक लाख तिहत्तर हजार दो सौ बाईस मात्र) संस्तुत है, की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

2- उक्तानुसार धनराशि स्वीकृत करने से पूर्व सम्बन्धित से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाएगा कि उनके द्वारा उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु दावा प्रथम बार प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित करा लिया जाये कि श्री अशोक कुमार, सहायक अध्यापक, द्वारा चिकित्सा उपचार हेतु कोई अश्रिम धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है, यदि कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत की गयी हो, तो उस धनराशि को समायोजित करते हुए ही अवशेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत मानक मद-00-27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय
(आर.के. कुंवर) 07.19
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
कमरा-2

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा०शि०) उत्तरकाशी।

पत्रांक : प्रा०शि०से०-दो(5) 4240-47/चि०प्र०पू०-313(87)/2019-20 दिनांक 05 जुलाई, 2019
विषय:- श्री बालम सिंह भण्डारी, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० कुमारकोट, वि०ख० डुण्डा जनपद
उत्तरकाशी का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) उत्तरकाशी के पत्रांक : बेसिक/2156-57/चि०प्र०पू०/2019-20 दिनांक 05 जुलाई, 2019 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या : 61/XXVII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि०-3-2006-437/2002, दिनांक 04-09-2006 में निहित प्राविधानों के श्री बालम सिंह भण्डारी, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० कुमारकोट, वि०ख० डुण्डा जनपद उत्तरकाशी का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- कनिष्क हॉस्पिटल, देहरादून में दिनांक 09-04-2017 से दिनांक 23-04-2017 तक अन्तः रोगी एवं दिनांक 24-04-2017 से दिनांक 15-05-2017 तक बाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार का दावा, जो कि निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महानिदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य धनराशि रू० 1,88,831-00 (रू० एक लाख अठ्ठासी हजार आठ सौ इकत्तीस मात्र) संस्तुत है, की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

2- उक्तानुसार धनराशि स्वीकृत करने से पूर्व सम्बन्धित से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाएगा कि उनके द्वारा उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु दावा प्रथम बार प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित करा लिया जाये कि श्री बालम सिंह भण्डारी, स०अ०, द्वारा चिकित्सा उपचार हेतु कोई अग्रिम धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है, यदि कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत की गयी हो, तो उस धनराशि को समायोजित करते हुए ही अवशेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत मानक मद-00-27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय

(आर.के. कुँवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

क्रमशः-2

पृ०सं० / प्रा०शि०से०-२(५) / २४०४७ / चि०प्र०पू०-३१३(८७) / २०१९-२० तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- १- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- २- वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
- ३- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- ४- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार-उत्तरकाशी।
- ५- उप शिक्षा अधिकारी वि०ख० डुण्डा जनपद उत्तरकाशी।
- ६- श्री बालम सिंह भण्डारी, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० कुमारकोट, वि०ख० डुण्डा जनपद उत्तरकाशी।
- ७- कार्यालय गार्ड फाइल।


(आर.क. कुंवर)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा०शि०) पौड़ी गढ़वाल।

पत्रांक : प्रा०शि०से०-दो(५)/११०५९-६६/चि०प्र०पू०-३६६(११७)/२०१९-२० दिनांक २६ अगस्त, २०१९
विषय:- श्री मनोज कुमार धिल्डियाल, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० सिण्डी/मरगदना वि०ख०
पौड़ी, जनपद पौड़ी गढ़वाल एवं उनकी पत्नी श्रीमती स्वाति धिल्डियाल का
संयुक्त रूप में प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार पर हुए व्यय की स्वीकृति
के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) पौड़ी गढ़वाल के पत्र संख्या : ०४
बेसिक पेंशन/२६४६-४७/चि०प्रतिपूर्ति/२०१९-२० दिनांक ०२ जुलाई, २०१९ द्वारा प्रेषित प्रस्ताव
पर सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या : ६१/XXVII(७)३६/२०१७ दिनांक ०२ अप्रैल, २०१८ द्वारा
प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-०१-२०१८ (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं
चिकित्सा अनुभाग-३ के शासनादेश संख्या: ६७९/चि०-३-२००६- ४३७/२००२, दिनांक ०४-०९-२००६ में
निहित प्राविधानों के अनुसार श्री मनोज कुमार धिल्डियाल, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० सिण्डी/मरगदना
वि०ख० पौड़ी, जनपद पौड़ी गढ़वाल एवं उनकी पत्नी श्रीमती स्वाति धिल्डियाल का संयुक्त रूप
में प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- सी०एम०आई० हॉस्पिटल, देहरादून में दिनांक १३-०२-२०१५
से दिनांक ३१-०७-२०१५ तक वाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार दावा, जो कि निदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य
धनराशि रू० १,६२,७५२-०० (रू० एक लाख बासठ हजार सात सौ बावन मात्र) संस्तुत है, की
धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की
जाती है:-

२- उक्तानुसार धनराशि स्वीकृत करने से पूर्व सम्बन्धित से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर
लिया जाएगा कि उनके द्वारा उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु दावा प्रथम बार प्रस्तुत किया गया
है। साथ ही उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित करा लिया जाये कि श्री मनोज कुमार
धिल्डियाल, स०अ०, द्वारा चिकित्सा उपचार हेतु कोई अग्रिम धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है, यदि कोई
धनराशि पूर्व में स्वीकृत की गयी हो, तो उस धनराशि को समायोजित करते हुए ही अवशेष धनराशि का
भुगतान किया जायेगा।

३- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष २०१९-२० के आय व्ययक की अनुदान
संख्या-११ राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक २२०२-सामान्य शिक्षा ०१-प्राथमिक शिक्षा-१०१-
राजकीय प्राथमिक विद्यालय ०४-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत मानक
मद-००-२७-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये
जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय

(आर.के. शर्मा)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
क्रमशः-२

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा०शि०) देहरादून।

पत्रांक : प्रा०शि०से०-दो(५) / 11009-16 / चि०प्र०पू०-248(20) / 2019-20 दिनांक 26 अगस्त, 2019
विषय:- श्रीमती सुनीता रावत, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० अजबपुरकला, वि०ख० रायपुर, देहरादून का प्रदेश के बाहर कराये गये उपचार की कार्यात्तर अनुमति एवं उपचार पर हुए व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) देहरादून के पत्र संख्या : रा०प्र०वे०/4267-69/चि०प्रतिपूर्ति/2019-20 दिनांक 02 जुलाई, 2019 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासन के पत्र संख्या : एम०आर० 42/2019/xxiv(1)नवसृजित/42/2019 दिनांक 01 अगस्त, 2019 द्वारा कार्यात्तर अनुमति प्रदान किए जाने पर सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या : 61/XXVII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि०-3-2006- 437/2002, दिनांक 04-09-2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार श्रीमती सुनीता रावत, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० अजबपुरकला, वि०ख० रायपुर, देहरादून का प्रदेश के बाहर चिकित्सा संस्थान- मैक्स हॉस्पिटल, नई दिल्ली में दिनांक 27-05-2019 को वाह्य रोगी एवं दिनांक 28-05-2019 से दिनांक 31-05-2019 तक अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार दावा, जो कि निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य धनराशि रू० 4,36,689-00 (रू० चार लाख छतीस हजार छः सौ उन्नेबे मात्र) संस्तुत है, की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-


2- उक्तानुसार धनराशि स्वीकृत करने से पूर्व सम्बन्धित से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाएगा कि उनके द्वारा उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु दावा प्रथम बार प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित करा लिया जाये कि श्रीमती सुनीता रावत, स०अ०, द्वारा चिकित्सा उपचार हेतु कोई अग्रिम धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है, यदि कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत की गयी हो, तो उस धनराशि को समायोजित करते हुए ही अवशेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत मानक मद-00-27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

भवदीय


(आर.के.कुंवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

क्रमशः-2

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा०शि०) रुद्रप्रयाग।

पत्रांक प्रा०शि०से०-दो(5)/11352-64/चि०प्र०पू०-188(65)/2019-20 दिनांक 30 अगस्त, 2019

विषय:- श्री वंशी लाल चौमवाल, सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पणसिल वि०ख० जखोली जनपद रुद्रप्रयाग की माता का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) रुद्रप्रयाग के पत्र संख्या: प्रा०शि०/सेवा-2/2706-08/चि०प्र०पू०/2019-20 दिनांक 03 जुलाई, 2018 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या : 61/XXVII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि०-3-2006-437/2002, दिनांक 04-09-2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार श्री वंशी लाल चौमवाल, सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पणसिल वि०ख० जखोली जनपद रुद्रप्रयाग की माता का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- श्री मंहत इन्देश हॉस्पिटल देहरादून में दिनांक 24.01.2017 से दिनांक 09.02.2017 तक अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार के दावों पर निदेशक, महानिदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रू० 2,57,352-00 (रू० दो लाख सत्तावन हजार तीन सौ बावन मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

2- उक्तानुसार धनराशि स्वीकृत करने से पूर्व सम्बन्धित से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाएगा कि उनके द्वारा उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु दावा प्रथम बार प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित करा लिया जाये कि श्री वंशी लाल चौमवाल, सहायक अध्यापक, द्वारा चिकित्सा उपचार हेतु कोई अग्रिम धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है, यदि कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत की गयी हो, तो उस धनराशि को समायोजित करते हुए ही अवशेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत मानक मद-00-27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न-सगस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय

(आर.क. कुंवर)


निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
क्रमशः-2

पृ०सं० / प्रा०शि०से०-२(५) / 11350-64 / चि०प्र०पू०-188(65) / 2019-20 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
- 3- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार-रूद्रप्रयाग।
- 5- श्री वंशी लाल चौमवाल, सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पणसिल वि०ख० जखोली जनपद रूद्रप्रयाग।
- 7- कार्यालय गार्ड फाइल।


(आर.के. कुंवर)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

कार्यालय: निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।

आदेश संख्या: प्रा0शि0-2(5)/ 452 / 103(37)/2019-20 दिनांक 31 अगस्त, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

निदेशालय के पत्र संख्या प्रा0शि0से0-2(5)/22260-67/चि0प्र0पू0-103(37) /2018-19 दिनांक 01 फरवरी, 2019 जिसके द्वारा शासनादेश संख्या : 61/XXVII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि0-3-2006-437/2002, दिनांक 04-09-2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार श्री नवीन पुण्डीर, सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय नाथूखाल वि0ख0 दुगड़डा जनपद पौड़ी गढ़वाल का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- मैक्स हॉस्पिटल देहरादून में दिनांक 13.05.2016 से दिनांक 18.05.2016 तक अन्तः रोगी एवं दिनांक 19.05.2016 से दिनांक 23.07.2016 तक बाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार के दावों पर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढ़वाल मण्डल, पौड़ी द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रू0 1,55,064-00 (रू0 एक लाख पचपन हजार चौंसठ मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में बजट के अभाव में प्रश्नगत प्रकरण का भुगतान न होने पर जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) पौड़ी गढ़वाल के पत्र संख्या : 2559-60 दिनांक 28 जून, 2019 द्वारा वित्तीय वर्ष संशोधित किए जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः निदेशालय पत्र दिनांक 01 जनवरी, 2018 के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण की स्वीकृति हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 के स्थान पर वित्तीय वर्ष 2019-20 संशोधित किया जाता है। और इसके शेष प्राविधान व शर्तें यथावत् लागू रहेगी।

भवदीय



(आर.के. कुंवर) 19
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

पृ0सं0 प्रा0शि0-2(5)/ 11480-87 / 103(37)/2019-20 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
- 3- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार, पौड़ी गढ़वाल।
- 5- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) पौड़ी गढ़वाल।
- 6- उप शिक्षा अधिकारी, वि0ख0 दुगड़डा, पौड़ी गढ़वाल।
- 7- श्री नवीन पुण्डीर, सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय नाथूखाल वि0ख0 दुगड़डा जनपद पौड़ी गढ़वाल।
- 8- कार्यालय गार्ड फाइल।


(आर.के. कुंवर) 19
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा0शि0) टिहरी गढ़वाल।

पत्रांक प्रा0शि0से0-दो(5)/11517-23/चि0प्र0पू0-92(28)/2019-20 दिनांक 2 अगस्त, 2019

विषय:- श्री श्यामलाल आर्य, प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय स्यूरा, वि0ख0 भिलंगना, टिहरी गढ़वाल के पुत्र मा0 सागर का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) टिहरी गढ़वाल के पत्र संख्या: प्रा0शि0-2/2497-99/चि0प्र0पू0/2019-20 दिनांक 05 जुलाई, 2019 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या : 61/XXVII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि0-3-2006- 437/2002, दिनांक 04-09-2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार श्री श्यामलाल आर्य, प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय स्यूरा, वि0ख0 भिलंगना, टिहरी गढ़वाल के पुत्र मा0 सागर का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- जगदम्बा ट्रामा सेन्टर देहरादून में दिनांक 22.07.2017 से दिनांक 27.07.2017 तक अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार के दावों पर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढ़वाल मण्डल, पौड़ी द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रू0 1,61,338-00 (रू0 एक लाख इक्सठ हजार तीन सौ अड़तीस मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

2- उक्तानुसार धनराशि स्वीकृत करने से पूर्व सम्बन्धित से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाएगा कि उनके द्वारा उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु दावा प्रथम बार प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित करा लिया जाये कि श्री श्यामलाल आर्य, प्रधानाध्यापक, द्वारा चिकित्सा उपचार हेतु कोई अग्रिम धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है, यदि कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत की गयी हो, तो उस धनराशि को समायोजित करते हुए ही अवशेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत मानक मद-00-27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न-समस्त बिल बाउचर मूल रूप में।

भवदीय

(आर.के. कुँवर)

निदेशक,


प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

क्रमशः-2

पृ०सं० / प्रा०शि०से०-२(५) / ११५१७-२३ चि०प्र०पू०-९२(२८) / २०१८-१९ तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- १- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
- २- वित्त नियंत्रक / वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड ।
- ३- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
- ४- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार- टिहरी गढ़वाल ।
- ५- श्री श्यामलाल आर्य, प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय स्यूरा, वि०ख० भिलंगना, टिहरी गढ़वाल ।
- ७- कार्यालय गार्ड फाइल ।


(आर.के. कुंवर)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेडा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा०शि०) पौड़ी गढ़वाल।

पत्रांक प्रा०शि०से०-दो(5)/12340-5/चि०प्र०पू०-208(76)/2019-20 दिनांक 16 सितम्बर, 2019
विषय:- श्री जगदीश चन्द्र सिंह, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय
खाल्यूखेत वि०ख० पोखडा, पौड़ी गढ़वाल का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार
की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) पौड़ी गढ़वाल के पत्र संख्या : 04
बे०पे०/11481-82/चि०प्र०पू०/2018-19 दिनांक 28 फरवरी, 2019 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासनादेश
संख्या : 61/XXVII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त
पुरितका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश
संख्या: 679/चि०-3-2006-437/2002, दिनांक 04-09-2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार श्री
जगदीश चन्द्र सिंह, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खाल्यूखेत वि०ख० पोखडा,
पौड़ी गढ़वाल का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- कनिष्क हॉस्पिटल, देहरादून में दिनांक 11.04.
2018 से दिनांक 22.4.2018 तक एवं दिनांक 23.4.2018 से दिनांक 07.05.2018 तथा दिनांक दिनांक 08.
05.2018 से दिनांक 25.05.2018 तक अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार के दावों पर निदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महानिदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत
कुल रू० 1,99,659-00 (रू० एक लाख निम्नानवे हजार छः सौ उनसठ मात्र) तथा दिनांक 04.07.2018
से दिनांक 09.07.2018 तक वाह्य रोगी एवं दिनांक 10.07.2018 से दिनांक 25.07.2018 तक अन्तः रोगी
तथा दिनांक 26.07.2018 से दिनांक 31.08.2018 तक वाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार के दावों
पर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महानिदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु
इंगित एवं संस्तुत कुल रू० 2,16,158-00 (रू० दो लाख सोलह हजार एक सौ अठ्ठावन मात्र) कुल
संस्तुत धनराशि रू० 4,15,817-00 (रू० चार लाख पन्द्रह हजार आठ सौ सत्रह मात्र) की धनराशि
चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

2- उक्तानुसार धनराशि स्वीकृत करने से पूर्व सम्बन्धित से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त
कर लिया जाएगा कि उनके द्वारा उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु दावा प्रथम बार प्रस्तुत किया
गया है। साथ ही उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित करा लिया जाये कि श्री जगदीश
चन्द्र सिंह, सहायक अध्यापक, द्वारा चिकित्सा उपचार हेतु कोई अग्रिम धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है,
यदि कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत की गयी हो, तो उस धनराशि को समायोजित करते हुए ही अवशेष
धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय व्ययक की अनुदान
संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-
राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत मानक
मद-00-27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा
रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय


(आर.के. कुँवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

पृ०सं० / प्रा०शि०से०-२(५) / 12348-55 / दि०प्र०पू०-208(76) / 2019-20 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- वित्त नियंत्रक / वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
- 3- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- यरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार- पौड़ी गढ़वाल।
- 5- उप शिक्षा अधिकारी वि०ख० पोखड़ा जनपद पौड़ी।
- 6- श्री जगदीश चन्द्र सिंह, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खाल्यूरखेत वि०ख० पोखड़ा, पौड़ी गढ़वाल।
- 7- कार्यालय गार्ड फाइल।


(आर.के. कुँवर)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा0शि0) देहरादून-61

पत्रांक प्रा0शि0से0-दो(5) / 12755 / चि0प्र0पू0-276(34) / 2019-20 दिनांक 24 सितम्बर, 2019
विषय:- श्री जगबीर सिंह भण्डारी, सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय दीपनगर
वि0ख0 रायपुर जनपद देहरादून का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार की
स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) देहरादून के पत्र संख्या:
रा0प्र0बे0-1/4910/चि0प्र0पू0/2019-20 दिनांक 29 जुलाई, 2019 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासनादेश
संख्या : 61/XXVII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त
पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश
संख्या: 679/चि0-3-2006-437/2002, दिनांक 04-09-2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार श्री
जगबीर सिंह भण्डारी, सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय दीपनगर वि0ख0 रायपुर जनपद
देहरादून का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- आरोग्यधाम हॉस्पिटल देहरादून में दिनांक 13.11.2018
से दिनांक 11.12.2018 एवं दिनांक 12.12.2018 से दिनांक 23.12.2018 तक अन्तः रोगी तथा दिनांक 24.
12.2018 से दिनांक 01.01.2019 तक वाह्य रोगी एवं दिनांक 02.01.2019 से दिनांक 18.01.2019 तक
अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार के दावों पर निदेशक, महानिदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं
परिवार कल्याण उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रू0 1,74,236-00 (रू0 एक
लाख चहौत्तर हजार दो सौ छतीस मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों
एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

2- उक्तानुसार धनराशि स्वीकृत करने से पूर्व सम्बन्धित से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त
कर लिया जाएगा कि उनके द्वारा उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु दावा प्रथम बार प्रस्तुत किया
गया है। साथ ही उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित करा लिया जाये कि श्री जगबीर सिंह
भण्डारी, सहायक अध्यापक, द्वारा चिकित्सा उपचार हेतु कोई अग्रिम धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है, यदि
कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत की गयी हो, तो उस धनराशि को समायोजित करते हुए ही अवशेष
धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय व्ययक की अनुदान
संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-
राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत मानक
मद-00-27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा
रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय

(आ.सं. कृ.वेरं) 09.2019

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

क्रमश-2

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा०शि०) टिहरी गढ़वाल।

पत्रांक प्रा०शि०से०-दो(5)/12348-54/चि०प्र०पू०-273(31)/2019-20 दिनांक 4 सितम्बर, 2019

विषय:- श्री चन्द्रमोहन फोन्दणी, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लस्यालगांव वि०ख० मिलंगना जनपद टिहरी गढ़वाल का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,


उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) टिहरी गढ़वाल के पत्र संख्या: प्रा०शि०-2/2724-29/चि०प्र०पू०/2019-20 दिनांक 12 जुलाई, 2019 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या : 61/XXVIII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि०-3-2006-437/2002, दिनांक 04-09-2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार श्री चन्द्रमोहन फोन्दणी, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लस्यालगांव वि०ख० मिलंगना जनपद टिहरी गढ़वाल का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- कैलाश हॉस्पिटल देहरादून में दिनांक 22.05.2017 से दिनांक 10.06.2017 एवं दिनांक 17.06.2017 से दिनांक 27.07.2017 तक अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार के दावों पर निदेशक, महानिदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रू० 1,91,268-00 (रू० एक लाख इक्यानबे हजार दो सौ अड़सठ मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

2- उक्तानुसार धनराशि स्वीकृत करने से पूर्व सम्बन्धित से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाएगा कि उनके द्वारा उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु दावा प्रथम बार प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित करा लिया जाये कि श्री चन्द्रमोहन फोन्दणी, सहायक अध्यापक, द्वारा चिकित्सा उपचार हेतु कोई अग्रिम धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है, यदि कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत की गयी हो, तो उस धनराशि को समायोजित करते हुए ही अवशेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत मानक मद-00-27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

मवदीय


(आ.सं.कें. कुंभर) 2019
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
क्रमशः-2

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।

सेवा में,

वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी
कोषागार-नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल।

पत्रांक : प्रा0शि0से0-दो(5)/2468-75/चि0प्र0पू0-220(11)/2019-20 दिनांक 9 सितम्बर, 2019

विषय:- श्री नारायण सिंह सजवाण, (से0नि0) प्र0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 बमाण, वि0ख0 देवप्रयाग जनपद टिहरी गढ़वाल का प्रदेश के बाहर कराये गये उपचार की कार्योत्तर अनुमति एवं उपचार पर हुए व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) टिहरी गढ़वाल के पत्र संख्या : प्रा0शि0-2/526-28/चि0प्रतिपूर्ति/2019-20 दिनांक 01 मई, 2019 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासन के पत्र संख्या : एम0आर0 41/xxiv(1)/41/2019 दिनांक 16 अगस्त, 2019 द्वारा श्री नारायण सिंह सजवाण, (से0नि0) प्र0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 बमाण, वि0ख0 देवप्रयाग जनपद टिहरी गढ़वाल का प्रदेश के बाहर चिकित्सा संस्थान- सर गंगाराम हॉस्पिटल, नई दिल्ली में दिनांक 26-05-2018 से दिनांक 01-08-2018 तक अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार पर हुए व्यय के सापेक्ष निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु संस्तुत की गई रू0 7,21,428-00 (रू0 सात लाख इक्कीस हजार चार सौ अठ्ठाईस मात्र) की धनराशि की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- इस सम्बन्ध में चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 04.09.2006 एवं इसके बाद निर्गत अन्य सभी शासनादेशों में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायेगा।

3- आहरण वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संलग्न बीजकों का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है वर्तमान तक इस हेतु कोई अग्रिम धनराशि अन्य श्रोतों से नहीं ली गई हो।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-07 आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ, 01- सिविल-800-अन्य व्यय 04- राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता (उत्तराखण्ड)-02- उत्तराखण्ड राज्याधीन-42- अन्य व्यय के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

5- यह आदेश उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन(वर्ष 2018) दिनांक 02 अप्रैल, 2018 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार जारी किये जा रहे हैं।

अतः जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) टिहरी गढ़वाल द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रोत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय

(आर.के. कुंवर) 09.09.19

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

क्रमशः-2

पृ०सं० / प्रा०शि०से०-२(५) / १२५६८-३५ / चि०प्र०पू०-२२०(११) / २०१९-२० तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- १- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- २- वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
- ३- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- ४- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) टिहरी गढ़वाल।
- ५- उप शिक्षा अधिकारी वि०ख० देवप्रयाग जनपद टिहरी गढ़वाल।
- ६- श्री नारायण सिंह सजवाण, (से०नि०) प्र०अ०, रा०उ०प्रा०वि० बमाण, वि०ख० देवप्रयाग जनपद टिहरी गढ़वाल।
- ७- कार्यालय गार्ड फाइल।


६-०९-१९
(आर.के. कुंवर)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेडा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा०शि०) देहरादून।

पत्रांक प्रा०शि०से०-दो(5) 1324349/चि०प्र०पू०-283(39)/2019-20 दिनांक 28 सितम्बर, 2019

विषय:- श्रीमती निर्मला कनौजिया, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय समोग मझगांव वि०ख० चकराता, देहरादून के पति का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) देहरादून के पत्र संख्या: प्रब०राज बेसिक-2/5755/चि०प्र०पू०/2019-20 दिनांक 26 अगस्त, 2019 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या : 61/XXVII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि०-3-2006-437/2002, दिनांक 04-09-2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार श्रीमती निर्मला कनौजिया, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय समोग मझगांव वि०ख० चकराता, देहरादून के पति का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- फोर्टिस हॉस्पिटल देहरादून में दिनांक 30.03.2018 से दिनांक 02.04.2018 तक अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार के दावों पर निदेशक, महानिदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रू० 1,74,964-00 (रू० एक लाख चौहत्तर हजार नौ सौ चौसठ मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-


2- उक्तानुसार धनराशि स्वीकृत करने से पूर्व सम्बन्धित से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाएगा कि उनके द्वारा उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु दावा प्रथम बार प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित करा लिया जाये कि श्रीमती निर्मला कनौजिया, सहायक अध्यापक, द्वारा चिकित्सा उपचार हेतु कोई अग्रिम धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है, यदि कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत की गयी हो, तो उस धनराशि को समायोजित करते हुए ही अवशेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत मानक मद-00-27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय


(आर.के. श्रीवास्तव) 9.2019
निदेशक,

 प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
क्रमशः-2

पू0सं0 / प्रा0शि0से0-2(5) / 13243-49 चि0प्र0पू0-283(39) / 2019-20 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- वित्त नियंत्रक / वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
- 3- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार-देहरादून।
- 5- श्रीमती निर्मला कनौजिया, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय समोग मझगांव वि०ख० चकराता, देहरादून।
- 7- कार्यालय गार्ड फाइल।

(आर.के. कुँवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा०शि०) टिहरी गढ़वाल।

पत्रांक प्रा०शि०से०-दो(५)/१४२३९९/चि०प्र०पू०-२२१(१२)/२०१९-२० दिनांक १२ अक्टूबर, २०१९

विषय:- स्व० अभिमन्यु शर्मा, प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय मेलगढ़ वि०ख० जौनपुर, टिहरी गढ़वाल का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप शिक्षा अधिकारी वि०ख० जौनपुर, टिहरी गढ़वाल के पत्र संख्या: /४३३/चि०प्र०पू०/२०१९-२० दिनांक ०४ जुलाई, २०१९ द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या : एम०आर०/६७/XXIV(१)१९/६७/२०१९ दिनांक २४ सितम्बर, २०१९ द्वारा स्व० अभिमन्यु शर्मा, प्र०अ०, रा०प्रा०वि० मेलगढ़ वि०ख० जौनपुर, टिहरी गढ़वाल का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान-मैक्स हॉस्पिटल, देहरादून में दिनांक ०७.१२.२०१८ से दिनांक २८.१२.२०१८ तक अन्तः रोगी के रूप में कराया गया दावा, जो कि निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु संस्तुत की गई रू० ६,९९,४७०-०० (रू० छः लाख निन्यानब्बे हजार चार सौ सत्तर मात्र) की धनराशि की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है:-

२- उक्तानुसार धनराशि स्वीकृत करने से पूर्व सम्बन्धित से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाएगा कि उनके द्वारा उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु दावा प्रथम बार प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित करा लिया जाये कि स्व० अभिमन्यु शर्मा, प्र०अ०, द्वारा चिकित्सा उपचार हेतु कोई अग्रिम धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है, यदि कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत की गयी हो, तो उस धनराशि को समायोजित करते हुए ही अवशेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

३- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष २०१९-२० के आय व्ययक की अनुदान संख्या-११ राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक २२०२-सामान्य शिक्षा ०१-प्राथमिक शिक्षा-१०१-राजकीय प्राथमिक विद्यालय ०४-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत मानक मद-००-२७-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय

(आर.के.कुंवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
क्रमशः-२

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा0शि0) पौड़ी गढ़वाल।

पत्रांक : प्रा0शि0से0-दो(5)/ 15366-72 /311(105)/2019-20 दिनांक 11 अक्टूबर, 2019
विषय:- स्व0 बृजमोहन सिंह रावत, प्र0अ0, रा0प्रा0वि0 उठिडागांव वि0ख0 नैनीडाडा, पौड़ी गढ़वाल की पत्नी स्व0 दिल्ली देवी का प्रदेश के बाहर कराये गये उपचार की कार्योत्तर अनुमति/स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) पौड़ी गढ़वाल के पत्र : 04 बे0पै0/3058-59/चि0प्र0पू0/2019-20 दिनांक 15 जुलाई, 2019 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या : एम0आर0/70/XXIV(1)19/70/2019 दिनांक 03 अक्टूबर, 2019 द्वारा कार्योत्तर अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त शासनादेश संख्या : 61/XXVII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि0-3-2006- 437/2002, दिनांक 04-09-2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्व0 बृजमोहन सिंह रावत, प्र0अ0, रा0प्रा0वि0 उठिडागांव वि0ख0 नैनीडाडा, पौड़ी गढ़वाल की पत्नी स्व0 दिल्ली देवी का प्रदेश के बाहर चिकित्सा संस्थान- सर गंगाराम हॉस्पिटल, नई दिल्ली में दिनांक 16-09-2013 से दिनांक 29-09-2013 तक अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार का दावा, जो कि निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महानिदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य धनराशि रू0 3,42,196-00 (रू0 तीन लाख बयालिस हजार एक सौ छियानबे मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

2- उक्तानुसार धनराशि स्वीकृत करने से पूर्व सम्बन्धित से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाएगा कि उनके द्वारा उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु दावा प्रथम बार प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित करा लिया जाये कि स्व0 बृजमोहन सिंह रावत, प्र0अ0, द्वारा चिकित्सा उपचार हेतु कोई अग्रिम धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है, यदि कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत की गयी हो, तो उस धनराशि को समायोजित करते हुए ही अवशेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत मानक मद-00-27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय

(आर.के. कुँवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

पृ०सं० / प्रा०शि०से०-२(५) / 1596672 / चि०प्र०पू०-३११(१०५) / २०१९-२० तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- १- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- २- वित्त नियंत्रक / वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
- ३- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- ४- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार-पौड़ी गढ़वाल।
- ५- उप शिक्षा अधिकारी वि०ख० नैनीड़ाडा, पौड़ी गढ़वाल।
- ६- कार्यालय गार्ड फाइल।


11.11.19
(आर.के. कुँवर)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

प्रेषक,
आर. मीनाक्षी सुन्दरम,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

0-11-2019-2
क. क. मीनाक्षी
1/1

सेवा में,
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग

देहरादून: दिनांक: 30 दिसम्बर, 2019

विषय: श्रीमती लक्ष्मी डाढी, (से0नि0) सहायक अध्यापिका, राजकीय प्राथमिक विद्यालय चौली-1 वि0ख0 भगवानपुर, जनपद हरिद्वार के पति का प्रदेश के बाहर कराये गये उपचार की कार्यान्तर अनुमति एवं उपचार पर हुए व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: प्रा0शि0से0-2(5)/13233/चि0प्र0पू0-107(39)/2019-20 दिनांक 28 सितम्बर, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्रीमती लक्ष्मी डाढी, (से0नि0) सहायक अध्यापिका, राजकीय प्राथमिक विद्यालय चौली-1 वि0ख0 भगवानपुर, जनपद हरिद्वार के पति का प्रदेश के बाहर चिकित्सा संस्थान-मैक्स हॉस्पिटल, नई दिल्ली में दिनांक 02.01.2017 से दिनांक 03.02.2017 तक अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार पर हुए व्यय के सापेक्ष निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु संस्तुत की गई ₹ 5,34,139 (रु0 पांच लाख चौतीस हजार एक सौ उन्नतालीस मात्र) की धनराशि की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- इस सम्बन्ध में चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 04-9-2006 एवं इसके बाद निर्गत अन्य सभी शासनादेश में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायेगा।

3- आहरण वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संलग्न बीजकों का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है एवं वर्तमान तक इस हेतु कोई अग्रिम धनराशि अन्य श्रोतों से नहीं ली गई हो।

4- स्वीकृति की जा रही धनराशि का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय व्ययक लेखा शीर्षक अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत मानक मद-00-27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जाना है।

5- यह आदेश उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) (वर्ष 2018) दिनांक 02 अप्रैल, 2018 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,
(आर. मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

श्री आर. मीनाक्षी सुन्दरम
03/01/2020

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी

(प्रा0शि0) देहरादून। 92

पत्रांक : प्रा.शि.से.-2(5)/ 19085-92 / चि.प्र.पू.-174(57)/2019-20 दिनांक 28 दिसम्बर, 2019

विषय:- श्रीमती विनीता शर्मा, सहायक अध्यापिका, राजकीय प्राथमिक विद्यालय अष्टाड कालसी, देहरादून के पुत्र मा0 आरव शर्मा का प्रदेश के बाहर कराये गये उपचार की कार्योत्तर अनुमति एवं उपचार पर हुए व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) देहरादून के पत्र संख्या : पत्रांक रा0प्र0बे0-1/4639/चि0प्र0पू0/2019-20 दिनांक 18 जुलाई, 2019 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासन के पत्र संख्या : एम0आर0 79/xxiv(1)19/79/2019 दिनांक 25 नवम्बर, 2019 द्वारा श्रीमती विनीता शर्मा, सहायक अध्यापिका, राजकीय प्राथमिक विद्यालय अष्टाड कालसी, देहरादून के पुत्र मा0 आरव शर्मा का प्रदेश के बाहर चिकित्सा संस्थान- सर गंगाराम हॉस्पिटल, नई दिल्ली में दिनांक 28.04.2018 से दिनांक 24.05.2018 तक अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार पर हुए व्यय के सापेक्ष निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य धनराशि रू0 7,13,761-00 (रू0 सात लाख तेरह हजार सात सौ इकसठ मात्र) की धनराशि की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- इस सम्बन्ध में चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 04.09.2006 एवं इसके बाद निर्गत अन्य सभी शासनादेशों में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायगा।

3- आहरण वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संलग्न बीजकों का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है वर्तमान तक इस हेतु कोई अग्रिम धनराशि अन्य स्रोतों से नहीं ली गई हो। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रकरण में किसी प्रकार की अनियमितता न हो।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत मानक मद-00-27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय

(आर.के. कुंवर) 19

निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

क्रमशः-2

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।

सेवा में,

मुख्य कोषाधिकारी
कोषागार-देहरादून।

पत्रांक : प्रा0शि0से0-दो(5) / 174-63-69 / चि0प्र0पू0-41(298) / 2019-20 दिनांक 17 दिसम्बर, 2019
विषय:- श्रीमती मधुबाला परमार, (से0नि0) सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पांडवाला, वि0ख0 सहसपुर, देहरादून का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार पर हुए व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) देहरादून के पत्र संख्या : प्रब0राज बेसिक-2/7350/चि0प्रतिपूर्ति/2019-20 दिनांक 16 अक्टूबर, 2019 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या : 61/XXVII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि0-3-2006- 437/2002, दिनांक 04-09-2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार श्रीमती मधुबाला परमार, (से0नि0) सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पांडवाला, वि0ख0 सहसपुर, देहरादून का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- कनिष्क हॉस्पिटल, देहरादून में दिनांक 21-05-2019 से दिनांक 15-07-2019 तक (दि0 21.05.19 से दि0 03.06.19 तक अन्तः रोगी, दि0 04.06.19 से दि0 13.06.19 वाह्य रोगी, दि0 18.06.19 से दि0 22.06.19 तथा दि0 02.07.19 से दि0 15.07.19 तक अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार का दावा, जो कि निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महानिदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य धनराशि रू0 2,75,135-00 (रू0 दो लाख पचहत्तर हजार एक सौ पैंतीस मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

2- इस सम्बन्ध में चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 04.09.2006 एवं इसके बाद निर्गत अन्य सभी शासनादेशों में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायेगा।

3- आहरण वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संलग्न बीजकों का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है वर्तमान तक इस हेतु कोई अग्रिम धनराशि अन्य श्रोतों से नहीं ली गई हो।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-07 आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ, 01- सिविल-800-अन्य व्यय 04- राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता (उत्तराखण्ड)-02- उत्तराखण्ड राज्याधीन-42- अन्य व्यय के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) देहरादून द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय

(आर.के. कुंवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

क्रमश-2

पू०सं० / प्रा०शि०से०-२(५) / 174-63-69 / चि०प्र०पू०-४१(२९८) / २०१९-२० तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- १- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- २- वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
- ३- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- ४- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) देहरादून।
- ५- उप शिक्षा अधिकारी वि०ख० सहसपुर जनपद देहरादून।
- ६- कार्यालय गार्ड फाइल।


(आर.क. कुंवर)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

कार्यालय: निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।

आदेश संख्या: प्रा0शि0-2(5)/ 639 / 168(56)/2019-20 दिनांक 03 नवम्बर, 2019


कार्यालय-ज्ञाप

निदेशालय के पत्र संख्या प्रा0शि0से0-2(5)/23938-45/चि0प्र0पू0-168(56)/2019-20 दिनांक 14 फरवरी, 2019 जिसके द्वारा शासनादेश संख्या : 61/XXVIII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि0-3-2006-437/2002, दिनांक 04-09-2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार श्रीमती उषा भट्ट, सहायक अध्यापिका, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गढीश्यामपुर, वि0ख0 डोईवाला जनपद देहरादून के पति स्व0 एम0पी0 भट्ट का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- श्री महंत इन्देश हॉस्पिटल, देहरादून में दिनांक 06.02.2018 से दिनांक 18.02.2018 तक अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार के दायें पर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महानिदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रू0 1,76,851-00 (रू0 एक लाख छियत्तर हजार आठ सौ इक्यावन मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजट के अभाव में प्रश्नगत प्रकरण का मुगतान न होने पर जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) देहरादून के पत्र संख्या : 1664-65 दिनांक 09 सितम्बर, 2019 द्वारा वित्तीय वर्ष संशोधित किए जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः निदेशालय पत्र दिनांक 14 फरवरी, 2019 के प्रस्तर-03 में अंकित वित्तीय वर्ष 2018-19 के स्थान पर वित्तीय वर्ष 2019-20 संशोधित किया जाता है। और इसके शेष प्राविधान व शर्तें यथावत् लागू रहेगी।

भवदीय


(आर.के. कुंवर)


निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

पृ0सं0 प्रा0शि0-2(5)/ 16657-64 / 168(56)/2019-20 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
- 3- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार, देहरादून।
- 5- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) देहरादून को कार्यालय आदेश के साथ मूल प्रस्ताव संलग्न कर प्रत्यावर्तित।
- 6- उप शिक्षा अधिकारी, वि0ख0 डोईवाला, देहरादून।
- 7- श्रीमती उषा भट्ट, सहायक अध्यापिका, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गढीश्यामपुर, वि0ख0 डोईवाला जनपद देहरादून।
- 8- कार्यालय गार्ड फाईल।


(आर.के. कुंवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा०शि०) टिहरी गढ़वाल।

पत्रांक : प्रा.शि.से.-2(5)/18352-59 / चि.प्र.पू.-277(35)/2019-20 दिनांक 06 नवम्बर, 2019

विषय:- श्री राकेश बागड़ी, सहायक अध्यापिका, राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोठी चलनियों, वि०ख० देवप्रयाग, टिहरी गढ़वाल का प्रदेश के बाहर कराये गये उपचार की कार्योत्तर अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप शिक्षा अधिकारी वि०ख० देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल के पत्रांक : /368/चि०प्र०पू०/2019-20 दिनांक 04 अक्टूबर, 2019 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासन के पत्र संख्या : एम०आर० 85/xxiv(1)19/85/2019 दिनांक 13 नवम्बर, 2019 द्वारा कार्योत्तर अनुमति प्रदान किए जाने पर शासनादेश संख्या : 61/XXVII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि०-3-2006- 437/2002, दिनांक 04-09-2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार श्री राकेश बागड़ी, सहायक अध्यापिका, राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोठी चलनियों, वि०ख० देवप्रयाग, टिहरी गढ़वाल का प्रदेश के बाहर चिकित्सा संस्थान- मैक्स हॉस्पिटल, नई दिल्ली में दिनांक 24-03-2019 से दिनांक 05-04-2019 तक अतः रोगी एवं दिनांक 06-04-2019 से दिनांक 20-04-2019 तक वाह्य रोगी के रूप कराये गये उपचार पर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य धनराशि रू० 1,79,321-00 (रू० एक लाख उनासी हजार तीन सौ इक्कीस मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-


2- इस सम्बन्ध में चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 04.09.2006 एवं इसके बाद निर्गत अन्य सभी शासनादेशों में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायेगा।

3- आहरण वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संलग्न बीजकों का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है वर्तमान तक इस हेतु कोई अग्रिम धनराशि अन्य स्रोतों से नहीं ली गई हो। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रकरण में किसी प्रकार की अनियमितता न हो।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत नानक मद-00-27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय


(आ.प्र.पू. (पू.पू.)) 2019
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
क्रमशः-2

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा0शि0) देहरादून।

पत्रांक प्रा0शि0से0-दो(5)/18337-4/चि0प्र0पू0-207(75)/2019-20 दिनांक 06 नवम्बर, 2019
विषय:- श्रीमती सुशीला ढीगिया, प्र0अ0, रा0प्रा0वि0 छिदरवाला, वि0ख0 डोईवाला
देहरादून का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार पर हुए व्यय की स्वीकृति के
सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) देहरादून के पत्र संख्या: रा0प्र0बे0-1/8726/चि0प्र0पू0/2019-20 दिनांक 25 नवम्बर, 2019 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर श्रीमती सुशीला ढीगिया, प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय छिदरवाला वि0ख0 डोईवाला जनपद देहरादून के पति का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- मैक्स हॉस्पिटल, देहरादून में दिनांक 05.07.2018 से दिनांक 24.07.2018 तक वाह्य रोगी दिनांक 25.07.2018 से दिनांक 03.08.2018 तक अन्तः रोगी एवं दिनांक 04.08.2018 से दिनांक 30.11.2018 तक वाह्य रोगी के रूप में कराया गया दावा, जो कि निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु संस्तुत की गई रू0 2,34,552-00 (रू0 दो लाख चौतीस हजार पांच सौ बावन मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

2- उक्तानुसार धनराशि स्वीकृत करने से पूर्व सम्बन्धित से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाएगा कि उनके द्वारा उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु दावा प्रथम बार प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित करा लिया जाये कि श्रीमती सुशीला ढीगिया, प्रधानाध्यापक, द्वारा चिकित्सा उपचार हेतु कोई अग्रिम धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है, यदि कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत की गयी हो, तो उस धनराशि को समायोजित करते हुए ही अवशेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत मानक मद-00-27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रोत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। संलग्न-समस्त बिल बाउचर मूल रूप में।

भवदीय

(आर.के. कुंवर) 2020
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
क्रमशः-2

कार्यालय: निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
आदेश संख्या: प्रा0शि0-2(5)/ 700 /अनुमति-14/2019-20 दिनांक 06 जनवरी, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

शासन के पत्र संख्या: एम0आर0 176/xxiv(1)18/176/2017 दिनांक 23 अप्रैल, 2019 एवं निदेशालय के पत्र संख्या प्रा0शि0से0-2(5)/2793-95/चि0प्र0पू0-225(44)/2018-19 दिनांक 08 मई, 2018 द्वारा श्री दीवान सिंह, सहायक अध्यापक, रा0प्रा0वि0 मलोगा वि0ख0 कालसी जनपद देहरादून की माता (श्रीमती पुन्नी देवी) का प्रदेश के भीतर कराये गये चिकित्सा उपचार की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

शासनादेश संख्या : एम0आर0/83/xxiv(1)19/176/2017 दिनांक 15 नवम्बर, 2019 द्वारा उक्त स्वीकृति के प्रस्तर-3 में आंशिक संशोधन करते हुए अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 02 माध्यमिक शिक्षा-109-राजकीय माध्यमिक विद्यालय 01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना, 01 03 समग्र शिक्षा के अन्तर्गत मानक मद-00-27- चिकित्सा वहन किये जाने के अनुमति प्रदान की गयी है, अतः प्रस्तर-3 के स्थान में पढ़ा जाये। निदेशालय के पत्र दिनांक 05 मई, 2018 के प्रस्तर-03 में भी उक्तानुसार संशोधित पढ़ा जाये।

अतः शासनादेश संख्या : एम0आर0 176/xxiv(1)18/176/2017 दिनांक 23 अप्रैल, 2019 एवं निदेशालय के पत्र संख्या प्रा0शि0से0-2(5)/2793-95/चि0प्र0पू0-225(44)/2018-19 दिनांक 08 मई, 2018 को इस सीमा तक संशोधित समझा एवं पढ़ा जाये शेष शर्त/दिशा-निर्देश यथावत् लागू रहेंगे।

भवदीय

(आर.के. कुँवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

पृ0सं0 प्रा0शि0-2(5)/ 18344-51 /अनुमति-14/2019-20 तददिनांक।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
- 3- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार, देहरादून।
- 5- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) देहरादून को कार्यालय आदेश के साथ मूल प्रस्ताव संलग्न कर प्रत्यावर्तित।
- 6- उप शिक्षा अधिकारी, वि0ख0 कालसी, देहरादून।
- 7- श्री दीवान सिंह, सहायक अध्यापक, रा0प्रा0वि0 मलोगा वि0ख0 कालसी जनपद देहरादून।
- 8- कार्यालय गार्ड फाईल।

(आर.के. कुँवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

मुख्य कोषाधिकारी
कोषागार- देहरादून।

पत्रांक प्रा0शि0से0-दो(5) / 21475-01 / चि0प्र0पू0-209(06) / 2019-20 दिनांक 9 फरवरी, 2020
विषय:- श्री कर्ण सिंह रावत, (से0नि0) सहायक अध्यापक, रा0उ0प्रा0वि0 कण्डोली अपर वि0ख0 सहसपुर, देहरादून का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) देहरादून के पत्र संख्या: रा0प्र0बे0-2 / 8353 / चि0प्र0पू0 / 2018-19 दिनांक 16 नवम्बर, 2019 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या:-61/XXVII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि0-3-2006- 437/2002, दिनांक 04-09-2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार श्री कर्ण सिंह रावत, (से0नि0) सहायक अध्यापक, रा0उ0प्रा0वि0 कण्डोली अपर वि0ख0 सहसपुर, देहरादून का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान-मैक्स हॉस्पिटल देहरादून में दिनांक 26.09.2017 से दिनांक 06.10.2017 तक अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार के दावों पर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रू0 1,57,959-00 (रू0 एक लाख सत्तावन हजार नौ सौ उनसठ मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

2- उक्तानुसार धनराशि स्वीकृत करने से पूर्व सम्बन्धित से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाएगा कि उनके द्वारा उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु दावा प्रथम बार प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित करा लिया जाये कि श्री कर्ण सिंह रावत, (से0नि0) द्वारा चिकित्सा उपचार हेतु कोई अग्रिम धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है, यदि कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत की गयी हो, तो उस धनराशि को समायोजित करते हुए ही अवशेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-07 आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ, 01-सिविल-800-अन्य व्यय 04- राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता (उत्तराखण्ड)-02- उत्तराखण्ड राज्याधीन-42- अन्य व्यय के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) देहरादून द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

मवदीय

(आर.के. कुँवर) 2020
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

क्रमशः-2

कार्यालय: निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।

आदेश संख्या: प्रा0शि0-2(5)/ 813 / कार्य0अनु0-14/2019-20 दिनांक 11 फरवरी, 2020


कार्यालय-ज्ञाप

शासन के पत्र संख्या: एम0आर0 86/2017/86XXIV(1)नवसृजित/2017 दिनांक 12 फरवरी, 2018 के क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या प्रा0शि0से0-2(5)/7188-94/चि0प्र0पू0-167(24)/2018-19 दिनांक 12 जुलाई, 2018 के द्वारा चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि0-3-2006-437/2002, दिनांक 04-09-2006 के क्रम में श्री धीरजपाल, स0अ0, रा0प्रा0वि0 छतिण्डा वि0ख0 द्वारीखाल जनपद पौड़ी गढ़वाल का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- भारत हार्ट सेन्टर देहरादून में दिनांक 24.07.2016 से दिनांक 31.07.2016 तक अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार के दावों पर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महानिदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रू0 3,29,046-00 (रू0 तीन लाख उनतीस हजार छियालीस सौ पचहत्तर मात्र) धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजट के अभाव में प्रश्नगत प्रकरण का भुगतान न होने पर जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) पौड़ी गढ़वाल के पत्र संख्या : 7457-59 दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 द्वारा वित्तीय वर्ष संशोधित किए जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः शासनादेश संख्या : 61/XXVII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) में निहित प्राविधानों के अनुसार निदेशालय पत्र दिनांक 12 जुलाई, 2018 के प्रस्तर-03 में अंकित वित्तीय वर्ष 2018-19 के स्थान पर वित्तीय वर्ष 2019-20 संशोधित किया जाता है। और इसके शेष प्राविधान व शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

भवदीय


(आर.के. कुंवर) 2020
निदेशक,

पू0सं0 प्रा0शि0-2(5)/ 20905-12 / कार्य0अनु0-14/2019-20 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
- 3- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार, पौड़ी गढ़वाल।
- 5- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) पौड़ी गढ़वाल को कार्यालय आदेश के साथ मूल प्रस्ताव संलग्न कर प्रत्यावर्तित।
- 6- उप शिक्षा अधिकारी, वि0ख0 द्वारीखाल, पौड़ी गढ़वाल।
- 7- श्री धीरजपाल, स0अ0, रा0प्रा0वि0 छतिण्डा वि0ख0 द्वारीखाल जनपद पौड़ी गढ़वाल
- 8- कार्यालय गार्ड फाईल।


(आर.के. कुंवर) 2020

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

कार्यालय: निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।

आदेश संख्या: प्रा0शि0-2(5)/ 819 / चिकित्सा प्रतिपूर्ति-38/2019-20 दिनांक / 3 फरवरी, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

निदेशालय के पत्र संख्या प्रा0शि0से0-2(5)/16738-44/चि0प्र0पू0-108(40)/2018-19 दिनांक 05 नवम्बर, 2018 के द्वारा शासनादेश संख्या : 61/XXVII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि0-3-2006-437/2002, दिनांक 04-09-2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्व0 राकेश कुमार, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ककनोई, वि0ख0 कालसी, देहरादून का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- श्री महंत इन्द्रेश हॉस्पिटल देहरादून में दिनांक 05.08.2016 से दिनांक 09.09.2016 तक अन्तः रोगी दिनांक 10.09.16 से दिनांक 04.04.2017 तक वाह्य रोगी एवं दिनांक 05.04.2017 से दिनांक 18.04.2017 तक अन्त रोगी के रूप में कराये गये उपचार के दावों पर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढ़वाल मण्डल पौड़ी द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रू0 1,54,914-00 (रू0 एक लाख चवन्न हजार नौ सौ चौदह मात्र) धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजट के अभाव में प्रश्नगत प्रकरण का भुगतान न होने पर जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) देहरादून के पत्र संख्या : प्रब0राज बेसिक-2/7538/चि0प्र0पू0/2019-20 दिनांक 25 अक्टूबर, 2019 द्वारा वित्तीय वर्ष एवं लेखाशीर्षक संशोधित किए जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः शासनादेश संख्या : 61/XXVII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) में निहित प्राविधानों के अनुसार निदेशालय पत्र दिनांक 05 नवम्बर, 2018 के प्रस्ताव- 3 में उल्लिखित वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं लेखाशीर्षक के स्थान पर वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 02 माध्यमिक शिक्षा-109-राजकीय माध्यमिक विद्यालय 01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना, 01 03 समग्र शिक्षा के अन्तर्गत मानक मद-00-27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा, संशोधित पढ़ा जाय। और इसके शेष प्राविधान व शर्तें यथावत् लागू रहेगी।

भवदीय

(आर.के. कुंवर) 2020
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

पू0सं0 प्रा0शि0-2(5)/ 21073-79 / चिकित्सा प्रतिपूर्ति-38/2019-20 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
- 3- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार, देहरादून।
- 5- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) देहरादून को कार्यालय आदेश के साथ मूल प्रस्ताव संलग्न कर प्रत्यावर्तित।
- 6- उप शिक्षा अधिकारी, वि0ख0 कालसी, देहरादून।
- 7- कार्यालय गार्ड फाईल।

(आर.के. कुंवर) 2020
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

1828
29/11/2020

Part-2 (B)

कुल निष्पत्तिसार आठ कांफेंसों

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा०शि०),
देहरादून।

1050(B)
28/11/20

पत्रांक:- प्रा०शि०से०-2(5)/ 9065-71 / चि०प्र०पू०-386(17)/2020-21 दिनांक 22 अक्टूबर, 2020
विषय:- श्रीमती कुसुमलता बंगवाल स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० 55 राजपुर रोड देहरादून, का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार पर हुए व्यय की संस्तुत धनराशि पर स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: 6281 दि० 03.10.2020 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या: 679/चि०-3-2006-437/2002, दिनांक 04-09-2006 एवं उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०-61/XXVII(7)36/2017 वित्त (वि०आ०-सा०नि०) अनुभाग-7 दिनांक 02 अप्रैल 2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) के भाग-2 नियम 1(ii) में उल्लिखित प्राविधानुसार श्रीमती कुसुमलता बंगवाल स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० 55 राजपुर रोड देहरादून का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान-कैंसर रिसर्च इन्स० हिमालियन हॉस्पिटल देहरादून में दिनांक/16.04.2017 से 21.04.2017 तक कराये गये उपचार के दावे पर निदेशक, महानिदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य संस्तुत धनराशि रु०-4,78,489-00 (रु० चार लाख अठहत्तर हजार चार सौ नवासी मात्र) के प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन उक्त धनराशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- शासनादेश दिनांक 04.09.2006 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि श्रीमती कुसुमलता बंगवाल स०अ० द्वारा प्रदेश के भीतर कराये गये प्रश्नगत उपचार हेतु पूर्व में कोई अग्रिम चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय की धनराशि स्वीकृत की गयी हो, तो उक्त धनराशि को समायोजित करने के उपरान्त ही स्वीकृत धनराशि का आहरण करते हुये अवशेष धनराशि को कोषागार में जमा करने का कष्ट करें।

3- आहरण वितरण अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि संलग्न बीजकों का भुगतान पूर्व में किसी अन्य स्तर से नहीं किया गया है।

4- शासनादेश सं०-679/चि०-3-2006-437/2002 दिनांक 04.09.2006 तथा उसके बाद निर्गत अन्य सभी शासनादेशों में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

उक्त स्वीकृत धनराशि का वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत मानक मद-00-09-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत बहन किया जायेगा।

संलग्न-समस्त बिल बाउचर मूल रूप में।

भूतदीय,

(आर०के०कुंवर) 2020

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

पृ०सं०- प्रा०शि०से०-2(4)/ 9065-71 / चि०प्र०पू०-386(17)/2020-21 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1-महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2-वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
- 3-मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी देहरादून।
- 4-उप शिक्षा अधिकारी, सम्बंधित विकासखण्ड।
- 5-श्री श्रीमती कुसुमलता बंगवाल स०अ० तरुण विहार लेन सं० 5 बी, मौथरोंवाला रोड देहरादून।
- 6-कार्यालय गार्ड फाइल।

(आर०के०कुंवर) 2020

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा०शि०) देहरादून।

पत्रांक प्रा०शि०से०-दो(५)/ ११३४ / चि०प्र०पू०-३३४(५८)/२०२०-२१ दिनांक ०९ नवम्बर, २०२०
विषय:- श्रीमती आशा रावत, स०अ०, रा०प्रा०वि० खत्ता, डोईवाला, देहरादून का प्रदेश के बाहर कराये गये उपचार की कार्योत्तर अनुमति एवं उपचार पर हुए व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) देहरादून के पत्र संख्या: रा०प्र०बे०-१/२०४३-४४/चि०प्र०पू०/२०२०-२१ दिनांक ०७ जुलाई, २०२० द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासन के पत्र संख्या : एम०आर० ६८/XXIV-A-२/६८/२०२० दिनांक १६ अक्टूबर, २०२० से कार्योत्तर अनुमति प्राप्त होने पर शासनादेश संख्या:-६१/XXVII(७)३६/२०१७ दिनांक ०२ अप्रैल, २०१८ द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-०१-२०१८ (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-३ के शासनादेश संख्या: ६७९/चि०-३-२००६- ४३७/२००२, दिनांक ०४-०९-२००६ में निहित प्राविधानों के अनुसार श्रीमती आशा रावत, स०अ०, रा०प्रा०वि० खत्ता, डोईवाला, देहरादून का प्रदेश के बाहर चिकित्सा संस्थान- राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल, नई दिल्ली में दिनांक १३.०२.२०१९ से दिनांक १६.०३.२०१९ तक अन्तः/वाह्य रोगी (धनराशि रू० १,५८,९६६/-) दिनांक १६.०५.२०१९ से ०८.०६.२०१९ तक अन्तः/वाह्य रोगी (धनराशि रू० ५४,५३३/-) एवं दिनांक ०४.०४.२०१९ से २६.०४.२०१९ तक अन्तः/वाह्य रोगी (धनराशि रू० ६९,४८१/-) (अर्थात् कुल धनराशि रू० २,८२,९८०/- दो लाख बयासी हजार नौ सौ अस्सी मात्र) जो कि निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढ़वाल मण्डल पौड़ी एवं प्रमुख अधीक्षक, दून चिकित्सालय, देहरादून द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु संस्तुत की गई है, का चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

२- इस सम्बन्ध में चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक ०४.०९.२००६ एवं इसके बाद निर्गत अन्य सभी शासनादेशों में उल्लिखित सभी शर्तों एवं आश्रित के सम्बन्ध में निर्गत शासनानदेशों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायगा।

३- आहरण वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संलग्न बीजकों का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है वर्तमान तक इस हेतु कोई अग्रिम धनराशि अन्य श्रोतों से नहीं ली गई हो। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रकरण में किसी प्रकार की अनियमितता न हो।

४- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष २०२०-२१ के आय व्ययक की अनुदान संख्या-११ राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक २२०२-सामान्य शिक्षा ०१-प्राथमिक शिक्षा-१०१-राजकीय प्राथमिक विद्यालय ०४-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत मानक मद-००-०९-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय

(आर.के. कुँवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

क्रमशः-२

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा0शि0) देहरादून।

पत्रांक प्रा0शि0से0-दो(5)/13017-24/चि0प्र0पू0-386(17)/2020-21 दिनांक 16 जनवरी, 2021

विषय:- श्रीमती कुसुमलता बंगवाल, स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 55 राजपुर रोड़, देहरादून का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार पर हुए व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।


महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) देहरादून के पत्र संख्या: 3748/चि0प्र0पू0/2020-21 दिनांक 25 अगस्त, 2020 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या: एम0आर0 70/XXIV-A-2/70/2020 दिनांक 22 दिसम्बर, 2020 श्रीमती कुसुमलता बंगवाल, स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 55 राजपुर रोड़, देहरादून का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- कैंसर रिसर्च इन्स0 हिमालयन हॉस्पिटल देहरादून में दिनांक 18.05.2018 से दिनांक 20.02.2019 तक वाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार पर हुए व्यय के सापेक्ष सापेक्ष निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशाल, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु संस्तुत की गई रू0 9,28,230-00 (रू0 नौ लाख अठाईस हजार दो सौ तीस मात्र) की स्वीकृत किए जाने की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 2- इस सम्बन्ध में चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 04.09.2006 एवं इसके बाद निर्गत अन्य सभी सुसंगत शासनादेशों में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायेगा तथा सुसंगत लेखाशीर्षक/मानक मद में बजट की उपलब्धता के सम्बन्ध में सुनिश्चित हो लिया जायेगा।
- 3- आहरण वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संलग्न बीजकों का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है वर्तमान तक इस हेतु कोई अग्रिम धनराशि अन्य श्रोतों से नहीं ली गई हो।
- 4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का भुगतान आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101- राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत मानक मद-00-09-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।
- 5- उक्त आदेश उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) (वर्ष 2018) दिनांक 02 अप्रैल, 2018 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार जारी किये जा रहे हैं।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। संलग्न-समस्त बिल बाउचर मूल रूप में।

भवदीय


(अ.के. कुंभर) 2021
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा०शि०) पौड़ी गढ़वाल।

पत्रांक प्रा०शि०से०-दो(5)/13003-10 /चि०प्र०पू०-416(30)/2020-21 दिनांक 16 जनवरी, 2021

विषय:- श्री महिपाल सिंह, सहायक अध्यापक, रा०उ०प्रा०वि० सिगड़डी वि०ख० यमकेश्वर, पौड़ी गढ़वाल की पत्नी का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार पर हुए व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) पौड़ी गढ़वाल के पत्र संख्या: 04 बे०पें०/5537-38/चि०प्र०पू०/2020-21 दिनांक 17 नवम्बर, 2020 द्वारा श्री महिपाल सिंह, सहायक अध्यापक, रा०उ०प्रा०वि० सिगड़डी वि०ख० यमकेश्वर, पौड़ी गढ़वाल की पत्नी श्रीमती सतेश्वरी देवी का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- मैक्स सुपर इपेशलिटी हॉस्पिटल देहरादून में दिनांक 05.06.2019 से दिनांक 12.06.2019 तक अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार पर हुए व्यय के सापेक्ष सापेक्ष निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशाल, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु संस्तुत की गई रू० 3,18,417-00 (रू० तीन लाख अठारह हजार चार सौ सत्रह मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

- 2- इस सम्बन्ध में चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 04.09.2006 एवं इसके बाद निर्गत अन्य सभी सुसंगत शासनादेशों में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायेगा तथा सुसंगत लेखाशीर्षक/मानक मद में बजट की उपलब्धता के सम्बन्ध में सुनिश्चित हो लिया जायेगा।
- 3- आहरण वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संलग्न बीजकों का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है वर्तमान तक इस हेतु कोई अग्रिम धनराशि अन्य श्रोतों से नहीं ली गई हो।
- 4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का भुगतान आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101- राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत मानक मद-00-09-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।
- 5- उक्त आदेश उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) (वर्ष 2018) दिनांक 02 अप्रैल, 2018 एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु निर्गत शासनादेश संख्या: 679/चि०-3-2006- 437/2002, दिनांक 04-09-2006 व उसके बाद निर्गत विभिन्न शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अनुसार जारी की जा रही हैं।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय

(आर.के. कुंवर) 2021
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा०शि०) देहरादून।

पत्रांक प्रा०शि०से०-दो(५)/13363-70/चि०प्र०पू०-438(38)/2020-21 दिनांक 23 जनवरी, 2021
बिषय:- श्रीमती पुष्पा नयाल, स०अ०, रा०प्रा०वि० ब्रहमपुरी, वि०ख० रायपुर, देहरादून का प्रदेश
के भीतर कराये गये उपचार पर हुए व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) देहरादून के पत्र संख्या:
प्रबन्ध-1/8943-45/चि०प्र०पू०/2020-21 दिनांक 18 दिसम्बर, 2020 द्वारा श्रीमती पुष्पा नयाल,
स०अ०, रा०प्रा०वि० ब्रहमपुरी, वि०ख० रायपुर, देहरादून का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान-
देवभूमि सुपर इपेशलिटी हॉस्पिटल देहरादून में दिनांक 07.11.2019 से दिनांक 18.03.2020 तक
वाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार पर हुए व्यय के सापेक्ष सापेक्ष निदेशक, चिकित्सा
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु संस्तुत की गई रू०
1,99,453-00 (रू० एक लाख निन्यानबे हजार चार सौ तेरपन मात्र) की धनराशि चिकित्सा
प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

- 2- इस सम्बन्ध में चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 04.09.2006 एवं
इसके बाद निर्गत अन्य सभी सुसंगत शासनादेशों में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन
प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायेगा तथा सुसंगत लेखाशीर्षक/मानक मद में बजट की
उपलब्धता के सम्बन्ध में सुनिश्चित हो लिया जायेगा।
- 3- आहरण वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संलग्न बीजकों का भुगतान पूर्व में नहीं
किया गया है वर्तमान तक इस हेतु कोई अग्रिम धनराशि अन्य स्रोतों से नहीं ली गई हो।
- 4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का भुगतान आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के
अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101- राजकीय
प्राथमिक विद्यालय 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत मानक
मद-00-09-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।
- 5- उक्त आदेश उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का
प्रतिनिधायन) (वर्ष 2018) दिनांक 02 अप्रैल, 2018 एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु निर्गत
शासनादेश संख्या: 679/चि०-3-2006-437/2002, दिनांक 04-09-2006 व उसके बाद
निर्गत विभिन्न शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अनुसार जारी की जा रही हैं।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित
किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रतः आवश्यक कार्यवाही करने का
कष्ट करें। संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय

(आर.के. कुँवर) 01.2021

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

क्रमशः-2

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेडा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा०शि०) पौड़ी गढ़वाल।

पत्रांक प्रा०शि०से०-दो(5)/13514-21 /चि०प्र०पू०-311(45)/2020-21 दिनांक 21 जनवरी, 2021
विषय:- श्रीमती आशा पुण्डीर, प्र०अ०, रा०प्रा०वि० जाख वि०ख० खिर्सू, पौड़ी गढ़वाल के पुत्र
मा० अर्जित पुण्डीर का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार पर हुए व्यय की स्वीकृति
के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) पौड़ी गढ़वाल के पत्र संख्या: 04
बे०पें०/5113-14/चि०प्र०पू०/2020-21 दिनांक 02 अक्टूबर, 2020 द्वारा श्रीमती आशा पुण्डीर,
प्र०अ०, रा०प्रा०वि० जाख वि०ख० खिर्सू, पौड़ी गढ़वाल के पुत्र मा० अर्जित पुण्डीर का प्रदेश के
भीतर चिकित्सा संस्थान- देवभूमि सुपर इपेशलिटी हॉस्पिटल देहरादून में दिनांक 09.06.2017 से
दिनांक 01.09.2017 तक (दि. 09.06.2017 को वाह्य रोगी दि. 10.06.17 से दि. 12.6.2017, दि.
28.06.17 से दि. 07.07.17, दि. 19.07.17 दि. 20.7.17 तक अन्तः रोगी दि. 26.7.17 दि. 2.08.2017
वाह्य रोगी दि. 9.8.17 से दि. 11.8.17 तथा दि. 01.09.17 को अन्तः रोगी के रूप में) कराये गये
उपचार पर हुए व्यय के सापेक्ष सापेक्ष निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
महानिदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु संस्तुत की गई रू० 1,79,417-00 (रू० एक लाख
उनासी हजार चार सौ सत्रह मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों
एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

- 2- इस सम्बन्ध में चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 04.09.2006 एवं
इसके बाद निर्गत अन्य सभी सुसंगत शासनादेशों में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन
प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायेगा तथा सुसंगत लेखाशीर्षक/मानक मद में बजट की
उपलब्धता के सम्बन्ध में सुनिश्चित हो रलिया जायेगा।
- 3- आहरण वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संलग्न बीजकों का भुगतान पूर्व में नहीं
किया गया है वर्तमान तक इस हेतु कोई अग्रिम धनराशि अन्य श्रोतों से नहीं ली गई हो।
- 4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का भुगतान आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के
अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101- राजकीय
प्राथमिक विद्यालय 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत मानक
मद-00-09-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।
- 5- उक्त आदेश उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का
प्रतिनिधायन) (वर्ष 2018) दिनांक 02 अप्रैल, 2018 एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु निर्गत
शासनादेश संख्या: 679/चि०-3-2006- 437/2002, दिनांक 04-09-2006 व उसके बाद
निर्गत विभिन्न शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अनुसार जारी की जा रही हैं।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित
किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का
कष्ट करें। संलग्न-समस्त बिल बाउचर मूल रूप में।

गणदीय
(आइ.के.के.के.के.) 1.2021
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा०शि०) टिहरी गढ़वाल।

पत्रांक प्रा०शि०से०-दो(5)/13506-13 /चि०प्र०पू०-407(24)/2020-21 दिनांक 23 जनवरी, 2021

विषय:- श्री सुरेश कुमार, स०अ०, रा०प्रा०वि० गैरी (ब्रह्मणों की), वि०ख० प्रतापनगर, टिहरी गढ़वाल की पत्नी श्रीमती रंजनी देवी का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार पर हुए व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) टिहरी गढ़वाल के पत्र संख्या: प्रबन्ध-2/2395-97/चि०प्र०पू०/2020-21 दिनांक 19 अगस्त, 2020 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासन के पत्र संख्या : एम०आर०८८९/XXIV-A-2/89/2020 दिनांक 22 दिसम्बर, 2020 द्वारा श्री सुरेश कुमार, स०अ०, रा०प्रा०वि० गैरी (ब्रह्मणों की), वि०ख० प्रतापनगर, टिहरी गढ़वाल की पत्नी श्रीमती रंजनी देवी का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- क्रमशः (1) इन्दिरा आई.वी.एफ. हॉस्पिटल (2) रेवती नर्सिंग होम, देहरादून (3) श्री महंत इन्द्रेश हॉस्पिटल, देहरादून में कराये गये उपचार पर हुए व्यय की स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की गयी है :-

क्र.स.	दिनांक से	दिनांक तक	रूपये
1	05.06.2017	05.11.2017	रु० 1,51,635 /-
2	02.06.2018	27.01.2019	रु० 2,83,452 /-
3	20.12.2018	08.02.2019	रु० 61,825 /-
4	04.02.2019	20.02.2019	रु० 1,59,809 /-
5	20.02.2019	13.03.2019	रु० 42,044 /-
योग			रु० 6,98,765 /-

(कुल धनराशि रु० छः लाख अठानबे हजार सात सौ पैंसठ मात्र)

- 2- इस सम्बन्ध में चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 04.09.2006 एवं इसके बाद निर्गत अन्य सभी सुसंगत शासनादेशों में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायेगा तथा सुसंगत लेखाशीर्षक/मानक मद में बजट की उपलब्धता के सम्बन्ध में सुनिश्चित हो लिया जाय।
- 3- आहरण वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संलग्न बीजकों का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है वर्तमान तक इस हेतु कोई अग्रिम धनराशि अन्य श्रोतों से नहीं ली गई हो।
- 4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का भुगतान आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101- राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत मानक मद-00-09-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

5- उक्त आदेश उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) (वर्ष 2018) दिनांक 02 अप्रैल, 2018 में दिए गये प्राविधानों के अनुसार जारी की जा रही हैं।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न-समस्त बिल बाउचर मूल रूप में।

भवदीय

(आर.के. कुँवर) 2021
निदेशक,

पृ०सं० / प्रा०शि०से०-2(5) / 13506-13 / चि०प्र०पू०-407(24) / 2020-21 तद्दिनांक।
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड
- 3- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार-टिहरी गढ़वाल।
- 5- उप शिक्षा अधिकारी वि०ख० प्रतापनगर, टिहरी।
- 6- श्री सुरेश कुमार, स०अ०, रा०प्रा०वि० गैरी (ब्रह्मणों की), वि०ख० प्रतापनगर, टिहरी गढ़वाल।
- 7- कार्यालय गार्ड फाइल।

(आर.के. कुँवर) 2021
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

कार्यालय: निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।

आदेश संख्या: प्रा0शि0-2(5)/496 / कार्यालय अनु-14/2020-21 दिनांक 23 जनवरी, 2021

संशोधित आदेश

निदेशालय के पत्र संख्या प्रा0शि0रो0-2(5)/6875-82/चि0प्र0पू0-280(91)/2018-19 दिनांक 09 जुलाई, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि0-3-2006-437/2002, दिनांक 04-09-2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार श्री सत्येन्द्र कुमार, स0अ0, रा0प्रा0वि0 डोडग थापला, चि0ख0 प्रतापनगर, टिहरी गढ़वाल का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- मैट्रो हॉस्पिटल हरिद्वार में दिनांक 25.02.2016 से दिनांक 27.02.2016 तक अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार के दावों के सापेक्ष निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढ़वाल मण्डल पौड़ी द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रू0 1,56,970-00 (रू0 एक लाख छप्पन हजार नौ सौ सहत्तर मात्र) की धनराशि स्वीकृति प्रदान की गयी थी। बजट के अभाव में प्रश्नगत प्रकरण का भुगतान न होने पर निदेशालय के पत्र दिनांक 09 जुलाई, 2018 के प्रस्तर-03 में निम्नवत् संशोधित किया जाता है :-

वित्तीय वर्ष 2018-19 व अंकित लेखाशीर्षक के स्थान पर आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत मानक मद-00-09-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के मानक मदों के नामें डाला जायेगा, संशोधित पढ़ा जाय। और इसके शेष प्राविधान व शर्तें यथावत् लागू रहेगी।

भवदीय

(अर.कै. कुँवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

पृ0सं0 प्रा0शि0-2(5)/13434-39 / कार्यालय अनु-14/2020-21 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
- 3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार, टिहरी गढ़वाल।
- 4- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) टिहरी गढ़वाल को कार्यालय आदेश के साथ मूल प्रस्ताव संलग्न कर प्रत्यावर्तित।
- 5- श्री सत्येन्द्र कुमार, स0अ0, रा0प्रा0वि0 डोडग थापला, चि0ख0 प्रतापनगर, टिहरी गढ़वाल।
- 6- कार्यालय गार्ड फाईल।

(अर.कै. कुँवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा0शि0) टिहरी गढ़वाल।

पत्रांक प्रा0शि0से0-दो(5)/13555-62/चि0प्र0पू0-275(33)/2020-21 दिनांक 28 जनवरी, 2021

विषय:- श्री रामलाल निराला, स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 बहेड़ी वि0ख0 भिलंगना, टिहरी गढ़वाल की पत्नी का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार पर हुए व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) टिहरी गढ़वाल के पत्र संख्या: प्रा0शि0-2/3721-23/चि0प्र0पू0/2020-21 दिनांक 05 अक्टूबर, 2020 द्वारा श्री रामलाल निराला, स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 बहेड़ी वि0ख0 भिलंगना, टिहरी गढ़वाल की पत्नी का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- हिमालयन हॉस्पिटल देहरादून में दिनांक 16.02.2019 से दिनांक 01.03.2019 तक अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार पर हुए व्यय के सापेक्ष सापेक्ष निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढ़वाल पौड़ी द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु संस्तुत की गई रू0 1,55,571-00 (रू0 एक लाख पचपन हजार पांच सौ इकहत्तर मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

- 2- इस सम्बन्ध में चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 04.09.2006 एवं इसके बाद निर्गत अन्य सभी सुसंगत शासनादेशों में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायेगा तथा सुसंगत लेखाशीर्षक/मानक मद में बजट की उपलब्धता के सम्बन्ध में सुनिश्चित हो लिया जायेगा।
- 3- आहरण वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संलग्न बीजकों का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है वर्तमान तक इस हेतु कोई अग्रिम धनराशि अन्य श्रोतों से नहीं ली गई हो।
- 4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का भुगतान आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101- राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत मानक मद-00-09-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।
- 5- उक्त आदेश उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) (वर्ष 2018) दिनांक 02 अप्रैल, 2018 एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु निर्गत शासनादेश संख्या: 679/चि0-3-2006- 437/2002, दिनांक 04-09-2006 व उसके बाद निर्गत विभिन्न शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अनुसार जारी की जा रही हैं।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय

(आ.क. कुंवर) 2021
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

क्रमशः-2

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा0शि0) टिहरी गढ़वाल।

पत्रांक प्रा0शि0से0-दो(5)/13982-89 /चि0प्र0पू0-274(32)/2020-21 दिनांक 04 जनवरी, 2021

विषय:- श्री मनोज कुमार, स0अ0, रा0प्रा0वि0 रगडी वि0ख0 भिलंगना, टिहरी गढ़वाल के पिता का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार पर हुए व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।


महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) टिहरी गढ़वाल के पत्र संख्य प्रबन्ध-2/6646-48/चि0प्र0पू0/2020-21 दिनांक 12 जनवरी, 2021 द्वारा श्री मनोज कुमार स0अ0, रा0प्रा0वि0 रगडी वि0ख0 भिलंगना, टिहरी गढ़वाल के पिता का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- एम्स हॉस्पिटल ऋषिकेश, देहरादून में दिनांक 07.09.2018 से दिनांक 29.09.2018 तक अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार पर हुए व्यय के सापेक्ष सापेक्ष निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु संस्तुत की गई रु 2,35,095-00 (रु0 दो लाख पैंतीस हजार पचानबे मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

- 2- इस सम्बन्ध में चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 04.09.2006 ए इसके बाद निर्गत अन्य सभी सुसंगत शासनादेशों में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायेगा तथा सुसंगत लेखाशीर्षक/मानक मद में बजट व उपलब्धता के सम्बन्ध में सुनिश्चित हो लिया जायेगा।
- 3- आहरण वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संलग्न बीजकों का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है वर्तमान तक इस हेतु कोई अग्रिम धनराशि अन्य श्रोतों से नहीं ली गई हो।
- 4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का भुगतान आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व व अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101- राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत मानक मद-00-09-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।
- 5- उक्त आदेश उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों व प्रतिनिधायन) (वर्ष 2018) दिनांक 02 अप्रैल, 2018 एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु निर्गत शासनादेश संख्या: 679/चि0-3-2006- 437/2002, दिनांक 04-09-2006 व उसके बाद निर्गत विभिन्न शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अनुसार जारी की जा रही हैं।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने व कष्ट करें। संलग्न-समस्त बिल बाउचर मूल रूप में।

भवदीय


(आर.के. कुंवर) 2021
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
अमरा-1

पृ०सं० / प्रा०शि०से०-२(५) / 13981-87 चि०प्र०पू०-274(32) / 2020-21 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
- 2- वित्त नियंत्रक / वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड ।
- 3- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
- 4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार-टिहरी गढ़वाल ।
- 5- उप शिक्षा अधिकारी वि०ख० मिलंगना, टिहरी गढ़वाल ।
- 6- श्री मनोज कुमार, स०अ०, रा०प्रा०वि० रगडी वि०ख० मिलंगना, टिहरी गढ़वाल ।
- 7- कार्यालय गार्ड फाइल ।



(आर.के. कुंवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला परियोजना अधिकारी
समग्र शिक्षा मा0
टिहरी गढ़वाल।

पत्रांक प्रा0शि0से0-दो(5)/13990-97/चि0प्र0पू0-439(39)/2020-21 दिनांक 04 जून 2021
विषय:- श्री सतीश चन्द्र सेमवाल, स0अ0, रा0प्रा0वि0 चवालखेत वि0ख0 चम्बा, टिहरी गढ़वाल की पत्नी का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार पर हुए व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा मा0 टिहरी गढ़वाल के पत्र :-
रा0मा0शि0अ0/140/स्वीकृत/2020-21 दिनांक 09 दिसम्बर, 2020 द्वारा श्री सतीश चन्द्र सेमवाल, स0अ0, रा0प्रा0वि0 चवालखेत वि0ख0 चम्बा, टिहरी गढ़वाल की पत्नी का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- मैक्स हॉस्पिटल देहरादून में दिनांक 24.03.2020 को वाह्य रोगी दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 03.04.2020 तक अन्तः रोगी व दिनांक 17.04.2020 को वाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार पर हुए व्यय के सापेक्ष निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु संस्तुत की गई रू0 2,03,045-00 (रू0 दो लाख तीन हजार पैंतालीस मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

- 2- इस सम्बन्ध में चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 04.09.2006 एवं इसके बाद निर्गत अन्य सभी सुसंगत शासनादेशों में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायेगा तथा सुसंगत लेखाशीर्षक/मानक मद में बजट की उपलब्धता के सम्बन्ध में सुनिश्चित हो लिया जायेगा।
- 3- आहरण वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संलग्न बीजकों का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है वर्तमान तक इस हेतु कोई अग्रिम धनराशि अन्य स्रोतों से नहीं ली गई हो।
- 4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का भुगतान आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सानान्य शिक्षा 02 माध्यमिक शिक्षा-113-समग्र शिक्षा, 01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना, 03 समग्र शिक्षा के अन्तर्गत संचालित माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा/शिक्षक शिक्षा की स्थापना, के मानक मद-09 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के मानक मदों के नामें डाला जायेगा।
- 5- उक्त आदेश उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) (वर्ष 2018) दिनांक 02 अप्रैल, 2018 एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु निर्गत शासनादेश संख्या: 679/चि0-3-2006- 437/2002, दिनांक 04-09-2006 व उसके बाद निर्गत विभिन्न शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अनुसार जारी की जा रही हैं।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय

(आर.के. कुँवर) 2.2.2021

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

पू0सं0 / प्रा0शि0से0-2(5) / 13990-93 / चि0प्र0पू0-439(39) / 2020-21 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- वित्त नियंत्रक / वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
- 3- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार-टिहरी गढ़वाल।
- 5- उप शिक्षा अधिकारी वि0ख0 चम्बा, टिहरी गढ़वाल।
- 6- श्री सतीश चन्द्र सेमवाल, स0अ0, रा0प्रा0वि0 चवालखेत वि0ख0 चम्बा, टिहरी गढ़वाल।
- 7- कार्यालय गार्ड फाइल।


(आर.के. कुंवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

कार्यालय: निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।

आदेश संख्या: प्रा0शि0से0-2(5)/567 /चि0प्र0पू0-386(17)/2020-21 दिनांक 19 फरवरी 2021

संशोधित आदेश

निदेशालय के पत्र संख्या-प्रा0शि0से0-2(5)/9065-71/चि0प्र0पू0-386(17)/2020-21 दिनांक 22.10.2020 द्वारा श्रीमती कुसुमलता बंगवाल स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 55 राजपुर रोड देहरादून का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान-कैंसर रिसर्च हिमालियन हॉस्पिटल देहरादून में दिनांक: 16.04.2017 से 21.04.2017 तक कराये गये उपचार के दावे पर निदेशक, महानिदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य संस्तुत धनराशि रू0-4,78,489-00 (रू0 चार लाख अठ्त्तर हजार चार सौ नवासी मात्र) पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

श्रीमती कुसुमलता बंगवाल स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 55 राजपुर रोड देहरादून के उक्त चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति आदेश में त्रुटिवश उपचारिक अवधि दिनांक: 16.04.2017 से 21.04.2017 तक टंकित हो गयी है। जबकि अभिलेखानुसार उपचारिक अवधि दिनांक 0703.2019 से 29.08.2019 तक होनी है।

अतः निदेशालय के पत्र संख्या-प्रा0शि0से0-2(5)/9065-71/चि0प्र0पू0-386(17)/2020-21 दिनांक 22.10.2020 द्वारा श्रीमती कुसुमलता बंगवाल स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 55 राजपुर रोड, देहरादून के उक्त चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति आदेश में अंकित उपचारिक अवधि दिनांक: 16.04.2017 से 21.04.2017 तक के स्थान पर दिनांक 0703.2019 से 29.08.2019 तक पढी जाए। शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

संलग्न-समस्त बिल बाउचर मूल रूप में।

भवदीय,

(आर0के0कुंवर)-2021
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
/2020-21 तददिनांक।

पू0सं0- प्रा0शि0-सेवाये-3(1)/8/ चि0प्र0पू0/14892-97

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2-जिला शिक्षा अधिकारी प्रा0शिक्षा, देहरादून।
- 3-वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
- 4-वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार, देहरादून।
- 5-सम्बंधित उप शिक्षा अधिकारी (प्रा0शिक्षा), देहरादून।
- 6-कार्यालय गार्ड फाइल।

(आर0के0कुंवर)-2021
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा०शि०) देहरादून।

पत्रांक प्रा०शि०से०-दो(६)/१५९७६-४२/चि०प्र०पू०-३४१(०२)/२०२०-२१ दिनांक १९ फरवरी, २०२१

विषय:- स्व० अजय प्रकाश, स०अ०, रा०प्रा०वि० ककनोई, वि०ख० कालसी, देहरादून का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार पर हुए व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) देहरादून के पत्र संख्या: प्रबन्ध-१/९७३२-३४/चि०प्र०पू०/२०२०-२१ दिनांक १२ जनवरी, २०२० द्वारा स्व० अजय प्रकाश, स०अ०, रा०प्रा०वि० ककनोई, वि०ख० कालसी, देहरादून का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान-श्री महंत इन्द्रेण हॉस्पिटल, देहरादून में दिनांक १८.०६.२०१८ से दिनांक २४.०७.२०१८ तक अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार पर हुए व्यय के सापेक्ष सापेक्ष निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु संस्तुत की गई रू० ४,०९,३७९-०० (रू० चार लाख नौ हजार तीन सौ उनासी मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

- २- इस सम्बन्ध में चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक ०४.०९.२००६ एवं इसके बाद निर्गत अन्य सभी सुसंगत शासनादेशों में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायेगा तथा सुसंगत लेखाशीर्षक/मानक मद में बजट की उपलब्धता के सम्बन्ध में सुनिश्चित हो लिया जायेगा।
- ३- आहरण वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संलग्न बीजकों का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है वर्तमान तक इस हेतु कोई अग्रिम धनराशि अन्य श्रोतों से नहीं ली गई हो।
- ४- स्वीकृत की जा रही धनराशि का भुगतान आय व्ययक की अनुदान संख्या-११ राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक २२०२-सामान्य शिक्षा ०१-प्राथमिक शिक्षा-१०१- राजकीय प्राथमिक विद्यालय ०४-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत मानक मद-००-०९-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।
- ५- उक्त आदेश उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुरितका खण्ड-१ (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) (वर्ष २०१८) दिनांक ०२ अप्रैल, २०१८ एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु निर्गत शासनादेश संख्या: ६७९/चि०-३-२००६- ४३७/२००२, दिनांक ०४-०९-२००६ व उसके बाद निर्गत विभिन्न शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अनुसार जारी की जा रही हैं।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। संलग्न-समस्त बिल बाउचर मूल रूप में।

भवदीय

(आर.के. कुँवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

पू०सं० / प्रा०शि०से०-२(५) / 14876-82 / चि०प्र०पू०-274(32) / 2020-21 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- वित्त नियंत्रक / वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
- 3- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार-देहरादून।
- 5- उप शिक्षा अधिकारी वि०ख० कालसी, देहरादून।
- 6- कार्यालय गार्ड फाइल।


(आर.कै.कुंवर)
2. 2021

 प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

कार्यालय: निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।


आदेश संख्या: प्रा0शि0-2(5)/ 589 / कार्योत्तर अनु0-413(1)/2020-21 दिनांक 27 फरवरी, 2021

संशोधित आदेश

निदेशालय के पत्र संख्या प्रा0शि0से0-2(5)/7691-97/चि0प्र0पू0-219(07)/2018-19 दिनांक 19 जुलाई, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि0-3-2006-437/2002, दिनांक 04-09-2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार श्री आनन्द शंकर थपलियाल पति श्रीमती निवेदिता थपलियाल, स0अ0, रा0प्रा0वि0 नगरक्षेत्र-01, ऋषिकेश देहरादून का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- मैक्स हॉस्पिटल, देहरादून में दिनांक 23.04.2015 से दिनांक 28.04.2015 तक अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार के दावों के सापेक्ष निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रू0 2,15,156-00 (रू0 दो लाख पन्द्रह हजार एक सौ छप्पन मात्र) धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। बजट के अभाव में प्रश्नगत प्रकरण का भुगतान न होने पर निदेशालय के पत्र दिनांक 19 जुलाई, 2018 में उल्लिखित विद्यालय व प्रस्तर-03 में निम्नवत् संशोधित किया जाता है :-

राजकीय प्राथमिक विद्यालय नगरक्षेत्र-01, ऋषिकेश, देहरादून के स्थान पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मालसी, सहसपुर, देहरादून व लेखाशीर्षक के स्थान पर अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 02 माध्यमिक शिक्षा-113-समग्र शिक्षा, 01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना, 03 समग्र शिक्षा के अन्तर्गत संचालित माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा/शिक्षक शिक्षा की स्थापना, के मानक मद-09 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के मानक मदों के नामें डाला जायेगा, संशोधित पढ़ा जाय। और इसके शेष प्राविधान व शर्तें यथावत् लागू रहेगी।

भवदीय



(आ.के. कुंवर) 27.2.2021

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

पृ0सं0 प्रा0शि0-2(5)/ 16385-90 / कार्योत्तर अनु0-413(1)/2020-21 तददिनांक।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
- 3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार, देहरादून।
- 4- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) देहरादून को कार्यालय आदेश के साथ मूल प्रस्ताव संलग्न कर प्रत्यावर्तित।
- 5- श्रीमती निवेदिता थपलियाल, स0अ0, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मालसी, सहसपुर, देहरादून।
- 6- कार्यालय गार्ड फाईल।


(आ.के. कुंवर) 27.2.2021

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

मुख्य कोषाधिकारी
कोषागार—देहरादून।

पत्रांक : प्रा0शि0से0-दो(5)/16939-45/चि0प्र0पू0-462(46)/2020-21 दिनांक 08 मार्च, 2021

विषय:- स्व0 राम सिंह (से0नि0) सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय जौली, देहरादून का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार पर हुए व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) देहरादून के पत्रांक : प्रबन्ध-1/10818-19/चि0प्र0पू0/2020-21 दिनांक 20 फरवरी, 2021 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि0-3-2006-437/2002, दिनांक 04-09-2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्व0 राम सिंह (से0नि0) सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय जौली, देहरादून का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान— मैक्स हॉस्पिटल, देहरादून में दिनांक 23.09.2019 से दिनांक 28.09.2019 तक अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार के दावों के सापेक्ष निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रू0 3,66,895-00 (रू0 तीन लाख छियासठ हजार आठ सौ पचानबे मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

2- इस सम्बन्ध में चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 04.09.2006 एवं इसके बाद निर्गत अन्य सभी शासनादेशों में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायेगा।

3- सम्बन्धित कोषागार यह सुनिश्चित करेंगे कि संलग्न बीजकों का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है वर्तमान तक इस हेतु कोई अग्रिम धनराशि अन्य स्रोतों से नहीं ली गई हो। भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रकरण में किसी प्रकार की अनियमितता न हो।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि का वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-07 आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ, 01-सिविल-800-अन्य व्यय 04- राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता (उत्तराखण्ड)-02-उत्तराखण्ड राज्याधीन-09- अन्य व्यय के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) देहरादून द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय

(आ.के. कुँवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

क्रमशः-2

पू०सं० / प्रा०शि०से०-2(5) / 17640-46 / वि०प्र०पू०-459(44) / 2020-21 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
- 3- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- मुख्य शिक्षा अधिकारी टिहरी गढ़वाल, नरेन्द्रनगर।
- 5- उप शिक्षा अधिकारी वि०ख० थौलधार, टिहरी गढ़वाल को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित अध्यापक के परिजनों को अपने स्तर से अवगत कराना सुनिश्चित करें।
- 6- कार्यालय गार्ड फाइल।

(आर.के. कुँवरी) 3-2021

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा०शि०) पौड़ी गढ़वाल।

पत्रांक प्रा०शि०से०-दो(5)/16946-53 /चि०प्र०पू०-444(40)/2020-21 दिनांक 08 मार्च, 2021
विषय:- श्रीमती शहनाज बेबी, प्र०अ०, रा०क०उ०प्रा०वि० नगर क्षेत्र कोटद्वार, वि०ख० दुगड़डा,
पौड़ी गढ़वाल का प्रदेश के बाहर कराये गये उपचार की कार्योत्तर अनुमति एवं
उपचार पर हुए व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) पौड़ी गढ़वाल के पत्र संख्या : 04
बे०पें०/12086-87/चि०प्र०पू०/2020-21 दिनांक 08 जनवरी, 2021 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर
शासन के पत्र संख्या : एम०आर० 22/XXIV-A-2/22/2021 दिनांक 02 मार्च, 2021 कार्योत्तर
अनुमति प्राप्त होने पर श्रीमती शहनाज बेबी, प्र०अ०, रा०क०उ०प्रा०वि० नगर क्षेत्र कोटद्वार, वि०ख०
दुगड़डा, पौड़ी गढ़वाल का प्रदेश के बाहर चिकित्सा संस्थान- कैलाश हॉस्पिटल नोएडा, उ०प्र०
में दिनांक 23.10.2012 से दिनांक 08.11.2012 तक अन्तः रोगी व दिनांक 09.11.2012 से दिनांक
15.12.2012 तक वाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार का दावा जो निदेशक, चिकित्सा
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित कुल रू०
2,27,015-00 (रू० दो लाख सताईस हजार पन्द्रह मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप
में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

- 2- इस सम्बन्ध में चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 04.09.2006
एवं इसके बाद निर्गत अन्य सभी सुसंगत शासनादेशों में उल्लिखित सभी शर्तों का
अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायेगा तथा सुसंगत लेखाशीर्षक/मानक मद
में बजट की उपलब्धता के सम्बन्ध में सुनिश्चित हो लिया जायेगा।
- 3- आहरण वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संलग्न बीजकों का भुगतान पूर्व में नहीं
किया गया है वर्तमान तक इस हेतु कोई अग्रिम धनराशि अन्य श्रोतों से नहीं ली गई हो।
- 4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का भुगतान आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के
अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101- राजकीय
प्राथमिक विद्यालय 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत मानक
मद-00-09-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।
- 5- उक्त आदेश उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का
प्रतिनिधायन) (वर्ष 2018) दिनांक 02 अप्रैल, 2018 एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु निर्गत
शासनादेश संख्या: 679/चि०-3-2006- 437/2002, दिनांक 04-09-2006 व उसके
बाद निर्गत विभिन्न शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अनुसार जारी की जा रही हैं।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित
किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का
कष्ट करें। संलग्न-समस्त बिल बाउचर मूल रूप में।

भवदीय

(आरूके देवेंद्र)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

पू०सं० / प्रा०शि०से०-२(५) / १६९४६-५३ / चि०प्र०पू०-४४४(४०) / २०२०-२१ तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- १- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- २- वित्त नियंत्रक / वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
- ३- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- ४- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार-पौड़ी गढ़वाल।
- ५- उप शिक्षा अधिकारी वि०ख० दुगड़डा, पौड़ी गढ़वाल।
- ६- श्रीमती शहनाज बेबी, प्र०अ०, रा०क०उ०प्रा०वि० नगर क्षेत्र कोटद्वार, वि०ख० दुगड़डा, पौड़ी गढ़वाल।
- ७- कार्यालय गार्ड फाइल।


(अ.र.क. कुंवर)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

1568
12-3-21

प्रेषक,

प्रदीप जोशी,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

11 मार्च 21
क. संदेश-न. कार्यवाही.
AS
12/3

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक: 10 मार्च, 2021

विषय: स्व० श्री नरेन्द्र कुमार, स०अ०, रा०प्रा०वि० टसीला, वि०ख० जयहरीखाल, पौड़ी गढ़वाल द्वारा प्रदेश के बाहर कराये गये उपचार की कार्योत्तर अनुमति प्रदान किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक: प्रा०शि०से०-2(5)/14697/चि०प्र०पू०-455(41)/2020-21 दिनांक 16 फरवरी, 2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 679/चि०-3-2006-437/2002, दिनांक 04.09.2006 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्व० श्री नरेन्द्र कुमार, स०अ०, रा०प्रा०वि० टसीला, वि०ख० जयहरीखाल, पौड़ी गढ़वाल द्वारा प्रदेश के बाहर चिकित्सा संस्थान-राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल नई दिल्ली व कैंसर हॉस्पिटल मेरठ, उ०प्र० में कराये गये चिकित्सा उपचार की कार्योत्तर अनुमति निम्नलिखित तालिकानुसार एतद्वारा प्रदान की जाती है।

क.स.	दिनांक से	दिनांक तक	अन्तः/वाह्य रोगी	रूपये
1	12.07.2017	10.08.2017	अन्तः/वाह्य रोगी	₹ 2,39,631
2	12.08.2017	10.10.2017	वाह्य रोगी	₹ 78,909
3	20.09.2017	13.10.2017	अन्तः/वाह्य रोगी	₹ 1,59,034
			योग	₹ 4,77,574

(रु० चार लाख सतहत्तर हजार पांच सौ चौहत्तर मात्र)

उक्त के संबंध में कराये गये उपचार की एतद्वारा कार्योत्तर अनुमति इस शर्त एवं प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि उक्त कार्मिक द्वारा शासनादेश 679 दिनांक 04 सितम्बर, 2006 के प्रस्तर 4(ii) का अनुपालन सुनिश्चित किया गया हो तथा संगत चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों में किसी भी प्रकार की डुप्लीकेसी न हो, के संबंध में भुगतान करने से पूर्व सुनिश्चित कर लिया जाए।

संलग्न यथोक्त।

भवदीय,

(प्रदीप जोशी)

संयुक्त सचिव।

15/3/21

15/3/2021

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेडा, देहरादून।

पंजीकृत

सेवा में,

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी
कोषागार-टिहरी गढ़वाल।

पत्रांक प्रा0शि0से0-दो(5)/17640-46/चि0प्र0पू0-459(44)/2020-21 दिनांक 19 मार्च, 2021
विषय:- स्व0 युगलकिशोर (से0नि0) स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 तिवाडगांव वि0ख0 थौलधार, टिहरी गढ़वाल का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार पर हुए व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

- उपर्युक्त विषयक मुख्य शिक्षा अधिकारी टिहरी गढ़वाल के पत्र संख्या : अर्थ अनु0/9309-10/चि0प्र0पू0/2020-21 दिनांक 02 फरवरी, 2021 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव स्व0 युगलकिशोर (से0नि0) स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 तिवाडगांव वि0ख0 थौलधार, टिहरी गढ़वाल का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- फोर्टिस हॉस्पिटल देहरादून में दिनांक 09.12.2019 से दिनांक 17.12.2019 तक अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार का दावा जो निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित कुल रू0 2,15,840-00 (रू0 दो लाख पन्द्रह हजार आठ सौ चालीस मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
- 2- इस सम्बन्ध में चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 04.09.2006 एवं इसके बाद निर्गत अन्य सभी सुसंगत शासनादेशों में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायेगा तथा सुसंगत लेखाशीर्षक/मानक मद में बजट की उपलब्धता के सम्बन्ध में सुनिश्चित हो लिया जायेगा।
 - 3- आहरण वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संलग्न बीजकों का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है वर्तमान तक इस हेतु कोई अग्रिम धनराशि अन्य श्रोतों से नहीं ली गई हो।
 - 4- उक्त स्वीकृत धनराशि का आय व्ययक के अनुदान संख्या-07 आयोजनेतर के अधीन लेखाशीर्षक 2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ, 01- सिविल-800-अन्य व्यय 04- राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता (उत्तराखण्ड)-02-उत्तराखण्ड राज्याधीन-09- अन्य व्यय के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।
 - 5- उक्त आदेश उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) (वर्ष 2018) दिनांक 02 अप्रैल, 2018 एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु निर्गत शासनादेश संख्या: 679/चि0-3-2006- 437/2002, दिनांक 04-09-2006 व उसके बाद निर्गत विभिन्न शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अनुसार जारी की जा रही हैं। अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। संलग्न-समस्त बिल बाउचर मूल रूप में।

भवदीय

(आर.के. कुंवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा०शि०) पौड़ी गढ़वाल।

पत्रांक प्रा०शि०से०-दो(5)/ 13615-22/चि०प्र०पू०-280(37)/2020-21 दिनांक 19 मार्च, 2021

विषय:- श्रीमती बीना तोमर, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० कण्डीवट वि०ख० कोट, पौड़ी गढ़वाल के पति का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार पर हुए व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) पौड़ी गढ़वाल के पत्र संख्या : 04 बे०पें०/13994-95/चि०प्र०पू०/2020-21 दिनांक 12 फरवरी, 2021 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव श्रीमती बीना तोमर, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० कण्डीवट वि०ख० कोट, पौड़ी गढ़वाल के पति का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- अरिहन्त हॉस्पिटल देहरादून में दिनांक 14.10.2017 से दिनांक 27.10.2017 तक वाह्य रोगी व दिनांक 28.10.2017 से दिनांक 07.12.2017 तक अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार का दावा जो निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित कुल रू० 2,24,980-00 (रू० दो लाख चौबीस हजार नौ सौ अस्सी मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

- 2- इस सम्बन्ध में चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 04.09.2006 एवं इसके बाद निर्गत अन्य सभी सुसंगत शासनादेशों में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायेगा तथा सुसंगत लेखाशीर्षक/मानक मद में बजट की उपलब्धता के सम्बन्ध में सुनिश्चित हो लिया जायेगा।
- 3- आहरण वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संलग्न बीजकों का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है वर्तमान तक इस हेतु कोई अग्रिम धनराशि अन्य श्रोतों से नहीं ली गई हो।
- 4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का भुगतान आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101- राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत मानक मद-00-09-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।
- 5- उक्त आदेश उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) (वर्ष 2018) दिनांक 02 अप्रैल, 2018 एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु निर्गत शासनादेश संख्या: 679/चि०-3-2006- 437/2002, दिनांक 04-09-2006 व उसके बाद निर्गत विभिन्न शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अनुसार जारी की जा रही हैं।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। संलग्न-समस्त बिल बाउचर मूल रूप में।

भवदीय

(आ.के.कुंवर) 2021
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

क्रमशः-2

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा०शि०) पौड़ी गढ़वाल।

पत्रांक प्रा०शि०से०-दो(५)/१७६२६-३३/चि०प्र०पू०-२८२(३८)/२०२०-२१ दिनांक १९ मार्च, २०२१

विषय:- श्रीमती हेमलता थपलियाल, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० नौगियाखेत, वि०ख० नैनीडांडा, पौड़ी गढ़वाल की पुत्री का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार पर हुए व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) पौड़ी गढ़वाल के पत्र संख्या : ०४ बे०पें०/१३९९२-९३/चि०प्र०पू०/२०२०-२१ दिनांक १२ फरवरी, २०२१ द्वारा प्रेषित प्रस्ताव श्रीमती हेमलता थपलियाल, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० नौगियाखेत, वि०ख० नैनीडांडा, पौड़ी गढ़वाल की पुत्री का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- कनिष्क हॉस्पिटल देहरादून में दिनांक २८.०९.२०१७ से दिनांक १७.१०.२०१७ तक अन्तः रोगी व दिनांक १८.१०.२०१७ से दिनांक ११.१२.२०१७ तक वाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार का दावा जो निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित कुल रू० ४,३१,३२६-०० (रू० चार लाख इकतीस हजार तीन सौ छब्बीस मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

- २- इस सम्बन्ध में चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक ०४.०९.२००६ एवं इसके बाद निर्गत अन्य सभी सुसंगत शासनादेशों में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायेगा तथा सुसंगत लेखाशीर्षक/मानक मद में बजट की उपलब्धता के सम्बन्ध में सुनिश्चित हो लिया जायेगा।
- ३- आहरण वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संलग्न बीजकों का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है वर्तमान तक इस हेतु कोई अग्रिम धनराशि अन्य श्रोतों से नहीं ली गई हो।
- ४- स्वीकृत की जा रही धनराशि का भुगतान आय व्ययक की अनुदान संख्या-११ राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक २२०२-सामान्य शिक्षा ०१-प्राथमिक शिक्षा-१०१- राजकीय प्राथमिक विद्यालय ०४-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत मानक मद-००-०९-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।
- ५- उक्त आदेश उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-१ (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) (वर्ष २०१८) दिनांक ०२ अप्रैल, २०१८ एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु निर्गत शासनादेश संख्या: ६७९/चि०-३-२००६- ४३७/२००२, दिनांक ०४-०९-२००६ व उसके बाद निर्गत विभिन्न शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अनुसार जारी की जा रही हैं।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय

(आर.के.कुंवर) ३-२०२१
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेडा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा०शि०) पौड़ी गढ़वाल।

पत्रांक प्रा०शि०रो०-दो(५)/११०२५-३२-/चि०प्र०पू०-४४५(४१)/२०२०-२१ दिनांक २३ मार्च, २०२१
विषय:- स्व० नरेन्द्र कुमार, स०अ०, रा०प्रा०वि० टसीला, वि०ख० जयहरीखाल, पौड़ी गढ़वाल का प्रदेश के बाहर कराये गये उपचार की कार्योत्तर अनुमति एवं उपचार पर हुए व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) पौड़ी गढ़वाल के पत्र संख्या : ०४ बे०पे०/१३०६२/चि०प्र०पू०/२०२०-२१ दिनांक १८ जनवरी, २०२१ द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासन के पत्र संख्या : एम०आर० २४/XXIV-A-२/२४/२०२१ दिनांक १० मार्च, २०२१ कार्योत्तर अनुमति प्राप्त होने पर स्व० नरेन्द्र कुमार, स०अ०, रा०प्रा०वि० टसीला, वि०ख० जयहरीखाल, पौड़ी गढ़वाल का प्रदेश के बाहर चिकित्सा संस्थान-राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल नई दिल्ली (१) दिनांक १२.०७.२०१७ को वाह्य रोगी दि० १३.०७.२०१७ से २०.०७.२०१७ तक अन्तः रोगी व दिनांक २१.०७.२०१७ से १०.०८.२०१७ तक वाह्य रोगी के रूप में (२) दिनांक १२.०८.२०१७ से दिनांक १०.१०.२०१७ तक वाह्य रोगी के रूप में एवं (३) चिकित्सा संस्थान-कैंसर हॉस्पिटल मेरठ उ०प्र० में दिनांक २०.०९.२०१७ से दिनांक २८.०९.२०१७ तक अन्तः रोगी दिनांक २९.९.२०१७ से दिनांक ११.१०.२०१७ तक वाह्य रोगी व दिनांक १२.१०.२०१७ से दिनांक १३.१०.२०१७ तक अन्तः रोगी के रूप में कराये गये पृथक-पृथक उपचार का दावे जो निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित क्रमशः (१) ₹० २,३९,६३१/- (२) ₹० ७८,९०९/- (३) ₹० १,५९,०३४/- कुल संस्तुत ₹० ४,७७,५७४-०० (₹० चार लाख सत्तहत्तर हजार पांच सौ चबहत्तर मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

- २- इस सम्बन्ध में चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक ०४.०९.२००६ एवं इसके बाद निर्गत अन्य सभी सुसंगत शासनादेशों में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायेगा तथा सुसंगत लेखाशीर्षक/मानक मद में बजट की उपलब्धता के सम्बन्ध में सुनिश्चित हो लिया जायेगा।
- ३- आहरण वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संलग्न बीजकों का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है वर्तमान तक इस हेतु कोई अग्रिम धनराशि अन्य श्रोतों से नहीं ली गई हो।
- ४- स्वीकृत की जा रही धनराशि का भुगतान आय व्ययक की अनुदान संख्या-११ राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक २२०२-सामान्य शिक्षा ०१-प्राथमिक शिक्षा-१०१- राजकीय प्राथमिक विद्यालय ०४-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत मानक मद-००-०९-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।
- ५- उक्त आदेश उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-१ (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) (वर्ष २०१८) दिनांक ०२ अप्रैल, २०१८ एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु निर्गत शासनादेश संख्या: ६७९/चि०-३-२००६- ४३७/२००२, दिनांक ०४-०९-२००६ व उसके बाद निर्गत विभिन्न शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अनुसार जारी की जा रही हैं।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रोत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय


(आर.के. कुँवर) ३१.०३.२०२१
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

पृ०सं०/ प्रा०शि०से०-2(5) 18025-32 चि०प्र०पू०-445(41)/2020-21 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
- 3- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार-पौड़ी गढ़वाल।
- 5- उप शिक्षा अधिकारी वि०ख० जयहरीखाल, पौड़ी गढ़वाल।
- 6- स्व० नरेन्द्र कुमार, स०अ०, रा०प्रा०वि० टसीला, वि०ख० जयहरीखाल, पौड़ी गढ़वाल।
- 7- कार्यालय गार्ड फाइल।


(आर.कृ.कुंवर) 2021

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा0शि0) देहरादून।

पत्रांक प्रा0शि0से0-दो(5)/127-34/चि0प्र0पू0-456(43)/2021-22 दिनांक 05 अप्रैल, 2021

विषय:- श्री कमल किशोर, स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 जौलीग्रान्ट वि0ख0 डोईवाला, देहरादून का प्रदेश के बाहर कराये गये उपचार की कार्योत्तर अनुमति एवं उपचार पर हुए व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) देहरादून के पत्र संख्या : प्रब0राज0बेसिक-2/9754/चि0प्र0पू0/2020-21 दिनांक 13 जनवरी, 2021 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासन के पत्र संख्या : एम0आर0 37/XXIV-A-2/37/2021 दिनांक 26 मार्च, 2021 से कार्योत्तर अनुमति प्राप्त होने पर श्री कमल किशोर, स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 जौलीग्रान्ट वि0ख0 डोईवाला, देहरादून का प्रदेश के बाहर चिकित्सा संस्थान-मेदांता हॉस्पिटल, गुडगांव में दिनांक 08.03.2020 से दिनांक 17.03.2020 तक अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार के सापेक्ष निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित/संस्तुत धनराशि रू0 1,59,316-00 (रू0 एक लाख उनसठ हजार तीन सौ सोलह मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

- 2- इस सम्बन्ध में चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 04.09.2006 एवं इसके बाद निर्गत अन्य सभी सुसंगत शासनादेशों में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायेगा तथा सुसंगत लेखाशीर्षक/मानक मद में बजट की उपलब्धता के सम्बन्ध में सुनिश्चित हो लिया जायेगा।
- 3- आहरण वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संलग्न बीजकों का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है वर्तमान तक इस हेतु कोई अग्रिम धनराशि अन्य स्रोतों से नहीं ली गई हो।
- 4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का भुगतान आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101- राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत मानक मद-00-09-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।
- 5- उक्त आदेश उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) (वर्ष 2018) दिनांक 02 अप्रैल, 2018 एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु निर्गत शासनादेश संख्या: 679/चि0-3-2006- 437/2002, दिनांक 04-09-2006 व उसके बाद निर्गत विभिन्न शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अनुसार जारी की जा रही हैं।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रोत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय

(आर.के. कुँवर) 4-2021

निदेशक,


प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

क्रमशः-2

पृ०सं० / प्रा०शि०से०-२(५) / १२७-३४ / वि०प्र०पू०-४५६(४३) / २०२१-२२ तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- १- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- २- वित्त नियंत्रक / वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
- ३- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- ४- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार-देहरादून।
- ५- उप शिक्षा अधिकारी वि०ख० डोईवाला, देहरादून।
- ६- श्री कमल किशोर, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० जौलीग्रान्ट वि०ख० डोईवाला, देहरादून।
- ७- कार्यालय गार्ड फाइल।


(आर.के. कुँवर) ५.२०२१
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेडा, देहरादून।

सेवा में,

मुख्य कोषाधिकारी
कोषागार-देहरादून।

पत्रांक प्रा0शि0से0-दो(5)/177-84/चि0प्र0पू0-318(49)/2021-22 दिनांक 06 अप्रैल, 2021
विषय:- श्री राजकुमार सैनी (से0नि0) प्र0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 नवादा वि0ख0 रायपुर, देहरादून की पत्नी का प्रदेश के बाहर कराये गये उपचार की कार्योत्तर अनुमति एवं उपचार पर हुए व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) देहरादून के पत्र संख्या : प्रब0राज0बेसिक-2/9753/चि0प्र0पू0/2020-21 दिनांक 13 जनवरी, 2021 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासन के पत्र संख्या : एम0आर0 31/XXIV-A-2/30/2021 दिनांक 19 मार्च, 2021 से कार्योत्तर अनुमति प्राप्त होने पर श्री राजकुमार सैनी (से0नि0) प्र0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 नवादा वि0ख0 रायपुर, देहरादून की पत्नी का प्रदेश के बाहर चिकित्सा संस्थान- मैक्स सुपर स्पेशिएलिटी हॉस्पिटल, नई दिल्ली में दिनांक 31.08.2018 से दिनांक 16.09.2018 तक वाह्य रोगी दिनांक 17.09.2018 से दिनांक 25.09.2018 तक अन्तः रोगी दिनांक 26.09.2018 से दिनांक 04.10.2018 तक वाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार के सापेक्ष निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित/संस्तुत धनराशि रू0 4,05,463-00 (रू0 चार लाख पांच हजार चार सौ तिरैसठ मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

- 2- इस सम्बन्ध में चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 04.09.2006 एवं इसके बाद निर्गत अन्य सभी सुसंगत शासनादेशों में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायेगा तथा सुसंगत लेखाशीर्षक/मानक मद में बजट की उपलब्धता के सम्बन्ध में सुनिश्चित हो लिया जायेगा।
- 3- आहरण वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संलग्न बीजकों का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है वर्तमान तक इस हेतु कोई अग्रिम धनराशि अन्य श्रोतों से नहीं ली गई हो।
- 4- उक्त स्वीकृत धनराशि का आय व्ययक के अनुदान संख्या-07 आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ, 01- सिविल-800-अन्य व्यय 04- राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता (उत्तराखण्ड)-02-उत्तराखण्ड राज्याधीन-09-अन्य व्यय के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।
- 5- उक्त आदेश उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) (वर्ष 2018) दिनांक 02 अप्रैल, 2018 एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु निर्गत शासनादेश संख्या: 679/चि0-3-2006- 437/2002, दिनांक 04-09-2006 व उसके बाद निर्गत विभिन्न शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अनुसार जारी की जा रही हैं।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। संलग्न-समस्त बिल बाउचर मूल रूप में।

भवदीय

(आर.के. कुँवर) 04-2021

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

पृ०सं० / प्रा०शि०से०-२(६)/१७७-४४ / चि०प्र०पू०-३१८(४९)/२०२१-२२ तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- १- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- २- क्ति नियंत्रक / क्ति अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
- ३- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- ४- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) देहरादून।
- ५- उप शिक्षा अधिकारी वि०ख० रायपुर, देहरादून।
- ६- श्री राजकुमार सैनी (से०नि०) प्र०अ०, रा०उ०प्रा०वि० नवादा वि०ख० रायपुर, देहरादून।
- ७- कार्यालय गार्ड फाइल।

(आर.के. कुँवर) ५.२०२१

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

मुख्य शिक्षा अधिकारी
टिहरी गढ़वाल, नरेन्द्रगर।

पत्रांक प्रा0शि0से0-दो(5)/169-36 /चि0प्र0पू0-471(49)/2021-22 दिनांक 06 अप्रैल, 2021
विषय:- श्री मुन्ना सिंह, स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 कोठगा, वि0ख0 प्रतापनगर, टिहरी गढ़वाल की पुत्री दिव्या पंवार का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार की व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य शिक्षा अधिकारी टिहरी गढ़वाल के पत्र संख्या : अर्थ अनु0/11451-52/चि0प्र0पू0/2020-21 दिनांक 26 फरवरी, 2021 द्वारा श्री मुन्ना सिंह, स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 कोठगा, वि0ख0 प्रतापनगर, टिहरी गढ़वाल की पुत्री दिव्या पंवार का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान-कनिष्क हॉस्पिटल, देहरादून में दिनांक 20.11.2019 से दिनांक 05.12.2019 तक अन्तः रोगी दिनांक 06.12.2019 से दिनांक 26.01.2020 तक वाह्य रोगी दिनांक 27.01.2020 से 07.02.2020 तक अन्तः रोगी व दिनांक 08.02.2020 से 02.03.2020 तक वाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार के सापेक्ष निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित/संस्तुत धनराशि रू0 3,33,269-00 (रू0 तीन लाख तेतीस हजार दो सौ उनसहत्तर मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

- 2- इस सम्बन्ध में चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 04.09.2006 एवं इसके बाद निर्गत अन्य सभी सुसंगत शासनादेशों में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायेगा तथा सुसंगत लेखाशीर्षक/मानक मद में बजट की उपलब्धता के सम्बन्ध में सुनिश्चित हो लिया जायेगा।
- 3- आहरण वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संलग्न बीजकों का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है वर्तमान तक इस हेतु कोई अग्रिम धनराशि अन्य श्रोतों से नहीं ली गई हो।
- 4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का भुगतान आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101- राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत मानक मद-00-09-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।
- 5- उक्त आदेश उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) (वर्ष 2018) दिनांक 02 अप्रैल, 2018 एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु निर्गत शासनादेश संख्या: 679/चि0-3-2006- 437/2002, दिनांक 04-09-2006 व उसके बाद निर्गत विभिन्न शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अनुसार जारी की जा रही हैं।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय

(आर.के. कुँवर) 4-2021
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा0शि0) पौड़ी गढ़वाल।

पत्रांक : प्रा.शि.से.-2(5)/ 549-56 /चि.प्र.पू.-352(11)/2020-21 दिनांक 15 मई, 2020
विषय:- श्री मनोज कुमार, स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 कोठी वि0ख0 कोट, पौड़ी गढ़वाल
का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार पर हुए व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध
में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) पौड़ी गढ़वाल के पत्रांक :
04बे0पे0/9584-85/चि0प्र0पू0/2019-20 दिनांक 18 फरवरी, 2020 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर
शासनादेश संख्या : 61/XXVII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड
वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा
अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि0-3-2006- 437/2002, दिनांक 04-09-2006 में
निहित प्राविधानों के अनुसार श्री मनोज कुमार, स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 कोठी वि0ख0 कोट, पौड़ी
गढ़वाल का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- मैक्स हॉस्पिटल में दिनांक 27.09.2017 से दिनांक
14.10.2017 तक अन्तः रोगी के रूप कराये गये उपचार के सापेक्ष निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं
परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य धनराशि रू0 1,88,480-00 (रू0
एक लाख अठासी हजार चार सौ अस्सी मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में
निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

2- इस सम्बन्ध में चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 04.09.2006
एवं इसके बाद निर्गत अन्य सभी शासनादेशों में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन प्रत्येक दशा
में सुनिश्चित किया जायगा।

3- आहरण वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संलग्न बीजकों का भुगतान पूर्व में
नहीं किया गया है वर्तमान तक इस हेतु कोई अग्रिम धनराशि अन्य श्रोतों से नहीं ली गई हो।
आहरण वितरण अधिकारी द्वारा भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रकरण में
किसी प्रकार की अनियमितता न हो।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय व्ययक की अनुदान
संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-
राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत
मानक मद-00-27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित
किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का
कष्ट करें। संलग्न-समस्त बिल बाउचर मूल रूप में।

भवदीय

(आर.के. कुँवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

क्रमशः-2

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा०शि०) पौड़ी गढ़वाल।

पत्रांक : प्रा.शि.से.-2(5) / 657-64 / चि.प्र.पू.-350(10)/2020-21 दिनांक 18 मई, 2020
विषय:- श्री विशन सिंह, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० रिखाड़ वि०ख० बीरोंखाल, पौड़ी
गढ़वाल का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार पर हुए व्यय की स्वीकृति के
सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) पौड़ी गढ़वाल के पत्रांक :
04बे०पै०/8031-32/चि०प्र०पू०/2019-20 दिनांक 01 जनवरी, 2020 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर
शासनादेश संख्या : 61/XXVII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड
वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा
अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि०-3-2006-437/2002, दिनांक 04-09-2006 में
निहित प्राविधानों के अनुसार श्री विशन सिंह, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० रिखाड़ वि०ख० बीरोंखाल,
पौड़ी गढ़वाल का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- फोर्टिस हॉस्पिटल में दिनांक 14.12.2017 से
दिनांक 17.12.2017 तक अन्तः रोगी के रूप कराये गये उपचार के सापेक्ष निदेशक, चिकित्सा
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य धनराशि रु०
1,72,219-00 (रु० एक लाख बहत्तर हजार दो सौ उन्नीस मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति
के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

2- इस सम्बन्ध में चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 04.09.2006
एवं इसके बाद निर्गत अन्य सभी शासनादेशों में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन प्रत्येक दशा
में सुनिश्चित किया जायेगा।

3- आहरण वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संलग्न बीजकों का भुगतान पूर्व में
नहीं किया गया है वर्तमान तक इस हेतु कोई अग्रिम धनराशि अन्य श्रोतों से नहीं ली गई हो।
आहरण वितरण अधिकारी द्वारा भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रकरण में
किसी प्रकार की अनियमितता न हो।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय व्ययक की अनुदान
संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-
राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत
मानक मद-00-27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित
किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का
कष्ट करें। संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय

(आर.के. कुंवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

क्रमशः-2

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेडा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा०शि०) हरिद्वार।

पत्रांक : प्रा.शि.से.-2(5)/ 1412-20 /चि.प्र.पू.-237(49)/2020-21 दिनांक 02 मई, 2020

विषय:- श्री कँवरपाल सिंह, सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय झवरेडा नं०-1 वि०ख० नारसन जनपद हरिद्वार का प्रदेश के बाहर कराये गये उपचार की कार्योत्तर अनुमति एवं उपचार पर हुए व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप शिक्षा अधिकारी वि०ख० नारसन, हरिद्वार के पत्रांक : 1022/जू०वे०/चि०प्र०पू०/2019-20 दिनांक 19 अक्टूबर, 2019 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासन के पत्र संख्या : एम०आर० 04/XXIV-A-2/04/2020 दिनांक 17 फरवरी, 2020 द्वारा कार्योत्तर अनुमति प्रदान किए जाने पर शासनादेश संख्या : 61/XXVIII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि०-3-2006-437/2002, दिनांक 04-09-2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार श्री कँवरपाल सिंह, सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय झवरेडा नं०-1 वि०ख० नारसन जनपद हरिद्वार का प्रदेश के बाहर चिकित्सा संस्थान- पी०जी०आई०चण्डीगढ़ में दिनांक 17-06-2016 से दिनांक 30-06-2016 तक अतः रोगी के रूप कराये गये उपचार के सापेक्ष निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढ़वाल मण्डल पौड़ी द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य धनराशि रु० 1,85,157-00 (रु० एक लाख पच्चासी हजार एक सौ सत्तावन मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

2- इस सम्बन्ध में चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 04.09.2006 एवम् इसके बाद निर्गत अन्य सभी शासनादेशों में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायगा।

3- आहरण वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संलग्न बीजकों का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है वर्तमान तक इस हेतु कोई अग्रिम धनराशि अन्य श्रोतों से नहीं ली गई हो। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रकरण में किसी प्रकार की अनियमितता न हो।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत मानक मद-00-27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। संलग्न-सामरत बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय

(आर.के. कुँवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

कमरा 2

कार्यालय: निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।

आदेश संख्या: प्रा0शि0-2(5)/ 59 /प्रदेश से बाहर/2020-21 दिनांक 11 जून, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

निदेशालय के पत्र संख्या प्रा0शि0से0-2(5)/16299-305/चि0प्र0पू0-128(44)/2018-19 दिनांक 30 अक्टूबर, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि0-3-2006- 437/2002, दिनांक 04-09-2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्व0 जनार्दन सैनी, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चांदपुर, वि0ख0 विकासनगर, जनपद देहरादून का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- सिनर्जी हॉस्पिटल देहरादून में दिनांक 17.10.2017 से दिनांक 28.10.2017 तक अन्तः रोगी एवं दिनांक 04.11.2017 तक वाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार के दावों पर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढ़वाल मण्डल पौड़ी द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रू0 1,54,466-00 (रू0 एक लाख चौवन हजार चार सौ छियासठ मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजट के अभाव भुगतान न होने पर जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) देहरादून के पत्र संख्या : प्र0राज0वे0-2/9437/2019-20 दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 द्वारा वित्तीय वर्ष संशोधित किए जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः निदेशालय उक्त पत्र दिनांक 31 जुलाई, 2018 के प्रस्तर-03 में उल्लिखित वित्तीय वर्ष 2018-19 के स्थान पर वित्तीय वर्ष 2020-21 संशोधित पढ़ा जाय। और इसके शेष प्राविधान व शर्तें यथावत् लागू रहेगी।

भवदीय

(आर.के. कुंवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

पृ0सं0 प्रा0शि0-2(5)/ 1827-31 / प्रदेश से बाहर/2020-21 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
- 3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार, देहरादून।
- 4- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) देहरादूनको कार्यालय आदेश के साथ मूल प्रस्ताव संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही किए जाने हेतु।
- 5- कार्यालय गार्ड फाईल।

(आर.के. कुंवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

कार्यालय: निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।

आदेश संख्या: प्रा0शि0-2(5)/ 60 / चि0प्र0पू0-180(60)/2020-21 दिनांक 11 जून, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

निदेशालय के पत्र संख्या प्रा0शि0से0-2(5)/ 25527/चि0प्र0पू0-180(60)/2018-19 दिनांक 01 मार्च, 2019 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि0-3-2006- 437/2002, दिनांक 04-09-2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार श्रीमती सरोजनी पच्छिमी, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय धनपुर वि0ख0 भटवाड़ी जनपद उत्तरकाशी के पुत्र हिमांशु का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- बृज लाल हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, हल्द्वानी, नैनीताल में दिनांक 12.03.2017 को वाह्य रोगी एवं दिनांक 23.03.2017 से दिनांक 29.03.2017 तक अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार के दावों पर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढ़वाल मण्डल पौड़ी द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रू0 1,78,774-00 (रू0 एक लाख अठहत्तर हजार सात सौ चौहत्तर मात्र) धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजट के अभाव एवं विद्यालय का लेखाशीर्षक परिवर्तित होने के कारण भुगतान न होने पर जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) उत्तरकाशी के पत्र संख्या : जि0प0का0/1518-21 दिनांक 15 फरवरी, 2020 द्वारा वित्तीय वर्ष एवं लेखाशीर्षक संशोधित किए जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः निदेशालय पत्र दिनांक 01 मार्च, 2019 के प्रस्तर-03 में उल्लिखित वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं लेखाशीर्षक के स्थान पर वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 02 माध्यमिक शिक्षा-109-राजकीय माध्यमिक विद्यालय 01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना, 01 03 समग्र शिक्षा के अन्तर्गत मानक मद-00-27- चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा, संशोधित पढ़ा जाय। और इसके शेष प्राविधान व शर्तें यथावत् लागू रहेगी।

भवदीय




(आर.के. कुंवर) 2020

निदेशक,

पृ0सं0 प्रा0शि0-2(5)/ 1832-37 / 180(60)/2020-21 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
- 3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार, उत्तरकाशी।
- 4- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) उत्तरकाशी को कार्यालय आदेश के साथ मूल प्रस्ताव संलग्न कर प्रत्यावर्तित।
- 5- श्रीमती सरोजनी पच्छिमी, स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 धनपुर, भटवाड़ी जनपद, उत्तरकाशी
- 6- कार्यालय गार्ड फाईल।



(आर.के. कुंवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेडा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा0शि0) पौड़ी गढ़वाल।

पत्रांक : प्रा0शि0से0-दो(5) / 2618 / चि0प्र0पू0-345(06) / 2020-21 दिनांक 25 जून, 2020

विषय:- श्रीमती सुधा नेगी (से0नि0) सहायक अध्यापिका, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जुयालगांव, वि0ख0 द्वारीखाल जनपद पौड़ी गढ़वाल का प्रदेश के बाहर कराये गये उपचार की कार्योत्तर अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) पौड़ी गढ़वाल के पत्रांक : 04बे0पे0/8029-30/चि0प्र0पू0/2019-20 दिनांक 01 जनवरी, 2020 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या:-एन0आर0-24/XXIV-A-2/24/2020 दिनांक 05 जून, 2020 द्वारा कार्योत्तर अनुमति प्रदान किए जाने पर शासनादेश संख्या:-61/XXVII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि0-3-2006-437/2002, दिनांक 04-09-2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार श्रीमती सुधा नेगी (से0नि0) सहायक अध्यापिका, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जुयालगांव, वि0ख0 द्वारीखाल जनपद पौड़ी गढ़वाल का प्रदेश के बाहर चिकित्सा संस्थान-वर्धमान ट्रामा सेंटर, मुजफ्फरनगर उत्तर-प्रदेश में दिनांक 18.03.2019 से दिनांक 23.03.2019 तक अन्तः रोगी एवं दिनांक 24.03.2019 से दिनांक 15.04.2019 तक कराये गये उपचार के दावों पर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रू0 1,58,894-00 (रू0 एक लाख अठावन हजार आठ सौ चौरानबे मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

2- इस सम्बन्ध में चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 04.09.2006 एवं इसके बाद निर्गत अन्य सभी शासनादेशों में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायेगा।

3- आहरण वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संलग्न बीजकों का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है वर्तमान तक इस हेतु कोई अग्रिम धनराशि अन्य स्रोतों से नहीं ली गई हो। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रकरण में किसी प्रकार की अनियमितता न हो।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत मानक मद-00-27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय

(आर.के. कुर्वर)

निदेशक,


प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

क्रमशः-2

पृ०सं० / प्रा०शि०से०-२(५) / २६/२५ वि.प्र.पू.-३४५(०६) / २०२०-२१ तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- १- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- २- वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
- ३- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- ४- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार-पौड़ी गढ़वाल।
- ५- उप शिक्षा अधिकारी वि०ख० द्वारीखाल, पौड़ी गढ़वाल।
- ६- श्रीमती सुधा नेगी (से०नि०) सहायक अध्यापिका, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जुयालगांव, वि०ख० द्वारीखाल जनपद पौड़ी गढ़वाल।
- ७- कार्यालय गार्ड फाइल।


(आर.कै. कुंवर)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा०शि०) चमोली।

पत्रांक : प्रा.शि.से.-2(5)/2688-95/चि.प्र.पू.-292(40)/2020-21 दिनांक 26 जून, 2020
विषय:- श्री उपेन्द्र नाथ गिरी, स०अ०, रा०प्रा०वि० सिरौली वि०ख० कर्णप्रयाग जनपद
चमोली की पत्नी स्व० मंजू गिरी का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार पर
हुए व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) चमोली के पत्र संख्या :
प्रा०शि०/12981/4(01)/लेखा स्थापना(चि०प्र०पू०-06)/2019-20 दिनांक 20 मार्च, 2019 द्वारा
प्रेषित प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या:-61/XXVII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा
प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का
प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि०-3-2006-437/2002,
दिनांक 04-09-2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार श्री उपेन्द्र नाथ गिरी, स०अ०, रा०प्रा०वि०
सिरौली वि०ख० कर्णप्रयाग जनपद चमोली की पत्नी स्व० मंजू गिरी का प्रदेश के भीतर चिकित्सा
संस्थान-सिनर्जी हॉस्पिटल देहरादून में दिनांक 05.03.2019 से दिनांक 22.03.2019 तक अन्तः
रोगी के रूप में कराये गये उपचार के दावों पर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
महानिदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रू० 2,46,491-00 (रू० दो
लाख छियालीस हजार चार सौ इक्यानवे मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में
निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

2- इस सम्बन्ध में चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 04.09.
2006 एवं इसके बाद निर्गत अन्य सभी शासनादेशों में उल्लिखित सभी शर्तों एवं आश्रित के
सम्बन्ध में निर्गत शासनानदेशों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायगा।

3- आहरण वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संलग्न बीजकों का भुगतान पूर्व में
नहीं किया गया है वर्तमान तक इस हेतु कोई अग्रिम धनराशि अन्य श्रोतों से नहीं ली गई हो।
आहरण वितरण अधिकारी द्वारा भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रकरण में
किसी प्रकार की अनियमितता न हो।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय व्ययक की अनुदान
संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-
राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत
मानक मद-00-27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित
किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का
कष्ट करें। संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय

(आर.के. कुंवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

क्रमशः-2

पृ०सं० / प्रा०शि०से०-२(५) / २६४४-१५ चि.प्र.पू.-२९२(४०) / २०२०-२१ तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- १- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- २- वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
- ३- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- ४- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार-चमोली।
- ५- उप शिक्षा अधिकारी वि०ख० कर्णप्रयाग, चमोली।
- ६- श्री उपेन्द्र नाथ गिरी, स०अ०, रा०प्रा०वि० सिरोली वि०ख० कर्णप्रयाग जनपद चमोली।
- ७- कार्यालय गार्ड फाइल।


(अमर.के.कुंवर)
२६/०६/२०२०

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेडा, देहरादून।

सेवा में,

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी
कोषागार-पौड़ी गढ़वाल।

पत्रांक : प्रा.शि.से.-2(5)/ 2697-27⁰⁴/चि.प्र.पू.-324(53)/2020-21 दिनांक 26 जून, 2020

बिषय:- श्रीमती सरोजनी रावत (से0नि0) प्र0अ0, रा0प्रा0वि0 सिरोजी वि0ख0 पौड़ी गढ़वाल के स्व0 पति का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार पर हुए व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) पौड़ी गढ़वाल के पत्र संख्या : 04बे0पें0/7347-48/चि0प्र0पू0/2019-20 दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या:-61/XXVII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि0-3-2006- 437/2002, दिनांक 04-09-2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार श्रीमती सरोजनी रावत (से0नि0) प्र0अ0, रा0प्रा0वि0 सिरोजी वि0ख0 पौड़ी गढ़वाल के स्व0 पति का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान-कनिष्क हॉस्पिटल देहरादून में दिनांक 28.02.2018 से दिनांक 03.03.2018 तक वाह्य रोगी दिनांक 04.03.2018 से दिनांक 22.03.2018 तक अन्तः रोगी तथा दिनांक 23.03.2018 से दिनांक 24.03.2018 तक वाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार के दावों पर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रू0 2,93,510-00 (रू0 दो लाख तिरानबे हजार पांच सौ दस मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

2- इस सम्बन्ध में चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 04.09.2006 एवं इसके बाद निर्गत अन्य सभी शासनादेशों में उल्लिखित सभी शर्तों एवं आश्रित के सम्बन्ध में निर्गत शासनानदेशों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायेगा।

3- आहरण वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संलग्न बीजकों का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है वर्तमान तक इस हेतु कोई अग्रिम धनराशि अन्य स्रोतों से नहीं ली गई हो। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रकरण में किसी प्रकार की अनियमितता न हो।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि का वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-07 आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2071--पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ, 01-सिविल-800-अन्य व्यय 04- राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता (उत्तराखण्ड)-02- उत्तराखण्ड राज्याधीन-42- अन्य व्यय के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) पौड़ी गढ़वाल द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय

(आ.के. कुंवर)

निदेशक,


प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

क्रमशः-2

पृ०सं० / प्रा०शि०से०-२(५) / २६९७ - २७०५ वि.प्र.पू.-३२४(५३) / २०२०-२१ तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- १- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- २- वित्त नियंत्रक / वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
- ३- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- ४- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) पौड़ी गढ़वाल।
- ५- उप शिक्षा अधिकारी वि०ख० पौड़ी, जनपद पौड़ी गढ़वाल।
- ६- सम्बन्धित शिक्षकों को उप शिक्षा अधिकारी पौड़ी के माध्यम से।
- ७- कार्यालय गार्ड फाइल।


(आर.के. कुंवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा0शि0) रुद्रप्रयाग।

पत्रांक : प्रा0शि0से0-दो(5)/3155-53/चि0प्र0पू0-366(16)/2020-21 दिनांक 03 जून, 2020

विषय:- श्री भूपेन्द्र सिंह बर्तवाल, स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 फलासी वि0ख0 अगस्त्यमुनि जनपद रुद्रप्रयाग का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार की कार्योत्तर अनुमति एवं स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) रुद्रप्रयाग के पत्रांक : प्रा0शि0/सेवा-2/411-13/चि0प्र0पू0/2020-21 दिनांक 27 मई, 2020 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या:-61/XXVII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि0-3-2006-437/2002, दिनांक 04-09-2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार श्री भूपेन्द्र सिंह बर्तवाल, स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 फलासी वि0ख0 अगस्त्यमुनि जनपद रुद्रप्रयाग का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- फोर्टिस हॉस्पिटल, देहरादून में दिनांक 02.08.2019 से दिनांक 04.08.2019 तक अन्तः रोगी एवं दिनांक 05.08.2019 से दिनांक 14.08.2019 तक वाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार के दावों के सापेक्ष निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रू0 2,23,788-00 (रू0 दो लाख तेइस हजार सात सौ अठासी मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

2- इस सम्बन्ध में चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 04.09.2006 एवं इसके बाद निर्गत अन्य सभी शासनादेशों में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायगा।

3- आहरण वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संलग्न बीजकों का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है वर्तमान तक इस हेतु कोई अग्रिम धनराशि अन्य श्रोतों से नहीं ली गई हो। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रकरण में किसी प्रकार की अनियमितता न हो।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत मानक मद-00-27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय

(आर.के. कुंवर)
निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

क्रमशः-2

पृ०सं० / प्रा०शि०से०-२(५) / ३१५६-६३ / वि.प्र.पू.-३६६(१६) / २०२०-२१ / तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- १- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
- २- वित्त नियंत्रक / वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड ।
- ३- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
- ४- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार-रूद्रप्रयाग ।
- ५- उप शिक्षा अधिकारी वि०ख० अगस्त्यमुनि, रूद्रप्रयाग ।
- ६- श्री भूपेन्द्र सिंह बर्त्वाल, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० फलासी वि०ख० अगस्त्यमुनि जनपद रूद्रप्रयाग ।
- ७- कार्यालय गार्ड फाइल ।

(आर.के. कुँवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

कार्यालय: निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।

आदेश संख्या: प्रा0शि0-2(5)/ 107 / कार्यालय अनु0-38/2020-21 दिनांक 01 जून, 2020


कार्यालय-ज्ञाप

निदेशालय के पत्र संख्या प्रा0शि0से0-2(5)/ 17565-71/चि0प्र0पू0-136(49)/2018-19 दिनांक 28 नवम्बर, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि0-3-2006- 437/2002, दिनांक 04-09-2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार श्री रमेश चन्द्र सिंह, सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय गुलाडी वि0ख0 घाट जनपद चमोली का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- कनिष्क हॉस्पिटल देहरादून में दिनांक 03.08.2017 से दिनांक 10.11.2017 तक (दि0 3.8.17 से 22.8.17 तक अन्तः रोगी, दि0 24.8.17 से दि0 30.8.17 तक वाह्य रोगी, दि0 02.09.17 से दि0 07.09.17 तक अन्तः रोगी, दि0 24.10.17 से दि0 10.11.17 तक वाह्य रोगी) कराये गये उपचार के दावों पर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रू0 1,88,273-00 (रू0 एक लाख अठ्ठासी हजार दो सौ तिहत्तर मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजट के अभाव भुगतान न होने पर उप शिक्षा अधिकारी वि0ख0 घाट, चमोली के पत्र संख्या : सेवार्ये-वेसिक/1005/चि0प्र0पू0/2019-20 दिनांक 17 फरवरी, 2020 द्वारा वित्तीय वर्ष संशोधित किए जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः निदेशालय उक्त पत्र दिनांक 28 नवम्बर, 2018 के प्रस्तर-03 में उल्लिखित वित्तीय वर्ष 2018-19 के स्थान पर वित्तीय वर्ष 2020-21 संशोधित पढा जाय। और इसके शेष प्राविधान व शर्तें यथावत् लागू रहेगी।


भवदीय


(आर.के. कुँवर)
निदेशक,

पृ0सं0 प्रा0शि0-2(5)/ 2994-99 / 180(60)/2020-21 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
- 3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार, चमोली।
- 4- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) चमोली को कार्यालय आदेश के साथ मूल प्रस्ताव संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही किए जाने हेतु।
- 5- श्री रमेश चन्द्र सिंह, सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय गुलाडी वि0ख0 घाट जनपद चमोली।
- 6- कार्यालय गार्ड फाईल।


(आर.के. कुँवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी
कोषागार- गैरसँण, चमोली।

पत्रांक : प्रा.शि.से.-2(5) / 3344-51 / चि.प्र.पू.-307(44) / 2020-21 दिनांक 04 जुलाई, 2020

विषय:- श्री कुवर सिंह रावत (से0नि0) रा0प्रा0वि0 गोगना वि0ख0 गैरसँण जनपद चमोली का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार पर हुए व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) चमोली के पत्र संख्या : बेसिक-4/994/4(1) चि0प्र0पू-06/2020-21 दिनांक 08 जून, 2020 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या:-61/XXVII(7)36 /2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि0-3-2006- 437/2002, दिनांक 04-09-2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार श्री कुवर सिंह रावत (से0नि0) रा0प्रा0वि0 गोगना वि0ख0 गैरसँण जनपद चमोली का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान-हिमालयन हॉस्पिटल देहरादून में दिनांक 14.11.2018 से दिनांक 04.11.2018 तक (दिनांक 14.11.2018 से दिनांक 04.12.2018 तक वाह्य रोगी, दिनांक 05.12.2018 से दिनांक 06.12.2018 तक अन्तः रोगी, दिनांक 07.12.2018 से दिनांक 25.12.2018 तक वाह्य रोगी, दिनांक 26.12.2018 से दिनांक 27.12.2018 तक अन्तः रोगी, दिनांक 28.12.18 दिनांक 15.01.19 तक वाह्य रोगी, दिनांक 16.01.19 से दिनांक 17.01.19 तक अन्तः रोगी, दिनांक 18.01.19 से 12.02.2019 वाह्य रोगी, दिनांक 13.02.2019 से दिनांक 28.02.2019 तक अन्तः रोगी, दिनांक 01.03.19 से दिनांक 21.03.19 तक वाह्य रोगी, दिनांक 22.03.19 से दिनांक 23.03.19 तक अन्तः रोगी दिनांक 24.03.19 से दिनांक 11.04.19 वाह्य रोगी, दिनांक 12.04.19 से 13.04.19 तक अन्तः रोगी तक दिनांक 14.04.2019 से दिनांक 02.05.2019 तक वाह्य रोगी दिनांक 03.05.19 से दिनांक 04.05.19 तक अन्तः रोगी दिनांक 05.05.19 से दिनांक 03.06.2019 तक वाह्य रोगी) कराये गये उपचार के दावों पर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रू0 1,55,949-00 (रू0 एक लाख पचपन हजार नौ सौ उनपचास मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

2- इस सम्बन्ध में चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 04.09.2006 एवं इसके बाद निर्गत अन्य सभी शासनादेशों में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन पत्रोंक रूहा में सुनिश्चित किया जायगा।


3- आहरण वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संलग्न बीजकों का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है वर्तमान तक इस हेतु कोई अग्रिम धनराशि अन्य श्रोतों से नहीं ली गई हो। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रकरण में किसी प्रकार की अनियमितता न हो।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि का वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-07 आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ, 01- सिविल-800-अन्य व्यय 04- राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता (उत्तराखण्ड)-02- उत्तराखण्ड राज्याधीन-42- अन्य व्यय के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) चमोली द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय


(अ.प्र.के.05/10/17) 07.2020
निदेशक,


प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

कमश:-2

पू०सं०/ प्रा०शि०से०-२(६)/३३४४-५४ चि.प्र.पू.-३०७(४४)/२०२०-२१ तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- १- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- २- वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
- ३- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- ४- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) चमोली।
- ५- उप शिक्षा अधिकारी वि०ख० गैरसँण, जनपद चमोली।
- ६- सम्बन्धित शिक्षिकों को उप शिक्षा अधिकारी पौड़ी के माध्यम से।
- ७- कार्यालय गार्ड फाइल।


(आर.के. कुंवर)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा0शि0) रुद्रप्रयाग।

पत्रांक : प्रा0शि0से0-दो(5)/3156-53/चि0प्र0पू0-366(16)/2020-21 दिनांक 03 जून, 2020

विषय:- श्री भूपेन्द्र सिंह बर्त्वाल, स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 फलासी वि0ख0 अगस्त्यमुनि जनपद रुद्रप्रयाग का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार की कार्योत्तर अनुमति एवं स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) रुद्रप्रयाग के पत्रांक : प्रा0शि0/सेवा-2/411-13/चि0प्र0पू0/2020-21 दिनांक 27 मई, 2020 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या-61/XXVII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि0-3-2006-437/2002, दिनांक 04-09-2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार श्री भूपेन्द्र सिंह बर्त्वाल, स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 फलासी वि0ख0 अगस्त्यमुनि जनपद रुद्रप्रयाग का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- फोर्टिस हॉस्पिटल, देहरादून में दिनांक 02.08.2019 से दिनांक 04.08.2019 तक अन्तः रोगी एवं दिनांक 05.08.2019 से दिनांक 14.08.2019 तक बाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार के दावों के सापेक्ष निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रू0 2,23,788-00 (रू0 दो लाख तेइस हजार सात सौ अठासी मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

2- इस सम्बन्ध में चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 04.09.2006 एवं इसके बाद निर्गत अन्य सभी शासनादेशों में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायगा।

3- आहरण वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संलग्न बीजकों का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है वर्तमान तक इस हेतु कोई अग्रिम धनराशि अन्य श्रोतों से नहीं ली गई हो। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रकरण में किसी प्रकार की अनियमितता न हो।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत मानक मद-00-27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय

(आर.के. कुंवर)
निदेशक,


प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

क्रमशः-2

पृ०सं० / प्रा०शि०से०-२(५) / ३१५६-६३ / चि.प्र.पू.-३६६(१६) / २०२०-२१ / तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- १- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
- २- वित्त नियंत्रक / वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड ।
- ३- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
- ४- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार-रूद्रप्रयाग ।
- ५- उप शिक्षा अधिकारी वि०ख० अगस्त्यमुनि, रूद्रप्रयाग ।
- ६- श्री भूपेन्द्र सिंह बर्त्वाल, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० फलासी वि०ख० अगस्त्यमुनि जनपद रूद्रप्रयाग ।
- ७- कार्यालय गार्ड फाइल ।


(आर.के. कुर्वर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा०शि०) हरिद्वार।

पत्रांक : प्रा.शि.से.-2(5)/3493-3599/चि.प्र.पू.-340(01)/2020-21 दिनांक 07 जुलाई, 2020

विषय:- श्री राजेन्द्र कुमार, सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय मुण्डलाना वि०ख० नारसन, हरिद्वार का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार पर हुए व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) हरिद्वार के पत्र संख्या : प्रा०शि०/5044-45/चि०प्र०पू०/2019-20 दिनांक 28 दिसम्बर, 2019 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासन के पत्र संख्या: एम०आर० 23/XXIV-A-2/23/2020 दिनांक 18 जून, 2020 द्वारा श्री राजेन्द्र कुमार, सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय मुण्डलाना वि०ख० नारसन, हरिद्वार का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- मैक्स हॉस्पिटल, देहरादून में दिनांक 07-06-2019 से दिनांक 21-06-2019 तक अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार पर हुए व्यय के सापेक्ष निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य धनराशि रू० 6,80,956-00 (रू० छः लाख अस्सी हजार नौ सौ छप्पन मात्र) की धनराशि की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 04.09.2006 एवं इसके बाद निर्गत अन्य सभी शासनादेशों में उल्लिखित सभी शर्तों एवं आश्रित के सम्बन्ध में निर्गत शासनानदेशों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायगा।

3- आहरण वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संलग्न बीजकों का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है वर्तमान तक इस हेतु कोई अग्रिम धनराशि अन्य श्रोतों से नहीं ली गई हो। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रकरण में किसी प्रकार की अनियमितता न हो।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत मानक मद-00-27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत बहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। संलग्न-समस्त बिल बाउचर मूल रूप में।

भवदीय

(आर.के.वर्मा)


निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
क्रमशः-2

पू०सं० / प्रा०शि०से०-2(5)/3493-3500 चि.प्र.पू.-340(01)/2020-21 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
- 3- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार-हरिद्वार।
- 5- उप शिक्षा अधिकारी वि०ख० नारसन, हरिद्वार।
- 6- श्री राजेन्द्र कुमार, सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय मुण्डलाना वि०ख० नारसन, हरिद्वार।
- 7- कार्यालय गार्ड फाइल।


(आर.के.कुंवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

कार्यालय: निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।

आदेश संख्या: प्रा0शि0-2(5)/ 129 / कार्योत्तर अनुमति / 2020-21 दिनांक 09 जुलाई, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

निदेशालय के पत्र संख्या प्रा0शि0से0-2(5)/8465-72/चि0प्र0पू0-249(74)/2018-19 दिनांक 31 जुलाई, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि0-3-2006-437/2002, दिनांक 04-09-2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार श्री दिनेश प्रसाद थपलियाल, स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 सिलेती वि0ख0 देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल का प्रदेश के बाहर चिकित्सा संस्थान- फोर्टिस हॉस्पिटल, नई दिल्ली में दिनांक 10.01.2016 से दिनांक 13.01.2016 तक अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार के दावों पर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इगित एवं संस्तुत कुल रू0 1,56,524-00 (रू0 एक लाख छप्पन हजार पाच सौ चौबीस मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में कतिपय शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजट के अभाव भुगतान न होने पर उप शिक्षा अधिकारी वि0ख0 देवप्रयाग, टिहरी गढ़वाल के पत्र संख्या : 691/चि0प्र0पू0/2019-20 दिनांक 13 फरवरी, 2020 द्वारा वित्तीय वर्ष संशोधित किए जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः निदेशालय उक्त पत्र दिनांक 31 जुलाई, 2018 के प्रस्तर-03 में उल्लिखित वित्तीय वर्ष 2018-19 के स्थान पर वित्तीय वर्ष 2020-21 संशोधित पढ़ा जाय। और इसके शेष प्राविधान व शर्तें यथावत् लागू रहेगी।

मवदीय

(आर.के. कुंवर) 2020
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

पृ0सं0 प्रा0शि0-2(5)/3542-48 / कार्योत्तर अनुमति / 2020-21 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
- 3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार, टिहरी गढ़वाल।
- 4- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) टिहरी गढ़वाल को कार्यालय आदेश के साथ मूल प्रस्ताव संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही किए जाने हेतु।
- 5- उप शिक्षा अधिकारी वि0ख0 देवप्रयाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि बिना सक्षम स्तर के सीधे प्रकरण निदेशालय को कदापि प्रेषित न किए जायं।
- 6- श्री दिनेश प्रसाद थपलियाल, स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 सिलेती वि0ख0 देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल।
- 7- कार्यालय गार्ड फाईल।

(आर.के. कुंवर) 2020
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

कार्यालय: निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।

आदेश संख्या: प्रा0शि0-2(5)/ 130 / कार्यान्तर अनुमति-14/2020-21 दिनांक 09 जुलाई, 2020


कार्यालय-ज्ञाप

निदेशालय के पत्र संख्या प्रा0शि0से0-2(5)/8399-8406/चि0प्र0पू0-327(90)/2018-19 दिनांक 30 जुलाई, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि0-3-2006-437/2002, दिनांक 04-09-2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार श्रीमती शकुन्तला डबराल, स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 धिल्डियालधार, वि0ख0 देवप्रयाग जनपद टिहरी गढ़वाल के पति स्व0 राजेन्द्र प्रसाद डबराल का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- सिनर्जी हॉस्पिटल देहरादून में दिनांक 02.01.2016 से दिनांक 09.01.2016 तक अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार के दावों पर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रू0 1,88,076-00 (रू0 एक लाख अठासी हजार छियत्तर मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजट के अभाव भुगतान न होने पर उप शिक्षा अधिकारी वि0ख0 देवप्रयाग, टिहरी गढ़वाल के पत्र संख्या : 691/चि0प्र0पू0/2019-20 दिनांक 13 फरवरी, 2020 द्वारा वित्तीय वर्ष संशोधित किए जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः निदेशालय उक्त पत्र दिनांक 31 जुलाई, 2018 के प्रस्तर-03 में उल्लिखित वित्तीय वर्ष 2018-19 के स्थान पर वित्तीय वर्ष 2020-21 संशोधित पढ़ा जाय। और इसके शेष प्राविधान व शर्तें यथावत् लागू रहेगी।

भवदीय


(आर.क. कुंवर) 2020
निदेशक,

पृ0सं0 प्रा0शि0-2(5)/3549-55 / कार्यान्तर अनुमति-14/2020-21 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
- 3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार, टिहरी गढ़वाल।
- 4- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) टिहरी गढ़वाल को कार्यालय आदेश के साथ मूल प्रस्ताव संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही किए जाने हेतु।
- 5- उप शिक्षा अधिकारी वि0ख0 देवप्रयाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि बिना सक्षम स्तर के सीधे प्रकरण निदेशालय को कदापि प्रेषित न किए जायं।
- 6- श्रीमती शकुन्तला डबराल, स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 धिल्डियालधार, वि0ख0 देवप्रयाग जनपद टिहरी गढ़वाल।
- 7- कार्यालय गार्ड फाईल।


(आर.क. कुंवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

पंजीकृत

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा०शि०) पौड़ी गढ़वाल।

पत्रांक : प्रा०शि०से०-दो(६)/१०१०-२१/चि०प्र०पू०-३६६(१५)/२०२०-२१ दिनांक १२ जुलाई, २०२०
विषय:- श्रीमती नीलम, स०अ०, रा०प्रा०वि० पिलखेड़ी वि०ख० यमकेश्वर, पौड़ी गढ़वाल
का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार पर हुए व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध
में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) पौड़ी गढ़वाल के पत्रांक :
०४बे०पे०/९५७८-७९/चि०प्र०पू०/२०१९-२० दिनांक १८ फरवरी, २०२० द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर
शासनादेश संख्या:-६१/XXVII(७)३६/२०१७ दिनांक ०२ अप्रैल, २०१८ द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड
वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-०१-२०१८ (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा
अनुभाग-३ के शासनादेश संख्या: ६७९/चि०-३-२००६-४३७/२००२, दिनांक ०४-०९-२००६
में निहित प्राविधानों के अनुसार श्रीमती नीलम, स०अ०, रा०प्रा०वि० पिलखेड़ी वि०ख० यमकेश्वर,
पौड़ी गढ़वाल का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- मैक्स हॉस्पिटल, देहरादून में दिनांक १३.१०.
२०१९ से दिनांक १९.१०.२०१९ तक अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार के दावों के सापेक्ष
निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु
इंगित एवं संस्तुत कुल रू० २,०९,२६३-०० (रू० दो लाख नौ हजार दो सौ तिरसठ मात्र) की
धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान
की जाती है:-

२- इस सम्बन्ध में चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक ०४.०९.
२००६ एवं इसके बाद निर्गत अन्य सभी शासनादेशों में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन प्रत्येक
दशा में सुनिश्चित किया जायगा।

३- आहरण वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संलग्न बीजकों का भुगतान पूर्ण में
नहीं किया गया है वर्तमान तक इस हेतु कोई अग्रिम धनराशि अन्य श्रोतों से नहीं ली गई हो।
आहरण वितरण अधिकारी द्वारा भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रकरण में
किसी प्रकार की अनियमितता न हो।

४- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष २०२०-२१ के आय व्ययक की अनुदान
संख्या-११ राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक २२०२-सामान्य शिक्षा ०१-प्राथमिक शिक्षा-१०१-
राजकीय प्राथमिक विद्यालय ०४-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत
मानक मद-००-०९-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित
किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का
कष्ट करें। संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय

(आर.के. सुंदर), १२ जुलाई, २०२०

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

क्रमशः-२

पृ०सं० / प्रा०शि०से०-२(५) / ४०७०-३७ / चि.प्र.पू-३६६(१६) / २०२०-२१ / तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- १- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- २- वित्त नियंत्रक / वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
- ३- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- ४- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार-पौड़ी गढ़वाल।
- ५- उप शिक्षा अधिकारी वि०ख० यमकेश्वर, पौड़ी गढ़वाल।
- ६- श्रीमती नीलम, स०अ०, रा०प्रा०वि० पिलखेड़ी वि०ख० यमकेश्वर, पौड़ी गढ़वाल।
- ७- कार्यालय गार्ड फाइल।


(अनुर.कु.कुर्वर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

मुख्य कोषाधिकारी
कोषागार-देहरादून

पत्रांक : प्रा0शि0से0-दो(5)/4078-84/चि0प्र0पू0-323(52)/2020-21 दिनांक 22 जुलाई, 2020
विषय:- श्री दयानन्द तिवारी (से0नि0) स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 तिलवाडी, वि0ख0
सहसपुर, देहरादून का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार पर हुए व्यय की
स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) देहरादून के पत्रांक : प्रब0राज
बेसिक-2/1282/चि0प्र0पू0/2020-21 दिनांक 09 जून, 2020 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर
शासनादेश संख्या:-61/XXVII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड
वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा
अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि0-3-2006-437/2002, दिनांक 04-09-2006
में निहित प्राविधानों के अनुसार श्री दयानन्द तिवारी (से0नि0) स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 तिलवाडी,
वि0ख0 सहसपुर, देहरादून का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- मैक्स हॉस्पिटल, देहरादून में
दिनांक 17.06.2019 से दिनांक 24.06.2019 तक अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार के दावों
के सापेक्ष निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढ़वाल मण्डल पौड़ी द्वारा प्रतिपूर्ति
हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रू0 1,56,650-00 (रू0 एक लाख छप्पन हजार छः सौ पचास मात्र)
की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति
प्रदान की जाती है:-

2- इस सम्बन्ध में चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 04.09.2006 एवं
इसके बाद निर्गत अन्य सभी शासनादेशों में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन प्रत्येक दशा में
सुनिश्चित किया जायेगा।

3- आहरण वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संलग्न बीजकों का भुगतान पूर्व में नहीं
किया गया है वर्तमान तक इस हेतु कोई अग्रिम धनराशि अन्य स्रोतों से नहीं ली गई हो। आहरण
वितरण अधिकारी द्वारा भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रकरण में किसी
प्रकार की अनियमितता न हो।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि का वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय व्ययक के अनुदान
संख्या-07 आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ, 01-
सिविल-800-अन्य व्यय 04- राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विशेष
चिकित्सा उपचार हेतु सहायता (उत्तराखण्ड)-02- उत्तराखण्ड राज्याधीन-42- अन्य व्यय के
अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) देहरादून द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल
रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर
आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय

(आर.के. कुंवर) 2020

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

क्रमांक-2

पृ० सं० / प्रा० शि० से०-२(५) / ४०७४-४४ / चि.प्र.पू.-३६६(१६) / २०२०-२१ / तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- १- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
- २- वित्त नियंत्रक / वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड ।
- ३- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
- ४- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा० शि०) देहरादून ।
- ५- उप शिक्षा अधिकारी वि० ख० सहसपुर, देहरादून ।
- ६- कार्यालय गार्ड फाइल ।


(आर.के.कुंवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा०शि०) देहरादून।

पत्रांक : प्रा०शि०से०-दो(5)/4061-68/चि०प्र०पू०-329(97)/2020-21 दिनांक 22 जुलाई, 2020

विषय:- श्री अनुज उपाध्याय, स०अ०, रा०प्रा०वि० सिल्ला वि०ख० रायपुर, देहरादून का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार पर हुए व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) देहरादून के पत्रांक : रा०प्र०बे०/11545-46/चि०प्र०पू०/2019-20 दिनांक 09 जनवरी, 2020 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या:-61/XXVII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि०-3-2006-437/2002, दिनांक 04-09-2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार श्री अनुज उपाध्याय, स०अ०, रा०प्रा०वि० सिल्ला वि०ख० रायपुर, देहरादून का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- हीलिंग टर्च नर्सिंग होम, देहरादून में दिनांक 01.12.2016 से दिनांक 08.12.2016 तक अन्तः रोगी एवं दिनांक 09.12.2016 से दिनांक 19.01.2017 तक वाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार के दावों के सापेक्ष निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रू० 1,85,514-00 (रू० एक लाख पिचासी हजार पांच सौ चौदह मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

2- इस सम्बन्ध में चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 04.09.2006 एवं इसके बाद निर्गत अन्य सभी शासनादेशों में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायेगा।

3- आहरण वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संलग्न बीजकों का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है वर्तमान तक इस हेतु कोई अग्रिम धनराशि अन्य श्रोतों से नहीं ली गई हो। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रकरण में किसी प्रकार की अनियमितता न हो।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत मानक मद-00-09-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय


(आर.के. कुँवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
क्रमशः-2

पृ०सं० / प्रा०शि०से०-२(५) / ४०६१-६८ / चि.प्र.पू.-३२९(९७) / २०२०-२१ / तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- १- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- २- वित्त नियंत्रक / वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
- ३- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- ४- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार-देहरादून।
- ५- उप शिक्षा अधिकारी वि०ख० रायपुर, देहरादून।
- ६- श्री अनुज उपाध्याय, स०अ०, रा०प्रा०वि० सिल्ला वि०ख० रायपुर, देहरादून।
- ७- कार्यालय गार्ड फाइल।


(आर.के. कुंवर) 2020
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेडा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी

(प्रा०शि०) हरिद्वार।

पत्रांक प्रा०शि०से०-दो(५) / 2359-66 / चि०प्र०पू०-434(37) / 2021-22 दिनांक 12 जुलाई, 2021
विषय:- श्री कुलदीप कुमार, प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय गढी, वि०ख० बहादुराबाद, हरिद्वार प्रदेश के बाहर कराये गये उपचार की कार्योत्तर अनुमति एवं उपचार पर हुए व्यय की स्वीकृति प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) हरिद्वार के पत्र संख्या : प्रा०शि० / 9815-16 / चि०प्र०पू० / 2020-21 दिनांक 20 फरवरी, 2021 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासन के पत्र संख्या : एम०आर० 39 / XXIV-A-2 / 39 / 2021 दिनांक 12 मई, 2021 द्वारा श्री कुलदीप कुमार, प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय गढी, वि०ख० बहादुराबाद, हरिद्वार का प्रदेश के बाहर चिकित्सा संस्थान- मेदांता हॉस्पिटल गुडगांव में कराये गये चिकित्सा उपचार की कार्योत्तर अनुमति एवं व्यय धनराशि की निम्नलिखित तालिकानुसार स्वीकृति प्रदान की गयी है :-

क्र०स०	दिनांक से	दिनांक तक	अन्तः/वाह्य रोगी	रूपये
1	25.10.2019	28.10.2019	अन्तः रोगी	रु० 17,409 / -
2	01.11.2019	04.11.2019	अन्तः रोगी	रु० 15,249 / -
3	29.11.2019	11.12.2019	अन्तः रोगी	रु० 4,18,368 / -
4	15.01.2020	27.01.2020	अन्तः रोगी	रु० 1,21,754 / -
योग				रु० 5,72,780 / -

(कुल धनराशि पांच लाख बहत्तर हजार सात सौ अस्सी रु० मात्र)

- 2- इस सम्बन्ध में चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 04.09.2006 एवं इसके बाद निर्गत अन्य सभी सुसंगत शासनादेशों में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायेगा तथा सुसंगत लेखाशीर्षक/मानक मद में बजट की उपलब्धता के सम्बन्ध में सुनिश्चित हो लिया जायेगा।
- 3- आहरण वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संलग्न बीजकों का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है वर्तमान तक इस हेतु कोई अग्रिम धनराशि अन्य स्रोतों से नहीं ली गई हो।
- 4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का भुगतान आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101- राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत मानक मद-00-09-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।
- 5- उक्त आदेश उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) (वर्ष 2018) दिनांक 02 अप्रैल, 2018 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार जारी की जा रही हैं।
अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय

(वी० एस० रावत)

प्रभारी निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

कगस-2

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेडा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा०शि०) पौड़ी गढ़वाल।

पत्रांक प्रा०शि०से०-दो(५)/ 2460-66 /चि०प्र०पू०-496(07)/2021-22 दिनांक 19 जुलाई, 2021

विषय:- स्व० प्रेम प्रकाश डोबरियाल, स०अ०, रा०प्रा०वि० गगवाडा वि०ख० पौड़ी जनपद पौड़ी गढ़वाल का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) पौड़ी गढ़वाल के पत्र संख्या : 04 बे०पें०/16043-44/चि०प्र०पू०/2020-21 दिनांक 23 मार्च, 2021 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव स्व० प्रेम प्रकाश डोबरियाल, स०अ०, रा०प्रा०वि० गगवाडा वि०ख० पौड़ी जनपद पौड़ी गढ़वाल का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- सी०एम०आई हॉस्पिटल देहरादून में दिनांक 03.8.2019 से दिनांक 12.08.2019 तक अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार का दावा जो निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित कुल रू० 2,75,085-00 (रू० दो लाख पचहत्तर हजार पिचासी मात्र) की स्वीकृति किए जाने की अनुमति निम्नवत शर्तों के साथ प्रदान की जाती है:-

- 2- इस सम्बन्ध में चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 04.09.2006 एवं इसके बाद निर्गत अन्य सभी सुसंगत शासनादेशों में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायेगा तथा सुसंगत लेखाशीर्षक/मानक मद में बजट की उपलब्धता के सम्बन्ध में सुनिश्चित हो लिया जायेगा।
- 3- आहरण वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संलग्न बीजकों का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है वर्तमान तक इस हेतु कोई अग्रिम धनराशि अन्य स्रोतों से नहीं ली गई हो।
- 4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का भुगतान आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101- राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत मानक मद-00-09-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।
- 5- उक्त आदेश उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) (वर्ष 2018) दिनांक 02 अप्रैल, 2018 एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु निर्गत शासनादेश संख्या: 679/चि०-3-2006- 437/2002, दिनांक 04-09-2006 व उसके बाद निर्गत विभिन्न शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अनुसार जारी की जा रही है।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वात्सर्ग्य मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। संलग्न-समस्त बिल बाउचर मूल रूप में।

भवदीय

(वी.एस. रावत)

प्रभारी निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

पृ०सं० / प्रा०शि०से०-२(५) / २४६०-६६ / जि०प०पू०-४९६(०७) / २०२१-२२ तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- १- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- २- वित्त निघत्रंक / वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
- ३- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- ४- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार-पौड़ी गढ़वाल।
- ५- उप शिक्षा अधिकारी वि०ख० पौड़ी, पौड़ी गढ़वाल।
- ६- कार्यालय गार्ड फाइल।


(वी० एस० संवत)
प्रभारी निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा0शि0) टिहरी गढ़वाल।

पत्रांक प्रा0शि0से0-दो(5)/2869-75/कार्य0अनु0-305/2021-22 दिनांक 22 जुलाई, 2021

विषय:- श्री राकेश सिंह पंवार, स0अ0, रा0प्रा0वि0 बन्दाशा वि0ख0 भिलंगना, टिहरी गढ़वाल का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य शिक्षा अधिकारी टिहरी गढ़वाल के पत्र संख्या : अर्थ अनु0/752-53/चि0प्र0पू0/2021-22 दिनांक 30 अप्रैल, 2021 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव श्री राकेश सिंह पंवार, स0अ0, रा0प्रा0वि0 बन्दाशा वि0ख0 भिलंगना, टिहरी गढ़वाल का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- सूर्या हॉस्पिटल देहरादून में दिनांक 01.10.2020 से दिनांक 12.08.2019 तक अन्तः रोगी तथा दिनांक 2.11.2020 तक वाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार का दावा जो निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0 गढ़वाल मण्डल पौड़ी द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित कुल रू0 1,56,285-00 (रू0 एक लाख छप्पन हजार दो सौ पिचासी मात्र) की स्वीकृति किए जाने की अनुमति निम्नवत शर्तों के साथ प्रदान की जाती है:-

- 2- इस सम्बन्ध में चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 04.09.2006 एवं इसके बाद निर्गत अन्य सभी सुसंगत शासनादेशों में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायेगा तथा सुसंगत लेखाशीर्षक/मानक मद में बजट की उपलब्धता के सम्बन्ध में सुनिश्चित हो लिया जायेगा।
- 3- आहरण वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संलग्न बीजकों का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है वर्तमान तक इस हेतु कोई अग्रिम धनराशि अन्य श्रोतों से नहीं ली गई हो।
- 4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का भुगतान आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101- राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत मानक मद-00-09-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत बहन किया जायेगा।
- 5- उक्त आदेश उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) (वर्ष 2018) दिनांक 02 अप्रैल, 2018 एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु निर्गत शासनादेश संख्या: 679/चि0-3-2006- 437/2002, दिनांक 04-09-2006 व उसके बाद निर्गत विभिन्न शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अनुसार जारी की जा रही हैं।


अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय
[Signature] 20/7/2021
(आर0 के0 उनियाल)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
पत्रांक-2

५०सं० / प्रा०शि०से०-२(६) / २८६९-२५ चि०प्र०पू०-३०५ / २०२१-२२ तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- १- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- २- वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
- ३- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- ४- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार-टिहरी गढ़वाल।
- ५- उप शिक्षा अधिकारी वि०ख० भिलंगना, टिहरी गढ़वाल।
- ६- श्री राकेश सिंह पंवार, स०अ०, रा०प्रा०वि० बन्दाशा वि०ख० भिलंगना, टिहरी गढ़वाल।
- ७- कार्यालय गार्ड फाइल।


(आर०० के० उनियाल)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा०शि०) उत्तरकाशी।

पत्रांक प्रा०शि०से०-दो(5)/3005-12/चि०प्र०पू०-488(05)/2021-22 दिनांक 28 जुलाई, 2021
विषय:- श्री चरण सिंह रावत, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० भद्रासू वि०ख० मोरी, जनपद उत्तरकाशी के पुत्र का प्रदेश के बाहर कराये गये उपचार की कार्योत्तर अनुमति एवं उपचार की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) उत्तरकाशी के पत्र संख्या : /8986-88/चि०प्र०पू०/2021-22 दिनांक 16 मार्च, 2021 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासन के पत्र संख्या : एम०आर० 57/XXIV-A-2/55/2021 दिनांक 15 जुलाई, 2021 द्वारा कार्योत्तर अनुमति प्रदान किए जाने के उपरान्त श्री चरण सिंह रावत, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० भद्रासू वि०ख० मोरी, जनपद उत्तरकाशी के पुत्र का प्रदेश के बाहर चिकित्सा संस्थान- फोर्टिस हॉस्पिटल गुडगांव में दिनांक 13.10.2020 से दिनांक 28.10.2020 तक अन्त रोगी पुनः दिनांक 09.11.2020 से दिनांक 13.11.2020 तक अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार का दावा जो निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित कुल क्रमशः : रू० 2,01,743-00 रू० 1,56,277-00 कुल संस्तुत धनराशि रू० 3,58,020-00 (रू० तीन लाख अठावन हजार बीस मात्र) की स्वीकृति किए जाने की अनुमति निम्नवत शर्तों के साथ प्रदान की गयी है:-

- 2- इस सम्बन्ध में चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 04.09.2006 एवं इसके बाद निर्गत अन्य सभी सुसंगत शासनादेशों में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायेगा तथा सुसंगत लेखाशीर्षक/मानक मद में वजट की उपलब्धता के सम्बन्ध में सुनिश्चित हो लिया जायेगा।
- 3- आहरण वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संलग्न बीजकों का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है वर्तमान तक इस हेतु कोई अग्रिम धनराशि अन्य श्रोतों से नहीं ली गई हो।
- 4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का भुगतान आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101- राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत मानक मद-00-09-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।
- 5- उक्त आदेश उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) (वर्ष 2018) दिनांक 02 अप्रैल, 2018 एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु निर्गत शासनादेश संख्या: 679/चि०-3-2006- 437/2002, दिनांक 04-09-2006 व उसके बाद निर्गत विभिन्न शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति जारी की जा रही हैं।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। संलग्न-समस्त बिल बाउचर मूल रूप में।

भवदीय
(आर०० के० उनियाल)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
क्रमशः -

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा0शि0) चमोली।

पत्रांक : प्रा.शि.से.-2(5)/5406-13 /चि.प्र.पू.-292(40)/2020-21 दिनांक 20 अक्टूबर 2020

विषय:- श्रीमती कुसुमलता नेगी, स0अ0, रा0प्रा0वि0 दुवा वि0ख0 कर्णप्रयाग जनपद चमोली के पति श्री अनूप सिंह नेगी का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार पर हुए व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) चमोली के पत्र संख्या : प्रा0शि0/9609/चि0प्र0पू0/4(01)/लेखा स्थापना(चि0प्र0पू0-06)/2019-20 दिनांक 19 दिसम्बर, 2019 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या:-61/XXVII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि0-3-2006- 437/2002, दिनांक 04-09-2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार श्रीमती कुसुमलता नेगी, स0अ0, रा0प्रा0वि0 दुवा वि0ख0 कर्णप्रयाग जनपद चमोली के पति श्री अनूप सिंह नेगी का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान-वेलमेड हॉस्पिटल देहरादून में दिनांक 23.07.2019 से दिनांक 26.07.2019 तक अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार के दावों पर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रू0 1,59,585-00 (रू0 एक लाख उनसठ हजार पाँच सौ पचासी मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

2- इस सम्बन्ध में चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 04.09.2006 एवं इसके बाद निर्गत अन्य सभी शासनादेशों में उल्लिखित सभी शर्तों एवं आश्रित के सम्बन्ध में निर्गत शासनानदेशों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायगा।

3- आहरण वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संलग्न बीजकों का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है वर्तमान तक इस हेतु कोई अग्रिम धनराशि अन्य श्रोतों से नहीं ली गई हो। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रकरण में किसी प्रकार की अनियमितता न हो। साथ ही इस आशय का शपथ पत्र भी प्राप्त कर लिया जाय कि यदि भविष्य में प्रश्नगत प्रकरण की मूल पत्रावली मिलती है तो उसे पुनः भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं की जायेगी।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत मानक मद-00-27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित विये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय


(आ.प्र.पू. मंडल) 2020
निदेशक,


प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

क्रमशः-2

पृ०सं० / प्रा०शि०से०-२(५) / ५४०६-१३ / चि.प्र.पू.-२९२(४०) / २०१९-२० तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- १- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- २- वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
- ३- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- ४- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार-चमोली।
- ५- उप शिक्षा अधिकारी वि०ख० कर्णप्रयाग, चमोली।
- ६- श्रीमती कुसुमलता नेगी, स०अ०, रा०प्रा०वि० दुवा वि०ख० कर्णप्रयाग जनपद चमोली।
- ७- कार्यालय गार्ड फाइल।


(अनुर.क.कुँवर)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

कार्यालय: निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।

आदेश संख्या: प्रा0शि0-2(5)/ 241 /चि0प्र0पू0-345(06)/2020-21 दिनांक 05 सितम्बर, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

निदेशालय के पत्र संख्या प्रा0शि0से0-2(5)/2618/चि0प्र0पू0-245(06)/2020-21 दिनांक 25 जून, 2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि0-3-2006-437/2002, दिनांक 04-09-2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार श्रीमती सुधा नेगी (से0नि0) सहायक अध्यापिका, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जुयालगांव, वि0ख0 द्वारीखाल जनपद पौड़ी गढ़वाल का प्रदेश के बाहर चिकित्सा संस्थान-वर्तमान ट्रार्मा सेन्टर, मुजफ्फरनगर उत्तर-प्रदेश में दिनांक 18.03.2019 से दिनांक 22.03.2019 तक अन्तः रोगी एवं दिनांक 24.03.2019 से दिनांक 15.04.2019 तक कराये गये उपचार के दावों पर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रू0 1,58,894-00 (रू0 एक लाख अठावन हजार आठ सौ चौरानब्वे मात्र) धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

उपरोक्त के क्रम में जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) पौड़ी गढ़वाल ने अपने पत्र संख्या : 1452-54 दिनांक 03 जुलाई, 2020 द्वारा प्रश्नगत प्रकरण सेवा निवृत्त शिक्षक को होने पर लेखाशीर्षक एवं संबोधन नाम संशोधित किए जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः निदेशालय पत्र दिनांक 25 जून, 2020 के प्रस्तर-04 में उल्लिखित लेखाशीर्षक के स्थान पर वर्ष 2020-21 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-07 आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ, 01- सिविल-800-अन्य व्यय 04- राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता (उत्तराखण्ड)-02- उत्तराखण्ड राज्याधीन-42- अन्य व्यय के अन्तर्गत वहन किया जायेगा, साथ ही संबोधन में जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) पौड़ी के स्थान पर वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उप कोषागार-कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल संशोधित पढ़ा जाय। और इसके शेष प्राविधान व शर्तें यथावत् लागू रहेगी।

भवदीय

(आर.के. कुँवर) 2020
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

पृ0सं0 प्रा0शि0-2(5)/ 6701-06 /चि0प्र0पू0-345(06)/2020-21 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
- 3- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उप कोषागार कोटद्वार, पौड़ी को मूल प्रकरण भुगतान हेतु प्रेषित।
- 4- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) पौड़ी गढ़वाल।
- 5- श्रीमती सुधा नेगी (से0नि0) सहायक अध्यापिका, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जुयालगांव, वि0ख0 द्वारीखाल जनपद पौड़ी गढ़वाल
- 6- कार्यालय गार्ड फाईल।

(आर.के. कुँवर) 9-2020
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

मुख्य कोषाधिकारी
कोषागार-पौड़ी गढ़वाल

पत्रांक : प्रा0शि0से0-दो(5)/7469-75/चि0प्र0पू0-643(14)/2020-21 दिनांक²¹ सितम्बर, 2020
विषय:- श्रीमती शैलबाला मियां (से0नि0) प्र0अ0, रा0प्रा0वि0 कलढुंग वि0ख0 पौड़ी जनपद पौड़ी गढ़वाल के पति का प्रदेश के बाहर कराये गये उपचार की कार्योत्तर अनुमति एवं उपचार पर हुए व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) पौड़ी गढ़वाल के पत्रांक : 04 बे0पें0/9489-91/चि0प्र0पू0/2019-20 दिनांक 15 फरवरी, 2020 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासनदेश संख्या : एम0आर0/50/XXIV-A-2/50/2020 दिनांक 14 अगस्त, 2020 द्वारा प्रदेश से बाहर उपचार की कार्योत्तर अनुमति प्राप्त होने पर शासनादेश संख्या:-61/XXVII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि0-3-2006- 437/2002, दिनांक 04-09-2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार श्रीमती शैलबाला मियां (से0नि0) प्र0अ0, रा0प्रा0वि0 कलढुंग वि0ख0 पौड़ी जनपद पौड़ी गढ़वाल के पति का प्रदेश के बाहर चिकित्सा संस्थान- सर गंगाराम हॉस्पिटल, नई दिल्ली में दिनांक 02.01.2019 से दिनांक 14.01.2019 तक अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार के दावों के सापेक्ष निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रू0 1,63,971-00 (रू0 एक लाख तिरेसठ हजार नौ सौ इकहत्तर मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

2- इस सम्बन्ध में चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 04.09.2006 एवं इसके बाद निर्गत अन्य सभी शासनादेशों में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायगा।


3- आहरण वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संलग्न बीजकों का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है वर्तमान तक इस हेतु कोई अग्रिम धनराशि अन्य श्रोतों से नहीं ली गई हो। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रकरण में किसी प्रकार की अनियमितता न हो।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि का वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-07 आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ, 01-सिविल-800-अन्य व्यय 04- राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता (उत्तराखण्ड)-02-उत्तराखण्ड राज्याधीन-09- अन्य व्यय के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) पौड़ी गढ़वाल द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय


(आर.के. सुप्री) 2020
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

कार्यालय: निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।

आदेश संख्या: प्रा0शि0-2(5)/ 287 / प्रदेश के बाहर/2020-21 दिनांक 05 सितम्बर, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

निदेशालय के पत्र संख्या प्रा0शि0से0-2(5)/11358-64/चि0प्र0पू0-188(65)/2019-20 दिनांक 30 अगस्त, 2019 द्वारा श्री वंशी लाल चौमवाल, सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पणसिल वि0ख0 जखोली जनपद रुद्रप्रयाग का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- श्री मंहत इन्द्रेश हॉस्पिटल, देहरादून में दिनांक 24-01-2017 से दिनांक 09-02-2017 तक अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार का दावा, जो कि निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महानिदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य धनराशि रू0 2,57,352-00 (रू0 दो लाख सत्तावन हजार तीन सौ बावन मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजट के अभाव में प्रश्नगत प्रकरण का भुगतान न होने पर जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) रुद्रप्रयाग के पत्र संख्या : 536-38 दिनांक 27 मई, 2020 द्वारा वित्तीय वर्ष संशोधित किए जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः शासनादेश संख्या : 61/XXVII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के क्रम में निदेशालयके पत्र दिनांक 30 अगस्त, 2019 के प्रस्तर-03 में अंकित वित्तीय वर्ष 2018-19 के स्थान पर वित्तीय वर्ष 2020-21 संशोधित किया जाता है। और इसके शेष प्राविधान व शर्तें यथावत् लागू रहेगी।

भवदीय

(आर.के.कुंवर) 9.2020

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

पू0सं0 प्रा0शि0-2(5)/7950-57 / चि0प्र0पू0-204(73)/2020-21 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
- 3- अनु सचिव, बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार, रुद्रप्रयाग।
- 5- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) रुद्रप्रयाग को कार्यालय आदेश के साथ मूल प्रस्ताव संलग्न कर प्रत्यावर्तित।
- 6- उप शिक्षा अधिकारी, वि0ख0 जखोली, रुद्रप्रयाग।
- 7- श्री वंशी लाल चौमवाल, सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पणसिल वि0ख0 जखोली जनपद रुद्रप्रयाग।
- 8- कार्यालय गार्ड फाईल।

(आर.के.कुंवर) 9.2020

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

वरिष्ठ कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी
उप कोषागार-घनसाली, टिहरी।

पत्रांक : प्रा0शि0से0-दो(5) / 8365-71 / चि0प्र0पू0-272(30) / 2020-21 दिनांक/2 अक्टूबर, 2020

विषय:- कु0 प्रतिमा टम्टा (से0नि0) प्र0अ0, रा0प्रा0वि0 सौला वि0ख0 भिलंगना, टिहरी गढ़वाल का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार पर हुए व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप शिक्षा अधिकारी वि0ख0 भिलंगना, टिहरी गढ़वाल के पत्र : प्रबन्ध-2/491-93/चि0प्र0पू0/2020-21 दिनांक 07 सितम्बर, 2020 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या:-61/XXVII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि0-3-2006-437/2002, दिनांक 04-09-2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार कु0 प्रतिमा टम्टा (से0नि0) प्र0अ0, रा0प्रा0वि0 सौला वि0ख0 भिलंगना, टिहरी गढ़वाल का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- कैलाश हॉस्पिटल, देहरादून में दिनांक 02.01.2019 से दिनांक 06.02.2019 तक अन्तः रोगी दिनांक 07.02.2019 से दिनांक 10.02.2019 तक वाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार के दावों के सापेक्ष निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रू0 1,93,803-00 (रू0 एक लाख तिरानबे हजार आठ सौ तीन मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

2-इस सम्बन्ध में चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 04.09.2006 एवं इसके बाद निर्गत अन्य सभी शासनादेशों में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायगा।

3- आहरण वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संलग्न बीजकों का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है वर्तमान तक इस हेतु कोई अग्रिम धनराशि अन्य स्रोतों से नहीं ली गई हो। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रकरण में किसी प्रकार की अनियमितता न हो।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि का वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-07 आयोजनेतर के अधीन लेखाशीर्षक 2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ, 01-सिविल-800-अन्य व्यय 04- राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता (उत्तराखण्ड)-02-उत्तराखण्ड राज्याधीन-09- अन्य व्यय के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः उप शिक्षा अधिकारी वि0ख0 भिलंगना, टिहरी गढ़वाल द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

मवदीय

(आ.प्र.के. कुँवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

क्रमशः-2

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा०शि०) चमोली।

पत्रांक : प्रा०शि०से०-दो(६)/ 8319-86 / चि०प्र०पू०-336(60)/2020-21 दिनांक 12 सितम्बर, 2020

विषय:- श्री राम सिंह कठैत, स०अ०, रा०क०उ०प्रा०वि० मेहलचौरी, वि०ख० गैरसैण चमोली की पत्नी श्रीमती तारा देवी का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार पर हुए व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) चमोली के पत्रांक : बेसिक-4 /2157/4(01)चि०प्र०पू०-06/2020-21 दिनांक 20 जुलाई, 2020 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या:-61/XXVII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि०-3-2006- 437/2002, दिनांक 04-09-2006 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत श्री राम सिंह कठैत, स०अ०, रा०क०उ०प्रा०वि० मेहलचौरी, वि०ख० गैरसैण चमोली की श्रीमती तारा देवी का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान-हिमालयन हॉस्पिटल देहरादून में दिनांक 06.11.2017 से दिनांक 06.03.2019 तक अन्तः रोगी/वाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार के दावों के सापेक्ष निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढ़वाल मण्डल पौड़ी द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रू० 1,67,833-00 (रू० एक लाख सड़सठ हजार आठ सौ तैंतीस मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

2- इस सम्बन्ध में चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 04.09.2006 एवं इसके बाद निर्गत अन्य सभी शासनादेशों में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायगा।

3- आहरण वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संलग्न बीजकों का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है वर्तमान तक इस हेतु कोई अग्रिम धनराशि अन्य स्रोतों से नहीं ली गई हो। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रकरण में किसी प्रकार की अनियमितता न हो।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत मानक मद-00-09-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय

(आर.के. कुँवर) 10. 2020
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

क्रमशः-2

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

मुख्य कोषाधिकारी
कोषागार-देहरादून।

पत्रांक : प्रा0शि0से0-दो(5) / 8312-79 / चि0प्र0पू0-399(22) / 2020-21 दिनांक 12 अक्टूबर, 2020

विषय:- श्री दिनेश कुमार बहुगुणा, (से0नि0) प्र0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 कारगी ग्रांट वि0ख0 रायपुर, देहरादून का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार पर हुए व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) देहरादून के पत्रांक : प्रब0राज बेसिक-2/3139/चि0प्र0पू0/2020-21 दिनांक 10 जुलाई, 2020 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या:-61/XXVII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि0-3-2006-437/2002, दिनांक 04-09-2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार श्री दिनेश कुमार बहुगुणा, (से0नि0) प्र0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 कारगी ग्रांट वि0ख0 रायपुर, देहरादून का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- मैक्स हॉस्पिटल, देहरादून में दिनांक 21.01.2020 से दिनांक 25.01.2020 तक अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार के दावों के जापेक्ष निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढ़वाल मण्डल पौड़ी द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रू0 1,51,059-00 (रू0 एक लाख इक्यावन हजार उनसठ मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

2- इस सम्बन्ध में चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 04.09.2006 एवं इसके बाद निर्गत अन्य सभी शासनादेशों में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायगा।

3- आहरण वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संलग्न बीजकों का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है वर्तमान तक इस हेतु कोई अग्रिम धनराशि अन्य स्रोतों से नहीं ली गई हो। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रकरण में किसी प्रकार की अनियमितता न हो।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि का वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-07 आयोजनेतर के अधीन लेखाशीर्षक 2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त हित लाम, 01-सिविल-800-अन्य व्यय 04- राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता (उत्तराखण्ड)-02-उत्तराखण्ड राज्याधीन-09- अन्य व्यय के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) देहरादून द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय

(आर.के. कुंवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

क्रमशः-2

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा0शि0) चमोली।

पत्रांक : प्रा0शि0से0-दो७/ 8387-94 / चि0प्र0पू0-329(97)/2020-21 दिनांक 19 सितम्बर, 2020
विषय:- श्री दीपेन्द्र सिंह बर्वाल, स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 सुभाई वि0ख0 जोशीमठ जनपद चमोली का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार पर हुए व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप शिक्षा अधिकारी वि0ख0 जोशीमठ, चमोली के पत्रांक : विविध/1795-96/चि0प्र0पू0/2020-21 दिनांक 18 जुलाई, 2020 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या:-61/XXVII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि0-3-2006- 437/2002, दिनांक 04-09-2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार श्री दीपेन्द्र सिंह बर्वाल, स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 सुभाई वि0ख0 जोशीमठ जनपद चमोली का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान-श्री महंत इन्देश हॉस्पिटल देहरादून में दिनांक 30.4.19 से दिनांक 10.05.2019 तक दिनांक 20.05.2019 से दिनांक 27.05.2019 तक दिनांक 28.05.2019 से दिनांक 14.06.2019 तक अन्तः रोगी तथा दिनांक 17.06.2019 तक वाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार के दावों के सापेक्ष निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रू0 3,40,040-00 (रू0 तीन लाख चालीस हजार चालीस मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

2- इस सम्बन्ध में चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 04.09.2006 एवं इसके बाद निर्गत अन्य सभी शासनादेशों में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायगा।

3- आहरण वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संलग्न बीजकों का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है वर्तमान तक इस हेतु कोई अग्रिम धनराशि अन्य स्रोतों से नहीं ली गई हो। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रकरण में किसी प्रकार की अनियमितता न हो।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय व्यय की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत मानक-मद-00-09-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर मूल रूप में इस आशय से गणित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रतः आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय

(आर.के. कुंवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

क्रमशः-2

कार्यालय: निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।

आदेश संख्या: प्रा0शि0-2(5)/ 297 / चि0प्र0पू0-366(16) / 2020-21 दिनांक 12 अक्टूबर, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

निदेशालय के पत्र संख्या प्रा0शि0से0-2(5)/3156-63/चि0प्र0पू0-366(16) / 2020-21 दिनांक 03 जुलाई, 2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि0-3-2006-437/2002, दिनांक 04-09-2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार श्री भूपेन्द्र सिंह बर्त्वाल, स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 फलासी वि0ख0 अगस्त्यमुनि जनपद रुद्रप्रयाग का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- फोर्टिस हॉस्पिटल, देहरादून में दिनांक 02.08.2019 से दिनांक 04.08.2019 तक अन्तः रोगी एवं दिनांक 05.08.2019 से दिनांक 14.08.2019 तक वाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार के दावों के सापेक्ष निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रू0 2,23,788-00 (रू0 दो लाख तेइस हजार सात सौ अठासी मात्र) की धनराशि स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) रुद्रप्रयाग के -पत्र संख्या : सेवायें-2/6065 / चि0प्र0पू0 / 2020-21 दिनांक 01 अक्टूबर, 2020 द्वारा उक्त विद्यालय सर्व शिक्षा के अन्तर्गत होने के कारण लेखाशीर्षक संशोधित किए जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः निदेशालय पत्र दिनांक 01 मार्च, 2019 एवं कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03 जुलाई, 2020 के प्रस्तर-04 में उल्लिखित अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 02 माध्यमिक शिक्षा-113-समग्र शिक्षा, 01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना, 03 समग्र शिक्षा के अन्तर्गत संचालित माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा/शिक्षक शिक्षा की स्थापना, के मानक मद-09 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के मानक मदों के नामें डाला जायेगा, संशोधित पढ़ा जाय। और इसके शेष प्राविधान व शर्तें यथावत् लागू रहेगी।

भवदीय

(आर.के. कुँवर) 0.2020

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

पू0सं0 प्रा0शि0-2(5)/ 8457-62 / चि0प्र0पू0-38 / 2020-21 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
- 3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार, रुद्रप्रयाग।
- 4- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) रुद्रप्रयाग को कार्यालय आदेश के साथ मूल प्रस्ताव संलग्न कर प्रत्यावर्तित।
- 5- श्री भूपेन्द्र सिंह बर्त्वाल, स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 फलासी वि0ख0 अगस्त्यमुनि जनपद रुद्रप्रयाग।
- 6- कार्यालय गार्ड फाईल।

(आर.के. कुँवर) 2020

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा०शि०),
देहरादून।

पत्रांक:- प्रा०शि०से०-2(5)/ 9065-71 / चि०प्र०पू०-386(17)/2020-21 दिनांक 22 अक्टूबर, 2020
विषय:- श्रीमती कुसुमलता बंगवाल स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० 55 राजपुर रोड देहरादून का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार पर हुए व्यय की संस्तुत धनराशि पर स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: 6281 दि० 03.10.2020 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या: 679/चि०-3-2006-437/2002, दिनांक 04-09-2006 एवं उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०-61/XXVII(7)36/2017 वित्त (वे०आ०-सा०नि०) अनुभाग-7 दिनांक 02 अप्रैल 2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) के भाग-2 नियम 1(ii) में उल्लिखित प्राविधानुसार श्रीमती कुसुमलता बंगवाल स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० 55 राजपुर रोड देहरादून का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान-कैंसर रिसर्च इन्स० हिमालियन हॉस्पिटल देहरादून में दिनांक: 16.04.2017 से 21.04.2017 तक कराये गये उपचार के दावे पर निदेशक, महानिदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य संस्तुत धनराशि रू०-4,78,489-00 (रू० चार लाख अटहत्तर हजार चार सौ नवासी मात्र) के प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन उक्त धनराशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- शासनादेश दिनांक 04.09.2006 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि श्रीमती कुसुमलता बंगवाल स०अ० द्वारा प्रदेश के भीतर कराये गये प्रश्नगत उपचार हेतु पूर्व में कोई अग्रिम चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय की धनराशि स्वीकृत की गयी हो, तो उक्त धनराशि को समायोजित करने के उपरान्त ही स्वीकृत धनराशि का आहरण करते हुये अवशेष धनराशि को कोषागार में जमा करने का कष्ट करें।

3- आहरण वितरण अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि संलग्न बीजकों का भुगतान पूर्व में किसी अन्य स्तर से नहीं किया गया है।

4- शासनादेश सं०-679/चि०-3-2006-437/2002 दिनांक 04.09.2006 तथा उसके बाद निर्गत अन्य सभी शासनादेशों में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

उक्त स्वीकृत धनराशि का वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत मानक मद-00-09-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

संलग्न-समस्त बिल बाउचर मूल रूप में।

भूतदीय,
(आर०के०क्यू०) 2020
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

प०सं०- प्रा०शि०से०-2(4)/ 9065-71 / चि०प्र०पू०-386(17)/2020-21 तददिनांक।
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1-महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2-वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
- 3-मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी देहरादून।
- 4-उप शिक्षा अधिकारी, सम्बंधित विकासखण्ड।
- 5-श्री श्रीमती कुसुमलता बंगवाल स०अ० तरुण विहार लेन नं० 5 वी, मौथरोंवाला रोड देहरादून।
- 6-कार्यालय गार्ड फाइल।

(आर०के०क्यू०) 2020
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा०शि०) नई टिहरी।

पत्रांक : प्रा०शि०से०-दो(5) / 9002 / चि०प्र०पू०-408(25) / 2020-21 दिनांक 2 / अक्टूबर, 2020

विषय:- श्री सुनील नौटियाल, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० पुण्डोली, मिलंगना, टिहरी गढ़वाल का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार पर हुए व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) टिहरी के पत्रांक : प्रबन्ध-2 / 2431-33 / चि०प्र०पू० / 2020-21 दिनांक 26 अगस्त, 2020 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या:-61 / XXVIII(7)36 / 2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679 / चि०-3-2006- 437 / 2002, दिनांक 04-09-2006 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत श्री सुनील नौटियाल, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० पुण्डोली, मिलंगना, टिहरी गढ़वाल का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- फोर्टिस हॉस्पिटल देहरादून में दिनांक 15.12.2019 से दिनांक 18.12.2019 तक अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार के दावों के सापेक्ष निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशाल, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रू० 1,87,026-00 (रू० एक लाख सतासी हजार छब्बीस मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

2- इस सम्बन्ध में चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 04.09.2006 एवं इसके बाद निर्गत अन्य सभी शासनादेशों में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायगा।

3- आहरण वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संलग्न बीजकों का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है वर्तमान तक इस हेतु कोई अग्रिम धनराशि अन्य स्रोतों से नहीं ली गई हो। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रकरण में किसी प्रकार की अनियमितता न हो।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत मानक मद-00-09-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय

(आर.के. कुँवर) - 2020
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

क्रमशः-2

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा०शि०) हरिद्वार।

पत्रांक प्रा०शि०से०-दो(5)/ 9267-74/चि०प्र०पू०-129(45)/2020-21 दिनांक 28 अक्टूबर, 2020
विषय:- श्रीमती प्रवीण चौहान, सहायक अध्यापिका, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बहादरपुर जट्ट-2, वि०ख० बाहदराबाद जनपद हरिद्वार के पति का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार पर हुए व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) हरिद्वार के पत्र संख्या: प्रा०शि०/3818-19/चि०प्र०पू०/2020-21 दिनांक 07 अगस्त, 2020 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या:-61/XXVII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि०-3-2006- 437/2002, दिनांक 04-09-2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार श्रीमती प्रवीण चौहान, सहायक अध्यापिका, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बहादरपुर जट्ट-2, वि०ख० बाहदराबाद जनपद हरिद्वार के पति का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- मैट्रो हॉस्पिटल, हरिद्वार में दिनांक 04.11.2017 से दिनांक 08.11.2017 तक अन्तः रोगी के रूप में कराया गया दावा, जो कि निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु संस्तुत की गई रू० 2,33,749-00 (रू० दो लाख तेतीस हजार सात सौ उनपचास मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

2- इस सम्बन्ध में चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 04.09.2006 एवं इसके बाद निर्गत अन्य सभी शासनादेशों में उल्लिखित सभी शर्तों एवं आश्रित के सम्बन्ध में निर्गत शासनानदेशों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायगा।

3- आहरण वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संलग्न बीजकों का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है वर्तमान तक इस हेतु कोई अग्रिम धनराशि अन्य श्रोतों से नहीं ली गई है। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रकरण में किसी प्रकार की अनियमितता न हो।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत मानक मद-00-09-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय

(आर.के. कुंवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा0शि0) चमोली।

पत्रांक : प्रा0शि0से0-दो(5) 9574-81/चि0प्र0पू0-412(28)/2020-21 दिनांक 02 ^{जुलाई} अक्टूबर, 2020
विषय:- श्रीमती अनीता डिमरी, स0अ0, रा0प्रा0वि0 थैकुडी वि0ख0 जोशीमठ, चमोली के पति का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार पर हुए व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) चमोली के पत्रांक : बेसिक-4/2520/04(01)चि0प्र0पू0-06/2020-21 दिनांक 27 जुलाई, 2020 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या:-61/XXVII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि0-3-2006- 437/2002, दिनांक 04-09-2006 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत श्रीमती अनीता डिमरी, स0अ0, रा0प्रा0वि0 थैकुडी वि0ख0 जोशीमठ, चमोली के पति का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- कनिष्क हॉस्पिटल देहरादून में दिनांक 03.04.2019 से दिनांक 11.04.2019 तक अन्तःरोगी तदपरान्त दिनांक 05.08.2019 तक वाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार के दावों के सापेक्ष निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशाल, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रू0 1,50,069-00 (रू0 एक लाख पचास हजार उनसहत्तर मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

2- इस सम्बन्ध में चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 04.09.2006 एवं इसके बाद निर्गत अन्य सभी शासनादेशों में उल्लिखित सभी शर्तों एवं आश्रित के सम्बन्ध में निर्गत शासनानदेशों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायगा।

3- आहरण वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संलग्न बीजकों का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है वर्तमान तक इस हेतु कोई अग्रिम धनराशि अन्य श्रोतों से नहीं ली गई हो। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रकरण में किसी प्रकार की अनियमितता न हो।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा-101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत मानक मद-00-09-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय

(आर:के:कुंवर) - 2020
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

क्रमश:-2

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी
कोषागार-कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल

पत्रांक : प्रा0शि0से0-दो(5)/9544-53/चि0प्र0पू0-411(27)/2020-21 दिनांक 02 नवम्बर, 2020

विषय:- स्व0 रामप्रसाद कण्डवाल (से0नि0) स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 पाली लंगूर, वि0ख0 द्वारीखाल, पौड़ी गढ़वाल का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार पर हुए व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) पौड़ी गढ़वाल के पत्र संख्या : 04 बे0पें/1983-84/चि0प्र0पू0/2020-21 दिनांक 29 जुलाई, 2020 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या:-61/XXVII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-01-2018 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) एवं चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 679/चि0-3-2006- 437/2002, दिनांक 04-09-2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्व0 रामप्रसाद कण्डवाल (से0नि0) स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 पाली लंगूर, वि0ख0 द्वारीखाल, पौड़ी गढ़वाल का प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थान- कनिष्क हॉस्पिटल, देहरादून में दिनांक 25.10.2018 से दिनांक 18. 11.2018 तक अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार के दावों के सापेक्ष निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु इंगित एवं संस्तुत कुल रू0 4,10,368-00 (रू0 चार लाख दस हजार तीन सौ अड़सठ मात्र) की धनराशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

2- इस सम्बन्ध में चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 04.09.2006 एवं इसके बाद निर्गत अन्य सभी शासनादेशों में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायगा।


3- आहरण वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संलग्न बीजकों का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है वर्तमान तक इस हेतु कोई अग्रिम धनराशि अन्य श्रोतों से नहीं ली गई हो। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रकरण में किसी प्रकार की अनियमितता न हो।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि का वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-07 आयोजनेतर के अधीन लेखाशीर्षक 2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ, 01-सिविल-800-अन्य व्यय 04- राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता (उत्तराखण्ड)-02-उत्तराखण्ड राज्याधीन-09- अन्य व्यय के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

अतः जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) पौड़ी गढ़वाल द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल वाउचर्स मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं, कि कृपया व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न-समस्त बिल वाउचर मूल रूप में।

भवदीय


(आर.के. अंवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

क्रमशः-2